पंचम माला, खंड 43, अंक 28, बुधवार, 28 अगस्त 1974 6 भाद्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLIII, No. 28, Wednesday, August 28, 1974/
Bhadra 6, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र

Eleventh Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

खंड 43 में अंक 21 से 30 तक हैं

Vol. XLIII contains Nos. 21 to 30

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 281(2)
DATE. 12.8.75

(यह लोक-सभा वादविवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।)

(This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi)

M/P(D)10LSS-4

विषय सूची/CONTENTS

अंक 28, बुधवार, 28 अगस्त, 1974/6 भाद्र, 1896 (शक)
No. 28, Wednesday, August 28, 1974/Bhadra 6, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्न काल का निलम्बन	Suspension of Question Hour	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		पेज PAGES
529. स्वतंत्रता सेनानी आवास केन्द्रों में सुविधाएं	Facilities to Inmates of Homes for Freedom Fighters	9—12
529ए. पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलवे द्वारा समाचारपत्रों में विज्ञापन दिये जाने पर किया गया व्यय	Expenditure on Advertisements in Newspapers by Eastern and South Eastern Railways	12—16
प्रश्नो के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
530. भारत में कार्य कर रही विदेशी समाचार एजेन्सियां	Foreign News Agencies Operating in India	16—17
531. अत्यावश्यक वस्तुएं बनाने वाले लघु औद्योगिक एककों के लिये प्रौद्योगिकी का विकास	Development of Technology for Small Scale Industrial Units Producing Essential Goods	17
532. पोंग बांध का निर्माण	Construction of Pong Dam	17—18
533. उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सीमेंट का उपलब्ध किया जाना	Availability of Cement through Fair Price Shops	18
534. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा उपकरणों का निर्यात	Export of Equipment by ITI	18—19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJCET	पेज PAGES
535.	जन साधारण के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन	Production of Items of Mass Consumption	19
536.	यूरोपीय देशों के विशेषज्ञों का दौरा	Visit of Specialists from European countries	19—20
537.	अमृतसर (पंजाब) में ग्रामीण विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Amritsar (Punjab)	20—21
538.	राज्य बिजली बोर्डों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें	Recommendations made at Conference of State Electricity Boards	21
539.	बिजली इंजीनियरों द्वारा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का विरोध	Opposition by Power Engineers to Central Electricity Authority	21
540.	पांचवीं योजना में उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन	Generation of Power in U.P. in Fifth Plan	21—22
541.	मध्य प्रदेश में तापीय संयंत्र	Thermal Plant in Madhya Pradesh	22
542.	थुम्बा राकेट स्टेशन में भ्रष्टाचार	Corruption in Thumba Rocket Station	22—23
543.	यंत्रीकृत नारियल जटा एककों संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Mechanised Coir Units	23
544.	राज्यों में सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना	Deployment of B.S.F. and C.R.P. in States	23
545.	डाक तथा तार विभाग में खद्दर का प्रयोग	Use of Khaddar in P. & T. Department	24
546.	सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा किए गए कथित अत्याचार	Alleged Atrocities by BSF	24
547	इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by President of Indian and Eastern Newspapers' Society	24—25
548.	उड़ीसा के उद्योगों में विद्युत की कमी	Power Shortage in Orissa Industries	25

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3736.	बंगला देश को सीमेंट का निर्यात	Export of Cement to Bangladesh	25—26
3737.	मंत्रियों द्वारा किये जाने वाले दौरों पर होने वाले खर्च में किफायत	Economy in Expenditure on Tours performed by Ministers	26
3738.	कर्नाटक द्वारा राजस्थान को तापसंयंत्र की बिक्री	Sale of Thermal Plant to Rajasthan by Karnataka	26
3739.	स्टकना पन बिजली परियोजना के लिए टांगों का आवंटन	Allotment of Tongas for Stakna Hydel Project	2 7
3740.	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां	Scholarship to Backward Class Students	27
3741.	केरल में विचाराधीन विद्युत योजनाएं	Power Schemes pending in Kerala	27—28
3742.	परीक्षा पत्रों को भेजने की व्यवस्था	Arrangements for Transporting of Examination papers	28—29
3743.	दिल्ली महानगर परिषद की रामनगर सीट के लिये चुनाव	Election to Ramnagar Seat of Metropolitan Council, Delhi	29
3744.	लखनऊ विश्वविद्यालय में रूसी विद्यार्थियों की जासूसी गतिविधियां	Spying activities of Russian Students in Lucknow University	26—27
3745.	पूर्वी राज्यों को औद्योगिक लाइसेंस देने के बारे में शिकायत	Complaint against issue of Industrial licences to Eastern States	30
3746.	हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय अनसंधान प्रयोगशाला द्वारा कोयले को तेल में बदलने के लिये प्रयोग किया जाना	Experiments by Regional Research Laboratory Hyderabad for Conversion of Coal into oil	30—31
3747.	करनाली पन बिजली परियोजना बारे में भारत-नेपाल करार	Indo-Nepal Agreement on Karnali Hydro Electric Project	31
3748.	भारतीय मानक संस्थान में कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना अथवा बर्खास्त किया जाना	Suspension or Dismissal of persons in Indian Standards Institution	32
3749.	पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं	Major and Medium Irrigation Schemes for providing Irrigation facilities in Orissa during Fifth Plan	32—33

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3750.	धार्मिक संस्थाओं को विदेशी सहायता	Foreign Assistance to Religious Institutions	34
3751.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र लने हेतु सम्पर्क कार्यालयों का खोजा जाना	Liaison Offices for accepting applications for Industrial Licences	34—35
3752.	साह इंस्टीट्यूट आफ न्यूकलीअर फिजिक्स, कलकत्ता संबंधी पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन	Report of the review Committee on Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta	35
3753.	समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के खिलाफ शिकायतें	Complaints against Newspapers and Periodicals	35
3754.	पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन	Conference of Inspectors General of Police	36
3755.	नेताजी जांच आयोग का प्रतिवदन	Report of Netaji Enquiry Commission	36
3756.	मुद्रास्फीति रोकने के उपाय	Measures to Control Inflation	36—37
3757.	टायरों तथा ट्यूबों का निर्माण कर रही कम्पनियां	Companies Manufacturing Tyres and Tubes	37—39
3758.	मैसर्स कैडबरी फ्राई को 'काम चालू रखो' (सी० ओ० बी०) लाइसेंस दिया जाना	Issue of C.O.B. Licences to Cadbury Fry	39—40
3759.	चिमूर में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण	Functioning of Telephone System in Chimur	40
3760.	हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग	Progressive use of Hindi	41
3761.	केरल स्थित डाकघरों में बचत बक सुविधाएं	Saving Bank facilities in Post Offices in Kerala	41
3762.	वर्ष 1973-74 में करल के लिए ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के कार्य की प्रगति	Progress regarding work on Rural Electrification schemes for Kerala during 1973-74	42
3763.	पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में केरल में सिंचाई सुविधाएं	Irrigation Facilities for Kerala in First Year of Fifth Plan	42
3764.	परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में विश्व में भारत की स्थिति	India's Position in World in the field of Atomic Research	42—43

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3765.	हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दूर मुद्रक सेवाएं	Teleprinter Services at various places in H. P.	43
3766.	राजस्थान द्वारा राजस्थान नहर के लिये सहायता की मांग	Assistance sought by Rajasthan for Rajasthan Canal	43
3767.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये वैस्टर्न कोसी, गंडक और राजस्थान नहर परियोजना के लिय धन की व्यवस्था	Provisions for Western Kosi, Gandak and Rajasthan Canal Projects for Fifth Plan	44
3768.	हरीहरपुर और कालीगांव के बीच जलफाटक एवं पुल बनाना	Construction of sluice gate-cum-bridge between Hariharpur and Kaligaon	44
3769.	बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Unemployment	44—45
3770.	परमाणु खनिजों का आयात-निर्यात	Import and Export of Atomic Minerals	45—46
3771.	अंतरिक्ष स्टशनों के सापेक्ष वेग और उनके परस्पर जुड़ने पर नियंत्रण के लिए प्रयोग	Experiments for control of relative velocity of space stations and their docking	46
3772.	सूर्य, वायु और भतापीय ऊर्जा का उपयोग	Utilisation of Solar, Wind and Geothermal Energy	46—47
3773.	दिल्ली के लिए बनी हरिजन कल्याण योजनाओं का लागू न किया जाना	Non-Execution of Harijan Welfare Schemes for Delhi	47—48
3774.	भारतीय अर्थ-व्यवस्था में बहु-राष्ट्रीय निगमों का प्रवेश	Entry of Multi-National Corporations in Indian Economy	48—49
3775.	पश्चिम बंगाल में स्वतन्त्रता सेनानी गृह	Homes for Freedom Fighters in West Bengal	49—50
3776.	उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन के लिये पहाड़ी नाले एवं जल प्रपात	Brooks and falls in U. P. for power generation	50
3777.	"गरीबी हटाओ" कायक्रम की प्रगति	Progress of "Garibi Hatao" Programme	50—51
3778.	लघु उद्योग एककों की स्थापना के लिए हरिजनों को वित्तीय सहायता	Financial help to Harijans for setting up Small Scale Industrial Units	51

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3779.	नए ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए अमरीका के ऊर्जा दल का दौरा	Visit by U. S. energy team for development of new energy resources	51—52
3780.	वर्ष 1974–75 के दौरान गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages during 1974-75	52
3781.	फरीदाबाद उद्योग एसोसिएशन द्वारा फरीदाबाद के उद्योगों को बिजली की नियमित सप्लाई करने का अनुरोध	Request from Faridabad Industries Association for Regular Supply of Power to Faridabad Industries	52—53
3782.	आधुनिक तापीय बिजली घरों की स्थापना	Setting up of Modern Thermal Power Stations	53
3783.	उद्योग स्थापित करने के लिये बिहार से प्राप्त आवेदन पत्र	Applications from Bihar for setting up of Industries	53—54
3784.	पांचवीं योजना के दौरान रोजगार सुनिश्चित करने के लिए स्थायी उत्पादक आस्तियों का बनाया जाना	Creation of Durable productive Assets Ensuring Employment during Fifth Plan	54
3785.	आकाशवाणी के कटक केन्द्र में ट्रांसमिशन टावर का निर्माण कार्य पूरा करना	Completion of Transmission Tower of A.I.R. Cuttack	54—55
3786.	पतरातु और बरौनी तापीय बिजली परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए बिहार बिजली बोर्ड को दी गई सहायता	Assistance given to Bihar Electricity Board for Extension of Patratu and Barauni Thermal Power Projects	55
3787.	इंडियन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, 1910 और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 का संशोधन	Amendment of Indian Electricity Acts	56
3788.	बराक बांध परियोजना	Barak Dam Project	56
3789.	बांधों के जलाशयों में जल दूषण	Water Pollution in Storage Reservoirs to Dams	56—57
3790.	उड़ीसा में हीराकुड बांध से बिजली पैदा करना तथा उसकी सप्लाई	Generation and Supply of Power from Hirakud Dam in Orissa	57
3791.	कोका कोला निर्यात निगम के भारतीय बोटलर्ज द्वारा 'साफ्ट ड्रिंक्ज' का उत्पादन	Production of Soft Drinks by Indian Bottlers of Coca-Cola Export Corporation	57—58

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3792.	निर्धन देशों द्वारा प्रौद्योगिकी का आयात करने के बारे में अंकटाड का अध्ययन	Study by UNCTAD on Imports of Technology by Poor Countries	58
3793.	बिजली के लिए समान टैरिफ निर्धारित करना	Fixation of Common Tariff for Power	59
3794.	जेलों में विचाराधीन कैदी	Under Trials in Jails	59
3795.	टेलीफोन कनक्शनों के लिए प्रतिक्षा सूची	Waiting List for Telephones	60
3796.	देश में अवैध रूप से हथियार बनाने वाले कारखाने का पता लगना	Unearthing of Illicit Arms Factories in the country	60
3797.	सिगरेटों का मूल्य	Price of Cigarettes	60—61
3799.	बेमेतरा शहर में डाकघर का भवन	Post Office Building in Bametara	61
3800.	मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industry in Madhya Pradesh	61—62
3801.	करल में धन्नीरामुक्कम स्थित साल्ट वाटर बैरियर का संशोधित प्रक्कलन	Revised Estimates of Salt Water Barrier at Thannirmukkom in Kerala	62
3802.	कक्काड पन बिजली परियोजना, केरल को स्वीकृति	Clearance of Kakkad Hydro-Electric Project Kerala	62
3803.	लोअर पेरियार और पेरिंगकुट्टी पन बिजली योजनाओं के बारे में अग्रिम परियोजना प्रतिवेदन	Advance Project Report on Lower Periyar and Perinjakutty Hydro Electric Schemes	63
3804.	इलाहाबाद में फरक्का को सिंचाई परियोजनाओं के लिए पानी की आवश्यकता	Requirement of Water for Irrigation Projects from Allahabad to Farakka	63
3805.	केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें	Meetings of Central Hindi Advisory Committee	64
3806.	सूक्ष्म तरंग प्रणाली	Microwave system	64
3807.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य परामर्शदाता का विदेशों का दौरा	Foreign Tours of Managing Director and Chief Consultant of NIDC	63—68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3808.	सीमेंट का आयात करने से एजेंटों द्वारा दिल्ली क्षेत्र में इंकार	Refusal for Import of Cement into Delhi Territory by Agents	68
3809.	पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजली घर	Atomic Power Station in West Bengal	68—69
3810.	एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री के सर्वेक्षण का प्रतिवेदन	Report of Survey by Association of Indian Engineering Industry	69—70
3811.	तमिलनाडु में टेलीफोन कनक्शन	Telephone Connections in Tamil Nadu	70
3812.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम में प्रबंध निदेशक का पद	Post of Managing Director in National Textile Corporation	70—71
3813.	अजध्या टेक्सटाइल मिल, दिल्ली में सी० ई० ओ० का पद	Post of CEO in Ajudhia Textile Mill, Delhi	71
3814.	डाकघरों में नियतकालिक जमा खातों का खोला जाना	Opening of Time Deposit Accounts with Post Offices	72
3815.	पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एस० ए० एक्स० टेलीफोन ऐक्सचेंज का खोला जाना	Opening of SAX Telephone Exchanges in hilly and backward areas	72
3816.	पांचवीं योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाना	Finalisation of draft Fifth Plan	72—73
3817.	वर्ष 1972–73 से जुलाई, 1974 तक सिंचाई और बिजली योजनाओं का मंजूर किया जाना	Sanction of Irrigation and Power Schemes from 1972-73 to July, 1974	73
3818.	यूनियनों के बीच प्रतिद्विन्दता के कारण दामोदर घाटी निगम में संकट	Crisis in DVC due to inter union rivalries	73
3819.	आशीश मुखर्जी द्वारा नेताजी बोस पर बनाये चलचित्र का दिखाया जाना	Screening of film on Netaji Bose by Shri Ashia Mukherjee	73—74
3820.	स्वर्गीय रासबिहारी बोस और उनके सहयोगियों के प्रति आदर प्रकट करना	Honouring the late Rashbehari Bose and his colleagues	74
3821.	प्रक्षेपण विज्ञान के विकास के लिये आई०बी०एम० तथा आई०सी०बी० एम० का उत्पादन	Production of I.B.M. and I.C.B.M. for Development for Science of Projectiles	74—75

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3822.	अच्छी किस्म की फिल्मों का उत्पादन	Production of quality Films	75
3823.	'पावर फेमिन स्मोदर्स इंडस्ट्रीज इन बंगाल शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned Power Famine smoothers industry in Bengal · ·	75—76
3824.	भारत में उद्योगों द्वारा 'टर्न की' आधार पर विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त किया जाना	Foreign know how on Turn key basis sought by Industries in India · ·	76—77
3825.	नागालैंड के गांवों में कर्फ्यू	Curfew in Nagaland Villages · · · ·	77
3826.	उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगारों और बेरोजगार इंजीनियरों का नौकरियों में खपाया जाना	Absorption of Educated Unemployed and Unemployed Engineers in Orissa ·	77—78
3827.	पांचवीं योजना में उड़ीसा में भूमि की सिंचाई	Irrigation of Land in Orissa in Fifth Plan · ·	78
3828.	"22 हरिजन फैमिलीज लीव विलेज" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News item captioned "22 Harijan Families Leave Villages" · ·	78
3829.	बूढ़े, निर्बल और विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिये आवास केन्द्र	Homes for Aged, Infirm and Physically Handicapped Freedom Fighters ·	79
3830.	स्वतंत्रता सेनानियों के लिये आवास केन्द्रों में भर्ती	Admission to Homes for Freedom Fighters ·	79—80
3831.	रीवा, मध्य प्रदेश, में आकाशवाणी केन्द्र की इमारत और ट्रांसमीटर का निर्माण पूरा होना	Completion of building and transmitter of AIR Station at Rewa, M.P. ·	80
3832.	श्वेत बाघ पर डाक टिकट जारी करना	Postal stamp on white tiger	80
3833.	बाणसागर बांध परियोजना	Bansagar Dam Project ·	81
3834.	जनार्दन मिश्र परमेश, जिन्होंने 1921 क आन्दोलन में भाग लिया था, को उनकी भूमि वापस दिलाना	Restoring land to Janardan Mishra Parmesh who took active part in 1921 movement · ·	81
3835.	उत्तर प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई	Supply of cement to Uttar Pradesh · · ·	81—82
3836.	राजमहल डिवीजन के भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना	Indian Citizenship for former East Pakistan refugees in Rajmahal Division	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3837.	कलकत्ता में नए टेलीफोन कनेक्शन	New Telephone connections in Calcutta . .	82—83
3838.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई श्रमिकों और कर्मचारियों की मांग	Demands of Workers and Employees of the Bhabha Atomic Research Centre, Bombay . . .	83—84
3839.	रक्षा मंत्रालय में उधार लिए स्टेनोग्राफरों को खपाया जाना, स्थाई किया जाना तथा उनकी वरीयता का निर्धारण	Absorption, Confirmation and fixation of Seniority of Loanee Stenographers in Ministry of Defence	84
3840.	मंत्रालयों में सलाहकारों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age of Advisers in Ministries . .	85
3841.	राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों की आकाशवाणी और टेलीविजन पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अवसर	Opportunity to Candidates for Presidential Election to Explain their Election Perspectives on AIR and TV	85
3842.	कोल्लेगल तालुक, मैसूर जिला (कर्नाटक) में उदुथोर परियोजना की मंजूरी	Sanction for UDUTHORE Project in Kollegal Taluk in Mysore District (Karnataka) . . .	85—86
3843.	गणेश, फ़लोर मिल्स, दिल्ली के अधीन बिजली के पंखे बनाने के कारखाने का फिर से चालू किया जाना	Reopening of Electrical Fan Unit under General Flour Mills, Delhi . .	86
3844.	सिनेमा तथा ग़ैर-सरकारी वाणिज्यिक भवन बनाने पर प्रतिबंध	Ban on construction of Cinema and Private Commercial Buildings .	86—87
3846.	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का पांडिचेरी में कर्मचायों पर लागू किया जाना	Application of Third Pay Commission Recommendations to Staff in Pondicherry . . .	87—88
3847.	टेक्नीकलर प्रिंट कराने के लिय 'बाबी' फिल्म के नेगेटिव चित्रों को ब्रिटेन भेजा जाना	Sending of Negatives of Film Bobby to U. K. for making Technicolour Prints	88
3848.	'बुलेट प्रूफ' कांच का उत्पादन	Production of Bullet Proof Glass . . .	89
3849.	स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराये जाना के बारे में समाचार	News Report on Unfurling of Flag on Independence Day . . .	89
3850.	टेलीफोन बिलों का जारी किया जाना	Telephone Bills . .	89—90

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3851.	कोका कोला बोटलर्स द्वारा भारतीय नाम से ओरेंज और सोडा बनाया जाना	Production of Orange and Soda with Indian Brand name by Coca Cola Bottlers . . .	90
3852.	कोका कोला बोटलर्स द्वारा भारतीय नामों से सोफ्ट पेय पदार्थों का उत्पादन	Production of Soft Drinks with Indian Names by Coca Cola Bottlers .	90—91
3853.	ग्लैक्सो लैबेरट्रीज लिमिटेड द्वारा बिस्कुटों का बनाया जाना	Manufacture of Biscuits by Glaxo Laboratories Limited	91
3854.	अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाली कम्पनियां	Companies Manufacturing in Excess of their Licenssed Capacity .	91—92
3855.	ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा लाइसस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन	Production in Excess of Licensed Capacity by Britannia Biscuit Company . . .	92—93
3856.	टेलकम पाउडर और 'थ्रोट लोजन्जिज' के निर्माण के लिये ग्लैक्सो लैबोरेटरीज को लाइसेंस देना	Licence to Glaxo Laboratories for Manufacture of Talcum Powder and Throat Lozenges .	93
3857.	अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जन जातियों का आदेश (संशोधन) विधयक	Scheduled Castse and Scheducled Tribes Orders (Amendment) Bill .	93
3858.	'जोगी' जाति क व्यक्तियों का उत्थान	Upliftment of Persons belonging to Jogi Caste .	93
3859.	इलैक्ट्रिक फिलामेंट लम्प	Electric Filament Lamp .	94
3860.	पंजाब में टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities in Punjab	94—95
3861.	'इंदिरा ब्रिगेड' तथा 'नेहरू ब्रिगेड' की गतिविधियां	Activities of Indira Brigade and Nehru Brigade	95—96
3862.	पुलिस के अधिकारियों के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण	Specialised Training for Police Officers . .	96
3863.	विदेशी नियंत्रित टायर तथा ट्यूब कम्पनियों के लाभ तथा लाभांश	Profits and Dividends for Foreign controlled Tyre and Tube Company .	96—97
3864.	नर्मदा जल विवाद का मामला न्यायधिकरण को भजना	Reference of Narmada Water Disputes to Tribunal	97—98

अता० प्र० विषय U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
3865.	जमाखोरी, चोर बाजारी तस्करी, और मिलावट के लिए गुजरात में गिरफ्तारियां	Arrests in Gujarat for Hoarding Blackmarketing Smuggling and Adulteration . . .	98
3866.	पांचवीं योजना में उद्योग में अतिरिक्त क्षमता	Additional Capacity in Industry during Fifth Plan	98
3867.	व्यावसायिक किस्म के फराइटों और इलक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में कारखाने की स्थापना	Setting up of Public Sector Unit for Manufacture of Professional Grade Ferrites and Electronic Components . . .	99
3868.	सीमेंट के लिये सोल एजसीं पद्धति को समाप्त करना	Abolition of Sole Agency System for Cement .	99
3869.	पोस्टल स्टेशनरी की छपाई	Printing of Postal Stationery	100
3870.	राज्यों में अनुसंधान कार्यक्रम	Research Programmes in States . . .	100
3871.	उद्योग और कृषि के अवशिष्ट पदार्थों को पुन: प्रयोग में लाने संबंधी योजना	Plan to Recycle waste from Industry and Agriculture	101
3872.	कृषि संबंधी फालतू उत्सवों से खाना बनाने के काम आने वाली गैस और ईंधन तल	Gas and Fuel oil for cooking purposes from Agricultural Wastes . . .	102
3873.	नागालैंड में सैनिक कार्यवाही बंद किए जाने का नागालैंड के मुख्य मंत्री का सुझाव	Suggestion from Chief Minister of Nagaland to end Military Operations in Nagaland . .	102
3874.	प्रमुख कच्चे माल की कमी का भारतीय औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Shortage of Major Raw Materials on Indian Industrial Production .	102—103
3875.	पांचवीं योजना में कृषि सुधार	Agrarian Reforms during Fifth Plan . .	103
3876.	गया में कागज का कारखाना	Paper Mill in Gaya	104
3877.	केरल में 'साइलेंट वेली स्पिल ओवर योजना के लिये व्यवस्था	Provision for Silent Valley Spill Over Scheme in Kerala . . .	104
3878.	टेक्नाक्रेटस तथा आई० ए० एस० अधिकारियों के वेतनमानों में असमानता	Disparity in Pay Scales of Technocrat and IAS Officers	104—105
3879.	सिक मैनेजमैंट आफ सिक मिल्स	Sick Management of Sick Mills . . .	105

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पेज PAGES
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Adjournment Motion (Query) . . .	106
	विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privileges—	
	कतिपय फर्मों को लाइसेंस जारी किये जाने संबंधी अभ्यावेदन पर कुछ संसद सदस्यों के कथित हस्ताक्षरों के बारे में वाणिज्य मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिये गये कतिपय वक्तव्य	Certain statements made by the Minister of Commerce in Rajya Sabha re. alleged signatures of some M.Ps. in a representation for issue of licences .	106—125
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	115—118
	संसदीय समितियां—कार्य का सारांश	Parliamentary commodities —Summary of Work— Laid . . .	119
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . . .	119
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolution . .	119
	पेंतालीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Forty fifth Report—Presented . . .	119—120
	संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirty Second Amendment) Bill—	120
	राज्य सभा के एक सदस्य की संयुक्त समिति में नियुक्ति	Appointment of a Member of Rajya Sabha to Joint Committee . .	120
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee . . .	121
	सैंतालीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत हुआ	Forty Seventh Report— adopted . . .	121
	उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक—	Statutory Resolution Re. Disapproval of the Industries (Development and Regulation Amendment Ordinance, 1974 and Industries (Development and Regulation) Amendment Bill .	122
	संकल्प पर विचार करने और विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के प्रस्ताव	Motions to consider the Resolution and Bill as passed by Rajya Sabha	122

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No. विषय	SUBJECT	पेज PAGES
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	122
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	Shri Ziaur Rahman Ansari . . .	123
श्री नुरुल हुड्डा	Shri Noorul Huda	124
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	125
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	125
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	126
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E.R. Krishnan . .	126
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	127
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta .	127
श्री श्याम सुन्दर महापात्रा	Shri Shyam Sunder Mohapatra	127
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade .	128
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	128
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia . . .	128
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	129
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga .	129
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel	129
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	129
खंड 2, 3 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	Clauses, 2, 3, and 1 Motion to Pass . . .	131—132
श्री जियाउर्रहमान अन्सारी	Shri Ziaur Rahman Ansari	133
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	133
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta .	133
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	133
एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और	Statutory Resolution Re. Disapproval of the Alcock Ashdown Company Limited (Acquisition of undertakings) Amendment Ordinance, 1974 and	

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No. विषय	SUBJECT	पेज PAGES
एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक—	Alcock Ashdown Company Limited (Acquisition of Undertakings) Amendment Bill . . .	134
संकल्प पर विचार करने और विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider the Resolution and Bill, as passed by Rajya Sabha .	134
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	134
श्री दलबीर सिंह	Shri Dalbir Singh .	134
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	134
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	135
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	135
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni .	136
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai . . .	136
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan .	137
खंड 2, 3 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	Clauses 2, 3 and 1 Motion to pass . .	138-139
श्री दलबीर सिंह	Shri Dalbir Singh	139

M/P(D)101LSS—2

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 28 अगस्त, 1974/6 भाद्र, 1896 (शक)
Wednesday, August 28, 1974/Bhadra 6, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्न काल का निलम्बन
Suspention of Question Hour

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, I beg to move a motion under Rule 388. I may kindly be allowed to move the motion. **(Interruptions)** I can give the reasons for that.

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बैठ जाइए ।

यह प्रस्ताव प्रश्न काल को समाप्त करने के बारे म है । इसका नोटिस श्री मधु लिमये, श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री श्यामनन्दन मिश्र और श्री वाजपेयी ने दिया है । इसका निर्णय सदन करेगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Madhu Limaye: First of all, you kindly allow to move the motion and make a brief submission. **(Interrputions).**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने के लिये नहीं कह रहा हूं । आप सब पहले बैठ जाइए ।

श्री ज्योतिर्मयबसु : तीस तारीख को....

अध्यक्ष महोदय : व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है । आप अपना प्रस्ताव पेश कीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : जिन सदस्यों ने प्रस्तावों का नोटिस दिया है, उन्हें प्रस्ताव पेश करने की कृपया अनुमति तो दीजिये ।

श्री वसन्त साठे : प्रस्ताव पेश करने के लिए भी तो अनुमति जरुरी है । आप इस बारे में विचार करिए कि मंजुरी दी जाती है या नही एसी क्या जल्दी है ? प्रश्न काल समाप्त करने के लिए कोई कारण नहीं बताये गए है एक घण्टे में आसमान तो टूट नहीं पड़ेगा। ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: First of all, you allow us to make out the case, you can then decide, this House could decide. We want to tell you about the urgency, no matter whether you admit the motion or not.

Mr. Speaker: It is very interesting. You say that the question hour be dispensed with. Discussion may also be allowed to dispense with the question hour, if this discussion goes on for one hour, the question hour is automatically dispensed with. You directly move your motion and I would put it to the vote of the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियम 388 के अधीन प्रस्ताव पेश करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आपने अनुमति दे दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सदन के समक्ष मेरे स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रश्न काल को स्थगित कर दिया जाय।"

अपने प्रस्ताव के समथन में म कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा।

Shri Madhu Limaye : How could the House take a decision until we give the reasons for the same ? Three persons have given the notice and you kindly allow two or three minute to each of them and it would not take more than ten minutes.

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को दो मिनट का समय देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 30 मार्च, 1974 को 'ब्लिटज' में प्रकाशित एक समाचार में यह बात कही गई है कि 21 संसद सदस्यों की सिफारिश पर विदेश व्यापार मन्त्रालय में उन सात फर्मों को लाइसेन्स दिए जिन पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ था। बाद में विदेश व्यापार मन्त्रालय के किसी अधिकारी ने उन संसद सदस्यों से पूछताछ की, जिन्होंने हस्ताक्षर किये थे और उनमें से अनेक ने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने हस्ताक्षर किये थे। परन्तु एक संसद सदस्य ने—सम्भव है कि मैं गलती पर होऊँ, तो इस बात की जांच की जा सकती है और सही बात का पता लगाया जा सकता है—ऐसा लगता है कि श्री तुलमोहन राम ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने डेढ़ लाख रुपये लेकर उस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। मैं यह निवेदन करता हूं कि इसके लिए एक समिति नियुक्त की जाय और इस बीच फाइलों को जब्त कर लिया जाय।

उसी सन्दर्भ म, कल....

अध्यक्ष महोदय : बहस की कोई जरूरत नहीं। आप अपना प्रस्ताव पेश कीजिए।

श्री ज्योतिमय बसु : कल दूसरे सदन में वाणिज्य मंत्री ने 21 संसद सदस्यों के नाम बताए थे....

अध्यक्ष महोदय : इस समय बहस करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और यह कहा कि वाणिज्य मन्त्रालय को ज्ञापन प्राप्त हुआ था। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप कहते है कि जल्दी की क्या जरूरत है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि

पहली अधिसूचना में कुछ त्रुटि थी और त्रुटि को ज्ञापन के आधार पर दूर किया गया। पीठासीन अधिकारी सम्मलन ने पहले ही यह निर्धारित कर रखा है . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सबकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने अगले सदस्य श्री श्याम नन्दन मिश्र से बोलने के लिए कहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा निवेदन यह है कि कल दूसरे सदन में जो घटनायें हुई हैं और जिनसे इस सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा और सम्मान को धक्का पहुँचा है और सारे सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान प्रभावित हुआ है, उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रश्न-काल को समाप्त करने की आवश्यकता है . . . .

श्री समर गुह : और अध्यक्ष जी की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुँचा है। . . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र: इसलिए मैं दूसरी ओर बैठे हुए अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में बहस को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। वस्तुतः इसमें उनके सम्मान का प्रश्न निहित है, क्योंकि इसमें उनके सदस्य अर्न्तग्रस्त है—सदन के विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य इसमें अर्न्तग्रस्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले पर शीघ्र ही बहस करने के लिए आप अनुमति दें और प्रश्न-काल को रोजाना की तरह प्रारम्भ न करें। जब मैंने यह कहा कि इसमें सदन के सदस्यों अथवा स्वयं सदन की ही प्रतिष्ठा और मर्यादा अर्न्तनिहित है, तो साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें स्वयं सरकार की प्रतिष्ठा अर्न्तनिहित है। सदन मुझसे इस बात में सहमत होगा, अगर मैं आँकड़े देकर यह कहता हूं कि इस सदन के चार से पाँच प्रतिशत सदस्य इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं। अगर 20 या 25 सदस्य अन्तर्ग्रस्त हैं, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त सदस्यों की संख्या 5 प्रतिशत हो जाती है। आज लोग यह कहते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार की दलाली करते हैं और हम सभी शराब को बढ़ावा देने में रूचि रखते हैं, जो हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। मैं यह चाहता हूं कि आप इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या इस मामले पर तुरन्त विचार किया जाय या नहीं ?

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, this motion is bieng moved, because this is a abnormal situation. Most of the members have told the C.B.I. that their signatures were not genuine and despite that fact, the Commerce Minister Shri Chattopadhyaya had mentioned their names in Rajya Sabha. Eighteen members out of them have denied later on in their statements that they had not signed the memorandum. But, I have come to know that one of the members—Shri Tul Mohan Ram has told the C.B.I. that his signatures are genuine. Now two questions arise. Now, the remaining members, who have not actually signed, have been alleged to have signed and those who have actually signed, have not only insulted this House, but they have also played a foul game by involving other members of the House and lowering the prestige of the entire House.

I have come to know today that these seven persons who have been given licences worth thirty lakhs of rupees are very shady characters and they were indulging in trafficking in licences by violating all the rules. It is a very serious offence and all of them are indulging in it. Is it a normal situation ? One of the members admits that his signatures are genuine and the remaining members say that they had not signed any such document. It is a clear case of forgery done by an Honourable Member and the former Minister incharge

of Foreign Trade Ministry—Shri L.N. Mishra. This matter should, therfore, be enquired into. There should be immediate discussion. I do not say that the decision be taken in a haste. All the persons should be heared and these persons should be given a chance for personal explanation. Eighteen persons have said that their signatures are not genuine. Honourable Shri Sathe is not perturbed, but we are perturbed.

श्री वसन्त साठे : महोदय, मैं भी उनकी तरह ही परेशान हूं । क्या उसके लिए भी प्रश्न काल को समाप्त कर दिया जाय ?

Shri Madhu Limaye : Is it an ordinary matter to forge the signatures of eighteen M.P.s? It is an extraordinary situation.

Shri Vasant Sathe : His main object is to tarnish them.

श्री मधु लिमये : श्री मिश्र और इस सदन में उनके पिछलगुओं का बचाव करने का प्रयास न कीजिए ।

श्री वसन्त साठे : आपका काम ही है हरेक के खिलाफ आरोप लगाना । हमारा काम इस सदन की प्रतिष्ठा को बचाना है । (व्यवधान)

Shri Madhu Limaye : Shri Kanungo had also said this very thing and I had been indicated by facts.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, It is not a party matter and I would like to tell my Congress friends that this entire issue relates to the dignity of the House. Even if a single member of this House is involved in any controversy in the press and allegations are made against his conduct, it is an attack on the dignity of the entire House and the sooner the member clears himself of the allegations through an enquiry, the better it would be for the members themselves, this House and the Parliamentary democracy as well. Today's newspapers have published the names of 21 members of Lok Sabha on their front pages. Their names have been published not because they had given a very good speech yesterday or they had made a very good contribution in the proceedings of the House. But their names have been published as their names had been mentioned in the other House and they were alleged to have recommended the issuing of licences. Then it was stated that signatures of eighteen members were not genuine. It was also stated that C.B.I. is enquiring into the matter. The most important thing is that the Members had themselves said that their signatures were not genuine. The enquiry is yet to be held to find out whether their signatures were genuine or not. The Prime Minister has reprimanded the Minister of Commerce for placing the facts before Parliament. It has been reported in the papers and the Prime Minister may contradict it, if she wishes to do so. After all the Commerce Minister has done his duty. If an M.P. is wrongfully alleged to be involved, would his name not be mentioned? Not only that, the Members whose names had been mentioned had threatened the Commerce Minister that if a statement clarifying the position regarding their names was not issued, they would

demand his resignation. These Members belong to this House, you should therefore, appoint a Committee to enquire into the whole matter and submit a report immediately and if these Members are really innocent, their innocence should be proved at the earliest. We are, therefore, demanding that question hour should be dispensed with.

श्री भागवत झा आजाद : हम यह कहना चाहते है कि हम भी इस बारे में समान रूप से चिन्तित हैं, क्योंकि यदि किसी एक सदस्य के जाली हस्ताक्षर बनाये गये हैं, तो किसी के भी जाली हस्ताक्षर बनाये जा सकते हैं। हम भी इस मामले को गम्भीरता से ले रहे हैं और हम भी इसे उठाना चाहते है। लकिन इसके लिए प्रश्न-काल को समाप्त करने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न काल को हो जाने दीजिए उसके बाद उक्त मामले को उठाया जा सकता है। हमने इस मामले को विरोधी पक्ष के सदस्यों की अपेक्षा अधिक गम्भीरता से लिया है। प्रश्न काल क बाद इस मामले को उठाया जाय।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : यह एक गम्भीर मामला है और विरोधी पक्ष के सदस्यों की तरह हम भी इस बारे में चिन्तित हैं। उन्होंने यह कहा है कि इसे पार्टी का मामला न बनाया जाय। मझे इस बात की आशंका है कि इसे पार्टी का मामला बनाया जा रहा है।

इस लिए, मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न काल को समाप्त करने की और सभी प्रकार के पूर्व उदाहरणों की समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न-काल समाप्त हो जाने दीजिए। इससे मामले के बारे में समुचित जांच करने म हम उनका समर्थन करेंगे।

Mr. Speaker: If whole time has to be spent by discussing like that it would amount to suspension of the Question Hour.

What is the sense of the House?

श्री वसन्त साठे : जी नहीं, इसे समाप्त न किया जाय।

श्री के० रघुरमैया : प्रश्न काल को समाप्त न किया जाय।

कुछ माननीय सदस्य : प्रश्न-काल को समाप्त न किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मझे खेद है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम चाहते हैं कि इस पर मतदान किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य प्रस्ताव के समर्थक हैं, वे 'हाँ' कहे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हमने लिखित रूप में प्रस्ताव दिया है और हम चाहते हैं कि इस पर मतदान किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर मतदान करने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कृपया मतदान होने दीजिए।

श्री के० रघुरमैया : विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरह इस ओर के सदस्य भी इस बारे में समान रूप से रुचि रखते हैं। इसे निश्चित रूप से उठाया जा सकता है। परन्तु प्रश्न-काल को समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। इसे सामान्य रूप से उठाया जा सकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम इस पर मतदान लिये जाने की मांग करते हैं।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दिया गया प्रस्ताव...

श्री समर गुह : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री वसन्त साठे : वह अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने में कम से कम आधा घन्टा तो लेंगे ही।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सारे प्रश्न-काल को इसी प्रकार समाप्त करना चाहते ह ? उनका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? मैं अब प्रस्ताव पर मतदान कराता हूँ।

श्री समर गुह : क्या मैं उनकी धौंस में आ जांऊँगा ? क्या मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : सदन की आम राय प्रश्न-काल को समाप्त करन के बारे में नहीं है और इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी अभी संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा कि इस मामले में जल्दी करन की कोई जरूरत नहीं है....

श्री के० रघुरमैया : मैं ने यह नहीं कहा।

श्री समर गुह : कि प्रश्न काल को समाप्त किया जाय। यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक मामला इसलिए है कि देश को और जनता को इस बात का पता चलना चाहिए कि इस सदन के सभी सदस्य इस सदन की प्रतिष्ठा और सदस्यों के सम्मान के बारे में चिन्तित हैं। जनता को इस बात का पता लगना चाहिए कि सदस्यों ने इस मामले को इतनी अधिक गम्भीरता से लिया कि इस सदन की प्रतिष्ठा, पीठासीन अधिकारी की प्रतिष्ठा और इस सदन क सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित मामले पर विचार करने के लिए उन्होंने प्रश्न काल को भी समाप्त कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इस प्रस्ताव पर मतदान लेने जा रहा हूँ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब आप इस प्रस्ताव पर सदन में मतदान लेने जा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न-काल को समाप्त करने के बारे में निर्णय सदन में मतदान लेकर न किया जाय, क्योंकि इस प्रकार आप एक खतरनाक पूर्व-उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए–कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जो सरकार क प्रतिकूल हो, और हम यह प्रस्ताव लेकर आयें कि प्रश्न काल को समाप्त कर दिया जाय और बहुमत के बल पर अगर हम उस प्रस्ताव को पास कर लेते हैं, तो मेरे विचार में सदन के प्रति यह एक गम्भीर अन्याय होगा। नियम 388

इसकी अनुमति नहीं देता। उस नियम में यह कहा गया है कि कोई भी सदस्य, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, यह प्रस्ताव पेश कर सकता है कि किसी प्रस्ताव विशेष के बारे में किसी भी नियम को निलम्बित कर दिया जाय। इसका मतलब यह हुआ कि नियम 388 आपको केवल किसी प्रस्ताव से सम्बन्धित नियम को ही निलम्बित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, नियमों में इस बात का प्रावधान है कि किसी प्रस्ताव को दो दिन पहले या दो घंटे पहले दिया जाना चाहिए आदि। उदाहरणार्थ सम्भव है आज मेरे मित्रों ने ठीक समय पर प्रस्ताव न दिया हो। वे यह कह सकते हैं कि विशेष परि-स्थितियों के कारण इससे सम्बन्धित नियम को निलम्बित कर दिया जाय। उसकी अनुमति दी जा सकती है। नियम 388 आपको प्रश्न-काल को समाप्त करने का अधिकार नहीं देता। निस्सन्देह नियम 32 के अधीन अध्यक्ष महोदय के अधिकार-क्षेत्र में प्रश्न-काल समाप्त करने का अधिकार आता है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि :

> "जब तक अध्यक्ष महोदय अन्य का निदेश न दें, प्रत्येक बैठक का पहला घन्टा प्रश्न पूछने के लिए उपलब्ध रहेगा।"

इसलिए, यह आपकी स्वेच्छा पर छोड़ा हुआ है। मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि संसदीय लोकतन्त्र के विकास के लिए, प्रश्न-काल को समाप्त करने का निर्णय सदन की मर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि विरोधी पक्ष आज अपनी बात को ऊँची रख सकता है, फिर यह भी सम्भव है कि बहुमत इस प्रकार के पूर्व-उदाहरण का सहारा लेकर अल्प मत की आवाज को दबा सकता है। इसलिए यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय की स्वेच्छा पर छोड़ा जाना चाहिए। नियम 388 के अधीन आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। आप नियम 32 के अधीन निर्णय ले सकते हैं और हम उसका पालन करेंगे।

नियम 388 किसी प्रस्ताव के बारे में ही नियम को निलम्बित करने की अनुमति देता है, यह आपको विधेयकों से सम्बधित किसी नियम, संकल्प से सम्बन्धित नियम और प्रश्न काल से सम्बन्धित नियम को निलम्बित करने की अनुमति नहीं देता। इसलिए आप जो भी निर्णय लेंगे, हम उसका पालन करेंगे परन्तु इसका निर्णय सदन द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

श्री श्यामानन्दन मिश्र : हमने प्रश्न काल से सम्बन्धित नियम को निलम्बित करने के लिए कहा है और उसका परिणाम यह होगा कि अगर नियम को निलम्बित किया जाता है, तो प्रश्न काल भी निलम्बित हो जाता है। इसमें इतना ज्यादा समय लेने की क्या आवश्यकता है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : इस विशेष नियम के निलंबन का एक प्रस्ताव है। जिस मामले पर वे चर्चा करना चाहते हैं वह अविलम्बनीय है क्योंकि जिन किन्हीं भी संसद-सदस्यों का नाम सही अथवा गलत रुप से इस मामले के साथ जुड़ा हुआ है उन्हें सामने आकर बताना होगा कि संसद सदस्य उस सीमा तक भ्रष्ट नहीं हैं। यह एक बहुत नाजुक मामला है और मैं चाहता हूं इस पर चर्चा की जाए लेकिन इस मामलें से एक प्रश्न काल महत्वपूर्ण है। कल और परसों श्री साहा ने रेलवे हड़ताल के दौरान रेलवे द्वारा विज्ञापनों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रश्न पूछा था। आपने निर्णय किया था कि इसे प्राथमिकता दी जाएगी। 21 संसद सदस्यों अथवा श्री एल० एन० मिश्र का मामला— (व्यवधान)

मैं आशा करता हूं कि सदन की नेता इस मामले पर चर्चा करने का उचित अवसर प्रदान करेंगी ताकि आज सबके सन्देह का निराकरण हो सके। लेकिन इस मामले पर रेलवे हड़ताल के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा विज्ञापनों पर किए गए व्यय के संबंध में उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे दिए जाने के बाद ही चर्चा की जा सकती है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन हम सबने आपसे अनुरोध किया था कि इस मामले को पहले लिया जाना चाहिये प्रश्न काल के बाद श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध भेजे गए विशेषाधिकार प्रस्ताव को, जिसे स्वीकार कर लिया गया है, लिया जाना चाहिए और शेष समय उस मामले पर जिसके साथ 21 संसद सदस्यों का नाम जुड़ा हुआ है, चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मयबसु ने स्पष्ट रुप से उल्लेख किया है कि नियम 388 के अंतर्गत नियम का निलंबन किया जाना चाहिए, प्रश्न काल के निलम्बन का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने इस विषय को नियम 388 के अंतर्गत लिया है और मेरे पास भी इसे सदन के समक्ष रखने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हैं। यदि यह भिन्न मामला होता तो इस पर सदस्यों की राय ली जा सकती थी। श्री गोस्वामी इसका विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि यह मामला 388 के अन्तर्गत नहीं आ सकता उन्होंने मुझसे नियम 32 के अंतर्गत स्वविवेक का प्रयोग करने क लिए कहा है। यह प्रत्यक्ष रूप में नियम 388 के अंतर्गत आता है। उन्होंने मुझे स्वविवेक प्रयोग में लाने के लिए नहीं कहा। वह नियम 388 के अंतर्गत इसे ला रहे हैं अतः मैं इसे अब कैसे मना कर सकता हूं। मैं इसे सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं :

प्रश्न यह है :

> "कि प्रश्नकाल को जहां तक यह श्री ज्योतिर्मय बसु के स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव पर, जो सभा के समक्ष है, लागू होता, निलंबित किया जाए।"

सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : मतदान का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	41	**विपक्ष में**	128
Ayes		Noes	

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नों को लेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Oral Answers to Questions

स्वतंत्रता सेनानी आवास केन्द्रों में सुविधाएं

*529. श्री एस० एम० सिद्दया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बूढ़े, निर्बल, बीमार और विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिये प्रस्तावित आवास केन्द्रों में भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की सरकार द्वारा किस प्रकार की देखभाल किये जाने का निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : "आवास केन्द्रों" में निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :

(क) भोजन तथा आवास

(ख) निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था

(ग) मनोरंजन तथा अध्ययन कक्ष की सुविधायें।

योजना की एक प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8321/74]

श्री एस० एम० सिद्दया : सभा पटल पर रखे गय विवरण से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिल्ली और पांडिचेरी में दो आवास गृह खोलने का प्रस्ताव है। क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ऐसे गृह बनाने का सुझाव दिया है। इस सुझाव के अनुसरण हेतु कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में ऐसा एक गृह खोलने का विचार किया है किन्तु धनाभाव के कारण इस दिशा में कार्य नहीं हो सका।

श्री उमाशंकर दीक्षित : सरकार ने शुरु म, जब तक कि पक्का इन्तजाम नहीं होता एक उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में तथा दूसरा दक्षिण क्षेत्र हेतु पांडेचेरी में अथवा स्वतंत्रता सेनानियों की सुविधानुसार या विशेष परिस्थितियों में अन्यत्र दो आवास गृह बनाने का निर्णय किया है। हमने सभी राज्य सरकारों से प्रत्यक राज्य में स्वतंत्रता-सेनानियों हेतु एक जैसा गृह अथवा अन्य उचित गृह खोलने पर विचार करने के लिए कहा है। इस मामले पर राज्य सरकारें विचार कर रही है और अभी तक इस संबंध में हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री एस० एम० सिद्दया : क्या सरकार ने इन गृहों में प्रवेश हेतु स्वतंत्रता सेनानियों से आवेदन मांगे हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमें कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है। हमने सभी राज्य सरकारों को लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि वह ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का, जिनको इन गृहों में प्रवेश दिया जा सकता है, नाम भजे तथा उनकी प्राथमिकता-सूची भी बताएं। हम देखगे कि वर्तमान आवास व्यवस्था पर्याप्त भी है अथवा नहीं। हम दिल्ली में 2 अक्टूबर को ऐसा गृह खोलेंगे। पांडेचेरी वाले गृह को भी शीघ्र ही खोला जाएगा। मेरा विचार है कि इन दो गृहों में हम प्रायः सभी अभ्यार्थियों को स्थान देने में समर्थ होंगे परन्तु इस संबंध में निश्चय रुप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम देखेंगे कि अभ्यार्थियों की संख्या कितनी है।

श्री प्रबोध चन्द्र : 'स्वतंत्रता सेनानी' शब्द काफी अस्पष्ट है विभिन्न राज्यों में इसकी व्याख्या भिन्न भिन्न है अतः मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यह स्पष्ट करें कि वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : केवल वही स्वतंत्रता सेनानो कहलायेंगे जिनकी परिभाषा सरकार द्वारा अनुमोदित योजना में दी गई है। वही व्यक्ति इस गृह में प्रवेश के पात्र हैं।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह दोनों गृह पूरी तौर से केन्द्रीय सरकार द्वारा ही चलाए जायगे और इसका प्रबंध किस प्रकार की समिति करेगी ? दूसरे क्या भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रवेश की संख्या के संबंध में भी कोई सीमा लगाई जाएगी ? तीसरे क्या सरकार पश्चिम बंगाल के गृह को जोकि चालू किया जा चुका है, कोई कन्द्रीय सहायता देगी ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन दोनों गृहों में 25-25 स्वतंत्रता सेनानियों को स्थान दिया जाएगा। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इन गृहों में प्रवेश पा सकेंगे उसका उल्लेख विवरण में है। इन गृहों के प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने में हम, यदि मिल सके तो स्वतंत्रता सेनानी को ही प्राथमिकता देना चाहेंगे। जहां तक पश्चिम बंगाल स्थित गृह का संबंध है, पश्चिम बंगाल सरकार इसे स्वयं चला रही है और हम उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से कोई सूची प्राप्त हुई है और यदि हां तो कितने राज्यों से ? क्या वह दिल्ली तथा अन्य स्थानों में प्रत्येक गृह में 25 स्वतन्त्रता सेनानियों को आवास देने के बारे में 25 वीं संख्या से संतुष्ट हैं ? इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : दोनों गृहों में कुल मिलाकर 50 स्वतंत्रता सेनानियों के आवास की व्यवस्था है। उनका चयन राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सूची के आधार पर किया जाएगा। हमें अभी किसी भी राज्य सरकार से कोई नाम प्राप्त नहीं हुआ है। हम शीघ्र ही उन्हें अनुस्मारिक भेजने का विचार कर रहे हैं। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है हमनें उन्हें परामर्श दिया है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि वह अपने प्रबंध के अंतर्गत अपनी योजनाओं के अंतर्गत ऐसे गृह खोले।

श्री जे० माता गोडर : इन लोगों के लिए कब तक नियमित गृह बन जाने की सरकार को आशा है और इनमें से कितने लोगों को यह गृह मिलेंगे।

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमें उन दो छोटे गृहों से, जिनको हम 2 अक्टूबर को खोलने जा रहे है, अनुभव प्राप्त होगा और वही आगे की योजना में हमारा मार्ग-दर्शन करेंगे पहला गृह दिल्ली में शीघ्र खुलने वाला है दूसरे पांडेचेरी वाले गृह को भी हम शीघ्र पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक स्थायी गृहों का संबंध है, अभी इस बारे में हमने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है। पहले गृहों से प्राप्त अनुभव ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे।

श्री धायनकर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह स्वतंत्रता-सेनानी, जिन्हें कि सरकार से पेंशन प्राप्त हो रही है, इन गृहों में प्रवेश पा सकते हैं तथा क्या इन गृहों में प्रवेश पाने के बाद भी उन्हें पेंशन प्राप्त करते रहने की अनुमति दी जाएगी ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : उन्हें अपनी पेंशन के एक भाग का योगदान करना होगा। इन गृहों में केवल वही व्यक्ति प्रवेश पा सकेंगे जिनका कोई रिश्तेदार या सहारा देने वाला नहीं होगा। जहां तक उन व्यक्तियों का संबंध है जो अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं उनका इन गृहों में प्रवेश पाने का प्रश्न हीं नहीं उठता। केवल ऐसे बेसहारा स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके पास रहने तथा भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है इन गृहों में प्रवेश दिया जाएगा। अभी हमने निर्णय नहीं किया है फिर भी उन्हें अपनी पेंशन का एक भाग गृह को देना होगा। क्योंकि यह पेंशन उन्हें उनके भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधाओं, मनोरंजन इत्यादि के लिए ही दी जाती है।

श्री श्यामानन्दन मिश्र : प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी पर कितना व्यय किया जाएगा इसका उल्लेख नहीं किया गया। सरकार का इन स्वतंत्रता सेनानियों पर कितना धन व्यय करने का विचार है ?

सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की पहली परिभाषा, जिसके आधार पर एक स्वतंत्रता-सेनानी को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है पर ही क्यों बल दे रही है ? कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं जो उस प्रकार की पेंशन लेना नहीं चाहते। क्या वह स्वतंत्रता सेनानी जो पेंशन के लिए दरखास्त देना उचित नहीं समझते, इन गृहों में प्रवेश पाने के हकदार होंगे ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : व्यय क संबंध में जो कुछ योजना बनाई गई है वह कुल बजट आवंटन इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। गृहों के लिए बजट राशि का अनुमान लगाया गया था, किन्तु यह एक अस्थायी व्यवस्था है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह गृह हमें निर्माण और आवास विभाग से मिले हैं। इन गृहों को गिराने के आदेश दिए जा चुके हैं उनकी मरम्मत की जा रही है और उन्हें रहने के काबिल तथा सुरक्षित बनाया जाएगा, अतः इन गृहों पर बहुत थोड़ा खर्च होगा। अधिकांश खर्च उनके भोजन, चिकित्सा सुविधाओं, मनोरंजन जैसे रेडियो अखबार इत्यादि पर होगा। मुझे खेद है कि इस समय मैं खर्चे के बारे में सही आंकड़े नहीं दे सका।

जहां तक प्रवश का संबंध है हम स्वतंत्रता सेनानियों की उसी परिभाषा को अपनायेंगे जिसके अन्तर्गत हम एक स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन देते हैं। कई मामलों में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने पेंशन के लिए दरख्वास्तें नहीं दीं हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ सहा भी है। ऐसे लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है और उन्होंने आत्म सम्मान के कारण पेंशन क लिए दरख्वास्त देना उचित नहीं समझा। ऐसे मामलों में उनके मित्रों उनके रिश्तेदारों से बातचीत की है। एक मामले में मैंने स्वयं दरख्वास्त दी या यूं कहिये कि मैंने पहल की। उदाहरण के लिए हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी ने कहा कि "मैं नहीं लिखूंगा" तब मैंने किसी और आदमी से उसके लिए भी औपचारिकताएं पूरी करवाई। लगभग आधा दर्जन मामलों में हमनें स्वयं कार्यवाही की जब हमें पता लगा कि अमुक व्यक्ति दरख्वास्त देने में झिझक महसूस कर रहें हैं।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, Sir, may I know the age-limit that has been fixed for the old freedom fighters who will be allowed to stay in these Homes.

Shri Uma Shanker Dikshit: 65 years.

Shri Shashi Bhushan: Is the Government going to make some special arrangements in hospitals for these freedom-fighters who have spent 25 to 30 years of their lives in jail and are quite infirm and ailing, though they have not attained the age of 65 years, they cannot stay in these Homes, so whether Government would make special arrangements for them in Hospitals?

Shri Uma Shankar Dikshit: Yes, Sir. We also propose to arrange for treatment of such freedom fighters as are below 65 years of age and are in a very bad state of health and hence they cannot be kept in these Homes.

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलवे द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाने पर किया गया व्यय

*529ए. **श्री अजित कुमार साहा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेलवे हड़ताल के दौरान और उसके तत्काल-पूर्व विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन देने पर पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) उन समाचारपत्रों के नाम क्या है जिनमे ये विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे और ऐसे प्रत्येक समाचारपत्र को कितनी धनराशि की अदायगी की गयी ;

(ग) क्या कुछ लेख भी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशन हेतु दिए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8322/74)

श्री मधु लिमये: I want to draw your attention towards direction 13-A.

Mr. Speaker: It was post-poned yesterday itself.

श्री सोम नाथ चटर्जी: अध्यक्ष को नियम 43 के अधीन निर्णय करना होता है कि अमुक प्रश्न नियमानुसार स्वीकर किया जा सकता है या नहीं ; इस प्रश्न को आपने स्वीकार कर लिया है अब मंत्री महोदय इस आधार पर उत्तर देने से इन्कार कैसे कर सकते हैं कि यह गोपनीय है ? क्या भारत की संचित निधि में से भुगतान को गोपनीय मामला समझा जा सकता है ? यदि संसद सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी कि भारत की संचित निधि में से किस प्रकार भुगतान किया जाता है तो हमारे काम का कोई लाभ ही नहीं है (व्यवधान) सरकार ने समाचार पत्रों के मालिकों को भुगतान किया है ।

Shri Madhu Limaye: I have objection on the reply given by him. It has been stated "Information regarding details of advertisements released to individual newspapers is treated as confidential between the Government and the individual newspapers". Estimates Committee and Public Accounts Committee can see it and Auditor can check it. You can see our own rule regarding confidentiality. It has been stated therein —

"It shall not ask for information regarding cabinet discussions or advice given to the President."

That is confidential. They can not treat any matter they like as confidential. You should give your ruling in this matter.

Shri Atal Bihari Bajpayee : Mr. Speaker Sir, you should give your ruling in this matter. I have seen the reply given by the hon'ble Minister. It is the same reply which was given yesterday.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य की पहली आपति यह थी कि प्रश्न के प्रत्येक भाग का अलग अलग उत्तर दिया जाना चाहिये । मैंने वह बात मान ली है और अलग अलग उत्तर दे दिया है।

मैंने बताया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय सरकार की प्रमुख विज्ञापन एजेंसी है। बड़े पैमाने पर विज्ञापनदाता होने के कारण वह विभिन्न समाचार-पत्रों के साथ अलग अलग रियायती दरों के लिये बातचीत करते हैं। अतः दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय और समाचार पत्रों के बीच व्यापारिक लेन-देन की बात है ।

श्री मधु लिमये : कैसे ? हम अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ये दरें प्रत्येक समाचार-पत्र की भिन्न भिन्न हो सकती है मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले भी यही प्रश्न पूछा गया था और श्री गुजराल ने उत्तर दिया है **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बैनर्जी : इस मामले में हम यह जानना चाहते थे कि रेल कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध और रेलवे हड़ताल समाप्त करने के लिये विज्ञापनों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है। हमें बताया गया है कि 10 करोड़ रुपये खर्च किये गये ह । सम्भव है कि यह राशि एक या दो करोड़ रुपये हो परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि कितनी धनराशि खर्च की गई ? सभा को यह जानने का अधिकार है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह बात व्यापार नीति के सिद्धान्तों के खिलाफ है कि हम सम्बन्धित समाचारपत्रों के साथ परामर्श किये बिना इन दरों को बता दें ।

श्री मधु लिमये : वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह जानकारी गोपनीय कैसे हो सकती है ? I want your ruling under 13-A.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार का काम व्यापार नीति पर ध्यान देना है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मंत्री महोदय का कहना है कि उन्होंने उत्तर दे दिया है और उन्होंन यह भी कहा है कि शेष जानकारी, तो सभा को अपेक्षित है, कोई अन्य व्यक्ति देगा। उन्होंने केवल यही उत्तर दिया है कि यह गोपनीय है परन्तु यह कोई उत्तर नहीं है, यह वास्तविक उत्तर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय और समाचारपत्रों के बीच लेन-देन का मामला है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : ये दो बातें कैसे सम्भव है ? सभा द्वारा अपेक्षित जानकारी गोपनीय जोकि मंत्री महोदय का तर्क प्रतीत होता है और यह तथ्य जो कि वह मानते है कि यह जानकारी कोई अन्य एजेंसी देगी । ये दो बातें कैसे हो सकती है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि जहां तक दरों का सम्बन्ध है दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय और अलग अलग समाचार पत्रों के बीच एक करार है और भारत सरकार तथा सरकार के अनेक विभाग उनको वही दरें देन के लिये बाध्य है जो दोनों के बीच तय की जा चुकी है। यह व्यापारिक धन्धा है और व्यापारिक नीति के हित में है... (व्यवधान)

मैं आपको सूची दे सकता हूं। (व्यवधान)

Shri Atal Bihari Bajpayee : Mr. Speaker, Sir. with your permission I want to ask a question. Please just have a look at the following line of the statement given by the hon. Minister. "As such, it would not be correct to release to the public unilaterally.". It clearly means that if newspapers agree, that can be published. The information is being conceded from the House but that can be made available to the House if newspapers agree to it.

Mr. Speaker, Sir, now I raise my second question. Now according to the hon. Minister, the releasing of advertisements to newspapers is a sort of business deal because rates are settled with the newspapers irrespective of the fact that whether this job is done by Railway Minister or D.A.V.P. I want to know whether this is the Government or a Bania's shop where terms are settled and if the rate is low, more advertisements will be given and if the rate is high the advertisements will be less. Is it that they are having different rates for different newspapers ? Is it not a fact that the rates of advertisements for the newspapers are fixed one ? May I know if it is not a fact that Government can give the advertisements of whatever value it pleases the value of advertisements is decided in advance by the Government ? What is meant by this that it is a business deal because of which all the facts cannot be placed before the House ?

श्री आई० के० गुजराल : खड़े हुये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न रेलमन्त्री से पूछा गया है :—

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The advertisement-rates of newspapers can be different and they are different in many cases. The rate of advertisements depends upon the circulation of the newspaper. I am fully in the know of things which is agitating the minds of hon. Members, why they do not get the advertisements. . . . .

Shri Atal Bihari Bajpayee : This is not the case.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There is a gentleman's agreement between the newspapers and D.A.V.P. It is possible that there may be difference in the rates given to us and others. That is why I have said that I cannot give that information. But I am prepared to give all the information to the hon. Member and if he desires he can give it to other Members also.

श्री एस० एम० बैनर्जी : श्रीमान जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एस० एम बैनर्जी : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि गोपनीय था। इससे सदन का अपमान हुआ है ? क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है कि समाचारपत्रों को कितने विज्ञापन दिये गये हैं ? आप उन्हें ऐसा करने के लिए कहेंगे............(**व्यवधान**)

श्री एस० एम० पटेल : मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि इस मामले को गोपनीय कहने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से खतरनाक उदाहरण स्थापित हो जायेगा। लोक हित के मामलों को छोड़कर और कोई भी बात इस सदन से गोपनीय नहीं रखी जा सकती। इस मामले में लोक हित को कैसे आधार बनाया जा सकता है ? इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसमें क्या लोकहित छिपा है ? यदि यही तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न समाचारपत्रों को विभिन्न दरों पर विज्ञापन देने की परिपाटी है, तो फिर भला इसमें क्या लोकहित छिपा है ? हमने अनेक विदेशी सहयोगों तथा अन्य करारों के बारे में जानकारी मांगी है और मंत्रालय को यह जानकारी देनी पड़ी है। यह जानकारी केवल इस आधार पर सदन से नहीं छिपाई जा सकती कि यह गोपनीय है क्योंकि इसमें कोई लोकहित नहीं छिपा है। यही मेरा निवेदन है।

श्री मुहम्द शफी कुरेशी : मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि विभिन्न समाचारपत्रों को दिये गये विज्ञापनों का ब्यौरा इस लिए गोपनीय होता है कि वह सरकार तथा समाचारपत्रों के बीच का मामला होता है। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्म बसु : श्रीमानजी, लोक हित क्या होता है ? हम इसके बारे में आप का विनिर्णय चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें मेरे विनिर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बारे में अनेक विनिणय दिये जा चुके हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, Sir, the Government's reply is neither satisfactory nor sufficient. As long as Government gives money for advertisements out of Public Exchequer it will have to tell us as to how much money was given to different newspapers. But Government is not prepared to give this information and we want your ruling on it.

श्री एस० एम० बैनजी : मंत्री महोदय ने किसी नियम के अन्तर्गत सुरक्षा नहीं मांगी है। क्या आप उन्हें जानकारी सभापटल पर रखने का निदेश देंगे ? मैं इसके बारे में आप का विनिर्णय चाहता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, Sir, it has been stated by the Hon. Minister that he is prepared to show you the requisite data. My submission is that you should give your ruling after going through the information... **(Interruptions)**.

It has got another aspect also. If Government is not prepared to tell us the different amount of advertisements which were given to each newspaper then there is every possibility that Government may misuse its power of

releasing advertisements to newspapers. That way Government favours favourite newspapers and may not give or may give only cheap advertisement to the newspapers which are not favourite of the Government. Many issues are involved in it.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसे मुझे दिखाने की पेशकश की है। मैं इससे देख सकता हूं परन्तु यह केवल एक वाणिज्यिक मामला है तो अलग बात है। यह मेरे विवेक का मामला है, मैं इसे देख लूंगा। मैं इससे सम्बद्ध पहले के उदाहरण भी देख लूंगा।

Shri Madhu Limaye : It is a matter of public policy and not of public interest. He is not claiming that it is not in the public interest... (**Interruptions**).

अध्यक्ष महोदय : म बिना देखे आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियम 368 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जोकि आपकी टिप्पणी से ही उत्पन्न हुआ है। नियम 368 में कहा गया है :

"यह नियम ऐसे दस्तावेजों पर लागू नहीं होगा जो कि मंत्री द्वारा एसे बताये गये हों जिन्हें प्रस्तुत करना लोकहित में न हो।"

इसमें लोकहित कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययन करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी, आप उन्हें एक ऐसा अवसर दे रहे हैं जिसकी उन्होंने मांग नहीं की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान जी, लगभग सभी सौदे व्यापारिक सौदे हो जायेंगे क्योंकि सरकार द्वारा अधिकाधिक वाणिज्यिक सौदे किये जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आयेगा जब कि भारत सरकार की संचित निधि से सम्बद्ध कोई भी जानकारी देने से इन्कार कर दिया जायेगा। उस समय यह सदन इस प्रकार के मामलों पर चर्चा करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत में कार्य कर रहे विदेशी समाचार एजसियां

*530. **श्री गजाधर मांझी**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितनी विदेशी समाचार एजेंसियां कार्य कर रही हैं; और

(ख) क्या भारत की ऐसी ही कोई अपनी समाचार एजेंसी है जो विदेशों में कार्य कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अठारह।

(ख) जी, नहीं। परन्तु दो भारतीय समाचार एजेंसियों के कुछ स्थानों पर सम्वाददाता है। इसके अतिरिक्त समाचारों के आदान-प्रदान के लिये उन्होंने अनेक विदेशी समाचार एजेंसियों के साथ पारस्परिक व्यवस्था की हुई है।

अत्यावश्यक वस्तुएं बनाने वाले लघु औद्योगिक एककों के लिये प्रौद्योगिकी का विकास

*531. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन उपभोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे सीमेंट, कपड़ा, चीनी तथा कागज का उत्पादन करने वाले विकेन्द्रित लघु औद्योगिक एककों के लिये प्रौद्योगिकि के विकास का कार्यक्रम पांचवीं योजना में लागू किये जाने के लिये बना लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है, और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास मंत्रालय में, उपयुक्त प्रौद्योगिकी कक्ष ने सीमेंट, चीनी तथा कागज का उत्पादन करने के लिय छोटे पैमाने के मयंत्रों की प्रौद्योगिकि के विकास के लिय कार्यकारी दलों का गठन किया है। इन कार्यकारी दलों की सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

CONSTRUCTION OF PONG DAM

*532. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the date on which construction of Pong Dam was completed and the total amount of expenditure incurred thereon;

(b) the total amount of compensation paid for the land acquired in Himachal Pradesh; and

(c) the capacity of Pong Dam and the total acreage of land which will be irrigated as also the acreage of land to be irrigated in Rajasthan?

The Minister of Irrigation and Powers (Shri K. C. Pant)

(a) The Beas Dam at Pong was raised to its full height in June, 1974, but the spillway gates will be installed after the current monsoon. An expenditure of Rs. 191·35 crores had been incurred till June, 1974.

(b) The amount of compensation paid by the project for the land and property acquired in Himachal Pradesh is Rs. 36·28 crores.

(c) The dam has been designed to provide a live storage of 6·9 lakh hectare metres. On full development from stored as well as flow water it would be possible to provide perennial irrigation to an area of about 16 lakh hectares. Rajasthan has a share of 9·86 lakh hectare metres in the surplus Ravi Beas waters, and on full development would be able to irrigate about 12 lakh hectares with this water.

उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सीमेंट का उपलब्ध किया जाना

*533. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि सीमेंट के मूल्य में वृद्धि किये जाने के बाद भी सीमेंट उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध किया जा सके ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सीमेंट का वितरण तथा मूल्यों का नियंत्रण आजकल सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है। गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त मूल्य कन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। लेकिन राज्य के अन्दर थोक अथवा खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा आदेश के खण्ड 10 के अधीन निर्धारित किये जाते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रयॉजन के लिये सीमेंट को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है।

सरकार द्वारा निर्दिष्ट मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध करान के लिये समस्त राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि परमिट, लाइसेंसों द्वारा सीमेंट की बिक्री के विनियमन के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आदेश जारी करें और अधिकांश राज्य सरकारों ने ऐसे आदेश जारी कर दिये हैं।

उपलब्ध सीमेंट के समान वितरण के लिये गत पांच वर्षों की खपत के आधार पर प्रत्येक राज्य को 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 की अवधि के लिये सीमेंट के कोटे भी निर्धारित किये गए थे। केन्द्रीय सरकार की निर्माण आवश्यकताएं तथा बड़े व मझोले उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्र द्वारा अलग से की जाती है, अतः ये इन कोटों में सम्मिलित नहीं है। आगामी तिमाही म सीमेंट फैक्टरियों से सीमेंट की संभावित उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक तिमाही के लिये सीमेंट का आवंटन किया जाता है।

उपलब्ध सीमेंट के वितरण में सुधार करने के लिये सचिवों की उच्चस्तरीय समिति द्वारा रेल द्वारा सीमेंट की ढुलाई की नियमित रूप से जांच पड़ताल की जाती है। जिससे कि ढुलाई में कठिनाई महसूस करने वाली फैक्टरियों की यथा सम्भव सहायता की जा सके।

170 लाख मी० टन से अधिक की अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस तथा आशयपत्र भी जारी किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख मी० टन की क्षमता वर्ष 1974-75 में प्राप्त कर लिये जाने की आशा है।

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा उपकरणों का निर्यात

*534. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को गत तीन वर्षों में, वर्षवार, उपकरणों के निर्यात से कितना शुद्ध लाभ हुआ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): पिछले तीन वर्षों में निर्यात के द्वारा कमाया, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का शुद्ध लाभ, नीचे लिखे अनुसार रहा।

वर्ष	लाभ लाख रूपये
1971–72	6.21
1972–73	3.50
1973–74	1.48

जन साधारण के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन

*535. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान द्वारा जुलाई, 1974 में आयोजित ग्रामीण उद्योग वित्त पोषण वर्कशाप (समेलन) में अपने भाषण में उन्होंने यह संकत दिया था कि सरकार जन-साधारण के उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देने की अपनी नीति का पुर्ननिर्धारण कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में औद्योगिक नीति की समीक्षा के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) नेशनल इन्सटीट्यूट आफ, बैंक मैनेजमेंट द्वारा आयोजित "ग्रामीण उद्योग वित्त पोषण वर्कशाप (सम्मेलन) में भाषण करते हुए नगरीय लोगों के उपयोग के तथाकथित आधुनिकतम (सोफिस्टिकेटेड) वस्तुओं की अपेक्षा जन-साधारण द्वारा प्रयोग की जाने वाली तथा देश की कच्ची सामग्री से ही बनायी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये लघु उद्योग कार्यक्रमों में सक्रय रुप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस सम्बन्ध में 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प से सरकारी औद्योगिक लाइसंसिंग नीति म प्रशासित होती है जिसे औद्योगिक लाइसेंस पालिसी वक्तव्य 2 फरवरी 1973 के द्वारा विस्तारित किया गया है। सरकार का यह सुनिश्चिय करने का प्रयत्न है कि लाइसेन्सीकरण के निर्णय विकासपरक योजना के अनुकूल हो और बचत पूर्ण स्केल, उपयुक्त टैक्नोलॉजी, संतुलित क्षेत्रीय विकास और पिछड़े क्षेत्रों का विकास जैसे तकनीकी आर्थिक पहलू उन में पूर्णत: प्रतिविम्बित होते रहे।

यूरोपीय देशों के विशेषज्ञों का दौरा

*536. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यूरोपीय देशों के छः विशेषज्ञों का एक दल उपकरण निर्माण परामर्श और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श करने और प्रथमस्रोत जानकारी प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही भारत आने वाला है;

(ख) यदि हां, तो छः विशेषज्ञों का यह दल यहां किन-किन उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों से मिलेगा ; और

(ग) क्या यह दल भारत और इ० सी० एम० के बीच हुए वाणिज्यिक सहयोग करार की अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप यहां आ रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यन्) :

(क) से (ग) 1. भारत और यूरोपीय आर्थिक साझे के देशों के बीच हुए वाणिज्यिक सहयोग करार में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार के क्षेत्र में आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहयोग बढ़ाने, तीसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में दोनों पक्षों के संगठनों के बीच सहयोग करने और आपसी हित और तुलनात्मक लाभ के आधार पर वाणिज्यिक विनियम की परिकल्पना की गई है। इस करार के सन्दर्भ में भारतीय विशेषज्ञ द्वारा पश्चिम योरुप का दौरा करने की व्यवस्था की गई थी।

2. इस विशेषज्ञ ने इंजीनियरी उद्योग के क्षेत्र में सहयोग की संभाव्यताओं का पता लगाया था और यह सिफारिश की थी कि परामर्शदाता इंजीनियरों, ठेके लेने वाले इंजीनियरों और निर्माताओं क यूरोपीय संगठनों द्वारा निर्धारित योरुप 6 से 8 विशेषज्ञों के एक दल को इंजीनियरी के क्षेत्र में हमारी शकयकता और क्षमता आदि के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत का दौरा करना चाहिए।

3. विशेषज्ञों के दौरे के बारे में किये गये प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अमृतसर (पंजाब) में ग्रामीण विद्युतीकरण

***537. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम क अंतर्गत पंजाब राज्य के अमृतसर डिविजन में अब तक कुल कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई ;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब राज्य में कुल कितने गांवों में बिजली पहुंचाये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अमृतसर जिले के सभी गावों में बिजली पहुंचाने का है और यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पंजाब राज्य में अमृतसर डिवीजन नाम का कोई डिवीजन नहीं है।

अमृतसर जिले के कुल 1173 ग्रामों में से 977 ग्राम 31 मई, 1974 तक विद्युतीकरण किए जा चुके थे।

(ख) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने 1974-75 में 600 ग्रामों के तथा पांचवी योजना अवधि में शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना बनाई है।

(ग) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने मार्च, 1976 तक अमृतसर जिले के सभी शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना बनाई है ।

राज्य बिजली बोर्ड के सम्मेलन में की गई सिफारिशें

*538. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में अभी हाल में हुए राज्य बिजली बोर्डों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास धन की कमी को देखते हुए किस सीमा तक क्रियान्वित करने की संभावना है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : बहुत से निर्णय ऐसे हैं जिन्हें बिना अधिक व्यय किये क्रियान्वित किया जा सकता है और जहां व्यय करना अपेक्षित होता है, वहां अतिरिक्त राजस्व थोड़े समय में भी इस व्यय से अधिक हो जाएगा । केवल कुछ ही मामलों में अधिक पून्जीगत व्यय की आवश्यकता होगी और इसका उपयुक्त रिफेंजिंग द्वारा अथवा किसी और तरीके से राज्य की योजनाओं अथवा केन्द्रीय विद्युत योजना में समंजन करना होगा ।

बिजली इंजीनियरों द्वारा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का विरोध

*539. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली इंजीनियरों और उनकी एसोसिएशन ने राज्य में बिजली के उत्पदत्त का प्रबन्ध करने के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय प्राधिकार का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्यों में विद्युत उत्पादन का प्रबन्ध करने के लिए किसी केन्द्रीय प्राधिकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवी योजना में उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन

*540. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमानित मांग कितनी है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग ने कितनी धन राशि का नियतन किया है ; और

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए बिजली क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 1310 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था, इसमें से 690 करोड़ रूपये बिजली उत्पादन स्कीमों के लिए रखे गये थे।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) वार्षिक योजना 1974–75 के कुल 255.19 करोड़ के व्यय के अन्तर्गत राज्य के बिजली कार्यक्रम के लिए 86.86 करोड़ रुपये के आवटन की सिफारिश की गई है।

Thermal Plant in Madhya Pradesh

***541. Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh has proposed that instead of transporting coal from Singrauli coal mine of Madhya Pradesh to other places for power generation a Thermal Plant be set up to generate power there itself; and

(b) if so, the reasons for not accepting this proposal of Madhya Pradesh?

The Minister of Irrigation and Power (**Shri K.C. Pant**) **:**

(a) & (b) Madhya Pradesh has submitted a proposal for the setting up of a large thermal power station of 2000 MW capacity near the Singrauli coal mines. In locating large thermal power stations, a number of factors have to be weighed, including ready availability of coal, cooling water, transport facilities, place in the electrical system, etc. so that the new large thermal stations could serve, not only the State where they are located but also the region as a whole. The proposal submitted by Madhya Pradesh State Electricity Board has to be examined with reference to the factors mentioned as well as the availability of resources. The Government of India have already set up a Site Selection Committee for locating such large thermal stations in the coal bearing areas. The report of the Committee is awaited.

थुम्बा राकट स्टेशन में भ्रष्टाचार

***542. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थुम्बा राकेट स्टेशन में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या 6 लाख रुपये कीमत की स्टेनलैस स्टील की छड़ों को सरकारी तौर पर प्राप्त हुआ दिखाया गया था;

(घ) क्या स्टैनलैस स्टील की छड़ों की पूरी-पूरी सप्लाई की गई थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो थुम्बा राकेट स्टेशन में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र से संबंधित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) जहां कहीं भी जरूरी था, वहां आरोपों पर ध्यान दिया गया है और कार्यवाही की गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

यंत्रीकृत नारियल जटा एककों संबंधी समिति की सिफारिशें

*543. **श्री बक्शी नायक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यंत्रीकृत नारियल जटा एककों की स्थापना के बारे में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Deployment of B.S.F. and C.R.P. in States

*544. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the names of States where Border Security Force and the Central Reserve Police Force were sent during the last one year for maintaining law and order indicating the number of units of these forces sent there and the amount of expenditure incurred on them by the Central and State Governments respectively; and

(b) the number of Jawans of each of the aforesaid forces killed and injured in various States during the last one year in clashes with local anti-social elements?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit):

(a) A statement indicating the details of the number of company of C.R.P.F. deputed to the different States during the period 1-8-1973 to 31-7-1974 is laid on the table of the House. [Placed in the Library. See No. LT 8323/14]. Similar information regarding the Border Security Force is being collected and will be furnished to the House. Excluding the transportation charges, an amount of about Rs. 23·35 crores was spent by the Central Government for the units of C.R.P.F. and B.S.F. Expenditure incurred upto 31-3-1974 is recoverable from the State Governments.

(b) During the period from 1-8-73 to 31-7-74, 3 B.S.F. personnel were killed and 5 injured while deployed for law and order duties in the various States. In the C.R.P.F. 2 persons were killed and 355 injured on such duties.

डाक तथा तार विभाग में खद्दर का प्रयोग

*545. **श्री बी० वी० नायक : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में वर्दियों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए खद्दर के प्रयोग के बारे में सरकार पुर्नविचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानद रेड्डी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा किये गये कथित अत्याचार

*546. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार को ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए हैं जिनमें सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा लोगों पर किये गये अत्याचारों की शिकायत की गई है ;

(ख) सरकार को बताये गये मामलों में से प्रमुख मामले किस प्रकार के हैं; और

(ग) ऐसे मामलो में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) सरकार को 1–8–1972 से 31–7–1974 की अवधि के दौरान 18 मामले सूचित किये गये, जिनमें सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा, आपराधिक आक्रमण तथा बलात्कार के मुख्य आरोप लगाये गये थे । इस संबंध में की गई जांच के दौरान 10 मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो सके। दो मामले न्यायाधीन है तथा 4 मामलों की जांच हो रही है । शेष दो मामलों में 8 व्यक्तियों को भिन्न भिन्न अवधि की जेल की सजा दी गई थी ।

इन्डियन एन्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा किया गया वक्तव्य

*547. **श्री एस० ए० मुगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी के अध्यक्ष क वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से समाचार-पत्र उद्योग के सम्मुख आ रही समस्याओं की जांच करने हेतु एक तन्त्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

(क) जी, हां।

(ख) क्योंकि डा० माबातोश दत्त, अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में एक तथ्य अन्वेषण समिति भारत के समाचारपत्र उद्योग की अर्थ-व्यवस्था की पहले ही जांच कर रही है, इसलिए दूसरे तन्त्र की स्थापना फिलहाल अनावश्यक प्रतीत होती है। इण्डियन एण्ड ईसटर्न न्यूज पेपर्स सोसायटी के सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया समाचार पत्रों की अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी तथ्य अन्वेषण समिति की रिपोर्ट जिसके 31 दिसम्बर, 1974 तक उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है, पर निभर करेगी।

उड़ीसा के उद्योगों में विद्युत की कमी

*548. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उड़ीसा में वहां के उद्योगों की आवश्यकता पुरी करने के लिए विद्युत की कमी है ; और

(ख) क्या विद्युत की कमी के कारण नए उद्योग स्थापित नहीं हो सकते ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) उड़ीसा में इस समय बिजली की कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

EXPORT OF CEMENT TO BANGLADESH

3736. Dr. Laxminarayan Pandeya : Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Science an dTechnology**, be pleased to state:

(a) whether Indian Government had sent sufficient quantity of cement to Bangladesh during last two years;

(b) whether due to this export of cement there has been an acute shortage of cement in India and the people are facing great difficulties; and

(c) the efforts being made by Government for providing cement to the people ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) to (c) The following quantities of cement were exported to Bangladesh during the years 1972 and 1973:—

1972—1·26 lakh tonnes.

1973—1·14 lakh tonnes.

While export of cement to Bangladesh reduced the availability of cement to a little extent for the home market the shortage of cement in the country was essentially due to the shortfall in production on account of power cuts enforced in some States, inadequate supply of coal, inadequate availability of Wagons and labour strikes etc.

In order to maximise availability of cement, rail transport movement of cement is regularly scrutinised by a high level committee of Secretaries with a view to extending such assistance as may be possible, to the factories facing movement difficulties. A Standing Linkage Committee on coal has been established under the Department of Mines and Metals and various cement factories have been linked to the different coal fields after assessing their coal requirements. A monotoring cell has been established at Calcutta to review every 10 days the supplies of coal to various factories. Licences/Letters of Intent for an additional capacity of about 17 million tonnes have also been issued.

मंत्रियों द्वारा किये जाने वाले दरों पर होने वाल खर्च म किफायत

3737. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों द्वारा देश में किये जाने वाले दौरों पर होने वाले व्यय में किफायत करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मंत्रियों का यात्रा भत्ता संसद के अधिनियम तथा सांविधिक नियमों द्वारा नियमित किया जाता है । फिर भी, मंत्रियों से आवश्यक तथा अनिवार्य कार्यों को पुरा करने के लिये सरकारी व्यय पर कम से कम यात्रा करने के लिये अनुरोध किया गया है ।

कर्नाटक द्वारा राजस्थान को तापसंयंत्र की बिक्री

3738. **श्री के० लकप्पा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राजस्थान को 1966 में अथवा इसके निकट एक ताप-संयंत्र बेचा था जबकि उन्होंने अपनी शारावती पन बिजली परियोजना चालू की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कर्नाटक में बिजली संकट को टालने के लिए वह संयंत्र वापस करने हेतु राजस्थान को सहमत करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने राजस्थान राज्य बिजलीबोर्ड की 10 मैगावाट का एक गैस टर्बाइन विद्युत उत्पादन सेट बेचा था । पता चला है कि यदि इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड इस विद्युत संयंत्र को कर्नाटक को वापस बेचने को तैयार है ।

स्टकना पन बिजली परियोजना के लिए टांगों का आबंटन

3739. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि स्टकना पन बिजली परियोजना के लिए तीन टांगों के आबंटन हेतु गृह/रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक उपलब्ध कर लिए जाएंगे ताकि उक्त परियोजना शीघ्र पुरी हो सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) सम्भवतः अभिप्राय 'जोंगो' जीपों को उच्च स्तरीय क्षेत्र में चलाने से है। इनकी बहुत कमी के कारण इनकी व्यवस्था करना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

3740. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1960 से पूर्व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक अखिल भारतीय सूची संकलित की है और ऐसे वर्गों के छात्रों को दी गई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों से यह कहने का है कि वे आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की नई सूचियां तैयार करें ; और

(ग) यदि हां, तो पांचवीं पंच वर्षीय योजना में मध्य प्रदेश राज्य में समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के, विशेषकर आदिवासियों के बच्चों को क्या विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1963–64 से पूर्व अन्य पिछड़े वर्गों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां राज्य सरकारों-संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई सूचियों के आधार पर दी गई थी ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) समुदाय के आधार पर अनुसूचित जातियों/जन जातियों के अतिरिक्त अन्य कमजोर वर्गों के लिये किन्हीं विशेष सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार के पास अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये अनेकों शैक्षिक योजनाएं हैं जैसे :–

(1) आश्रम स्कूल

(2) प्राथमिक स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकें तथा लेखन सामग्री;

(3) मिडिल तथा हाई स्कूलों में बच्चों को छात्रवृत्तियां; और

(4) मिडिल तथा हाई स्कूलों में होस्टलों में चुने हुए छात्रों को वृत्तियां।

केरल में विचाराधीन विद्युत योजनाएं

3741. **श्री वायलार रवि :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की कौन-कौन सी विद्युत योजनाएं इस समय केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं ; और

(ख) उन योजनाओं की रूपरेखा क्या है और इनको शीघ्रता से मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केरल सरकार से 5 निम्नलिखित स्कीमें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है :–

1. केरल भवानी बहुद्देश्य परियोजना :

इस स्कीम से वेल्लूवनद और पालघाट तालुकों में 23,000 एकड़ आयाकट की सिंचाई की व्यवस्था होगी और 60 प्रतिशत लोड गुणांक पर 66.47 मैगावाट बिजली की भी व्यवस्था होगी। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1224.70 लाख रूपये है। इस स्कीम में अन्तर्राज्यीय पहलू निहित हैं।

2. मनाथोड़ी स्कीम

यह स्कीम वलापथनम बेसिन में 35,000 एकड़ भूमि की सिंचाई तथा 60 प्रतिशत लोड गुणांक पर 110 मैगावाट बिजली की व्यवस्था करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1612 लाख रूपये है। इस स्कीम में अन्तर्राज्यीय पहलू निहित है।

3. पण्डियार पन्नापुझा जल विद्युत स्कीम

इस स्कीम से 100 प्रतिशत भार गुणांक पर 31.8 मेगावाट बिजली सुनिश्चित रूप से उपलब्ध होगी तथा परियोजना की अनुमानित लागत 11.22 करोड़ रूपये है।

4. कक्कद (साबरोगिरी टेल रेस) जल विद्युत परियोजना

इस स्कीम में 100 प्रतिशत लोड गुणांक पर 30.1 मैगावाट बिजली की व्यवस्था करने के लिए 35–35 मैगावाट की दो यूनिटों के साथ एक भूगत विद्युत केन्द्रों का निर्माण परिकल्पित है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 15.68 करोड़ रूपये है।

5. इद्दिकी जल विद्युत परियोजना चरण-तीन

इस स्कीम से इद्दिकी जलाशय में अधिक जल उपलब्ध होगा तथा इद्दिकी बिजली विद्युत केन्द्र की ऊर्जा शक्यता भी 376 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष और बढ़ जाएगी। इस स्कीम की कुल लागत 4.1 करोड़ रूपये हैं।

परीक्षा पत्रों के भेजने की व्यवस्था

3742. श्री अनादि चरण दास

श्री पी० गंगादेव

श्री डी० डी० देसाई

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में समस्त देश में परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा की हजारों उत्तर पुस्तकें जमा हो गई थी,

(ख) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने परीक्षा-पत्रों के भेजने हेतु कोई व्यवस्था करने के लिए डाक प्राधिकारियों से अनुरोध किया था, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)

(क) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली ।

(ख) और (ग) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार ने डाकघरों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं वाले पार्सलों को स्वीकार किए जाने की मांग की थी । उस विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए यथोचित व्यवस्था की गई थी । दूसरे किसी विश्वविद्यालय ने इस बारे में विभाग से अनुरोध नहीं किया था ।

Election to Ramnagar Seat of Metropolitan Council, Delhi

3743. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the election to the Metropolitan Council, Delhi from the Ramnagar seat had been postponed upto 7th July, 1974; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):

(a) Yes, Sir.

(b) The Bye-election was postponed because of the law and order situation in the area which was affected by riots in the Sadar Bazar area in May, 1974.

Spying Activities of Russian Students in Lucknow University

3744. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in a Weekly dated the 28th April, 1974 that Russian males and female students in the Lucknow University are indulging in spying activities;

(b) whether Government have verified the authenticity of the report; and

(c) if so, the facts thereof and the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin)

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Enquiries have not revealed any material so far to support the allegations of spying. The situation is under watch.

पुर्वी राज्यों को उद्योगिक लाईसैंस देंनें के बारे में शिकायत

3745. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से शिकायत की है कि औद्योगिक लाइसेंस देने के मामलों में पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी राज्यों के प्रति कन्द्रीय सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सही कारणों की, जिन पर शिकायत की गई है, जांच की है; और

(ग) यदि हां तो इस जांच के क्या परिणाम रहे और इस असन्तुलन को दूर करने क लिए किस प्रकार के कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल ने औद्योगिक लाइसेन्सों के बारे में पुर्वी क्षेत्र की अभिकथित उपेक्षा के विषय में अप्रैल, 1974 में औद्योगिक विकास मंत्री को एक पत्र लिखा था। पत्र पर यथोचित विचार किया गया और उत्तर में केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य के लिए दिये जान वाले आशयपत्रों की संख्या राज्य से प्राप्त आवदनों की मात्रा तथा उनकी किस्म पर निभर करती है। अर्थात् आवेदित प्रस्ताव किस मात्रा तक हमारी नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप सुविचारित निवेश से संबंधित है । देश क किसी क्षेत्र के हित अथवा अहित क लिए किसी भी निहितार्थक अथवा अनजाने रुप से भेदभाव रखने का प्रश्न नहीं हो सकता है । वास्तव में, तीन वर्षों में (1971-73) दिये गये आशय-पत्रों का विश्लेषण करके देखा गया है कि पश्चिम बंगाल को 29 प्रतिशत स्वीकृतियां की गई जो बड़े राज्यों के 32 प्रतिशत अखिल भारतीय-औसत से अधिक कम नहीं है । फिर भी लाइसेन्स समिति के अध्यक्ष से पुर्वी क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया है ।

हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा कोयले को सेल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाना

3746. श्री डी० डी० देसाई : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में कोयले को तेल तथा नेप्था में बदलने के लिये कोई प्रयोग किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे प्रयोग सफल सिद्ध हुये हैं ?

(ग) उसमें कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कोयले को तेल म बदलने के अनेक संयंत्र स्थापित करने का है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं । कुछ वर्ष पूर्व क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा निम्नतापीय तारकोल के हाईड्रोजनी करण का निष्प्रभावित तेलों में प्रयोगशाला स्तर पर अध्ययन किया गया था न कि नेप्था का ।

(ख) अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि निष्प्रभावित तेल मध्यम आसुतों में हाईड्रोजनी कृत किये जा सकते हैं ।

(ग) इन अध्ययनों से ठीक ठीक कीमत नहीं निकाली जा सकती ।

(घ) इस विषय पर विशेषज्ञों का दल बिठाने के लिये सरकार ने निश्चय किया है । कोयला कार्बनीकरण गैसी करण, तेल संश्लेषण, और केन्द्रीय तारकोल-हाईड्रोजनीकरण संयंत्र, इसका विकास करने, उपयुक्त तर्कनीकी जानका ी का पता लगाने और अग्रिम कार्यवाही का सुझाव देने के लिये यह दल एक योजना तैयार करेगा । "कोयले की तेल में परिवर्तित करने संबंधी संयंत्र" के प्रश्न पर विशेषज्ञों के दल का सुझाव प्राप्त होने के बाद ही सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

करनाली पन बिजली परियोजना के बारे मे भारत-नेपाल करार

3747. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाली पन बिजली बृहद परियोजना के बारे में भारत और नेपाल क बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) करनाली परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पूर्व और अन्वषण करने आवश्यक हैं । भारत तथा नेपाल इस बात पर सहमत हो गए हैं कि करनाली परियोजना का त्वरित कार्यान्वियन दोनो देशों के आपसी हित में है । इस परियोजना के लिए नेपाल द्वारा एक निर्माण बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा उसमें भारत को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ।

भारतीय मानक संस्थान में कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना अथवा बर्खास्त किया जाना

3748. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारतीय मानक संस्थान के बन्द रहने की अवधि में किसी व्यक्ति को मुअत्तिल अथवा बर्खास्त किया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : भारतीय मानक संस्था के किसी कर्मचारी को 17 मई से 9 जून, 1974 की अवधि में जब कि भारतीय मानक संस्था के प्रधान कार्यालय में कार्य निलम्बित रहा बर्खास्त नहीं किया गया। 16 मई, 1974 अपराहन से 15 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था तथा 9 कर्मचारियों को 20 मई, 1974 अपराहन से निलम्बित किया गया था। छः मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए अभ्यावेदन करने के फलस्वरूप भारतीय मानक संस्था द्वारा मामूली सा दण्ड देकर निलम्बन आदेश प्रतिसंहृत कर दिये गये हैं। बाकी 18 कर्मचरियों के विरूद्ध जांच चल रही है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये बड़ी तथा मध्यम दज की सिंचाई योजनायें

3749. **श्री बनामाली बाबू** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कौन सी बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनायें बनाई गई हैं ;

(ख) प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं आदि के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकने का अनुमान है ; और

(ग) राज्य के पिछड़े जिलों में कितनी सिंचाई योजनायें आरम्भ करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा में निर्माणाधीन 3 बृहत तथा 13 मध्यम परियोजनाएं पांचवीं योजना म जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त 9 मई मध्यम सिंचाई स्कीमों को पांचवीं योजनावधि में आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(ख) उपर्युक्त संतत स्कीमों द्वारा 5.66 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता निर्मित की जा चुकी । पांचवी योजना में 4.80 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त शक्यता का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ग) पांचवीं योजना की परियोजनाओं में से 2 बृहत तथा 21 मध्यम परियोजनाएं जो कि नीचे दी गई हैं राज्य के पिछड़े जिलों में है :

क्रम	परियोजना का नाम	लाभ प्राप्त जिले	सिंचाई लाभ (000 है० में)
बृहद			
1	आनन्दपुर बराज	कोनझर	61.51
2	रेंगाली	–वही–	313.23
मध्यम			
1	ओंग	बोलनगीर	24.69
2	दादराघाटी	ढेनकनाल	4.11
3	दरजंग	–वही–	9.71
4	ओनली	–वही–	5.16
5	घोदाडाडो	गंजम	7.41
6	घनेई	–वही–	5.27
7	बघुआ	–वही–	4.05
8	रामनदी चरण-एक	–वही–	1.32
9	दाहा	–वही–	5.59
10	उट्टई	कालाहांडी	11.33
11	सुन्दर	–वही–	4.23
12	नोरला	–वही–	1.92
13	रेमल	कौनझर	5.26
14	कालो	मयुरभंज	5.58
15	सुनेई	–वही–	9.96
16	नेसा	–वही–	1.02
17	खदकेई	–वही–	8.98
18	पिलासलकी	फूब्बानी	3.74
19	पीतामहल	सुन्दरगढ़	4.86
20	सैपाला	सम्बलपुर	3.15
21	दूमरबहाल	–वही–	4.25

धार्मिक संस्थाओं को विदेशी सहायता

3750. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक**
श्री बिरेन्द सिंह राव } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कुछ धार्मिक संस्थाओं को विदेशों से वित्तीय सहायता लेने की अनुमति दे दी है ।;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) ऐसी संस्थाओं को गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कुल कितनी विदेशी सहायता मिली है और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता उसी प्रोयजन के लिये प्रयोग में लाई जाये जिसके लिये वह ली गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सरकार को मालूम है। कि देश में कुछ धार्मिक संस्थान विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। विदेशी मुद्रा विनियम से संबंधित कानून की अपेक्षाओं के अतिरिक्त धन के आने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है तथा विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अत: सम्बद्ध अवधि के दौरान भारत में धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता की धनराशि निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कवल 10,000 रूपये और इससे अधिक की धनराशि का रिकार्ड रखा जाता है।

इस समय यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रबंध नहीं है कि ऐसे मामलों में विदेशों से प्राप्त की गई सहायता वास्तव में उसी प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाई जाती है जिसक लिए वह ली गई है। देश में व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा विदेशी धन के स्वीकार करने तथा उसके उपयोग को नियमित करने के लिये 24 दिसम्बर, 1973 को राज्य सभा में विदेशी धन (विनियम) विधेयक, 1973 पुन: स्थापित किया गया था। विधेयक अब संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के समक्ष है ।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र लेने हेतु सम्पर्क कार्यालयों का खोला जाना

3751. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक**
श्री बिरेन्द्र सिंह राव } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का कलकत्ता में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र लेने हेतु एक सम्पर्क कार्यालय खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा देश के अन्य नगरों में भी ऐसे संम्पर्क कार्यालय खोले जायंगे और

(ग) यदि हां तो उनका ब्योरा क्या है ;

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) जी नहीं !

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठते ।

साह इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीअर फिजिक्स कलकत्ता सम्बन्धी पुर्नविलोकन समिति का प्रतिवेदन

3752. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव } : **क्या परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ न्युक्लीअर फिजिक्स, कलकत्ता सम्बन्धी पुर्नविलोकन समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ; ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इदिन्रा गांधी) :

(क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) समिति ने जो सिफारिशें दी हैं वे सामान्यत: न्युक्लीयर भौतिकी में अनुसंधान करने वाले साहा संस्थान के भविष्य के अनुसंधान कार्यक्रम, संस्थान के कर्मचारियों, उपकरणों एवं सुविधाओं सम्बन्नी आवश्यकताओं तथा निधि के विनियोजन के बारे में है । पांचवी योजना की अवधि में इस संस्थान को दी जाने वाली सहायता का निर्णय करते समय सरकार इन सिफारिशों को भी ध्यान में रखेगी ।

समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के खिलाफ शिकातें

3753. **श्री डी० पी० जदेजब**
श्री अरबिंद एम० पटेल } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1974 की अवधि में समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के खिलाफ 'प्रैस कौंसिल' को कितनी शिकायतें प्राप्त हूई हैं; और

(ख) प्रेस कौंसिल द्वारा कितने मामले निपटा दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :

(क) 32

(ख) परिषद ने जनवरी से जून, 1974 तक की अवधि के दौरान 14 शिकायतों पर अपना निर्णय दिया ।

पुलिस महा निरीक्षकों का सम्मेलन

3754. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस महा निरीक्षकों के सम्मेलन पुलिस संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये नियमित रूप से बुलाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1973 में और जून, 1974 तक ऐसे कितने सम्मलन बुलाये गये; और

(ग) सम्मेलनों में किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ?

गृह मंत्रालय में उपमन्क्षी (श्री एफ० एच० मोहसीन)

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1973 में पुलिस के महा निरीक्षकों का एक सम्मेलन हुआ था । दूसरा सम्मेलन नवम्बर, 1974 को होने वाला है ।

(ग) पुलिस के महा निरीक्षकों के सम्मेलन में विचार विमर्श किये गये विषयों का संबंध सामान्यत: अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस अनुशासन व कल्याण और सम्बद्ध विषयों से है ।

नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन

3755. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसीन)

(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) आयोग पर 30 जून, 1974 तक जब उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, 7,67,000 रू० व्यय किये गये थे ।

मुद्रा स्फीति रोकने के उपाय

3756. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने योजना आयोग पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वह मुद्रास्फीति पर शीघ्र काबू पाने के लिए उपाय सुझाये ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या होंगी ; और

(ग) योजना आयोग ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) मई, 1974 के दूसरे सप्ताह में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की एक बैठक में यह निर्णय किया गया था कि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को मुद्रास्फीति रोकने के लिए कुछ संभव-वैकल्पिक उपाये शीघ्र तैयार करने चाहिए ताकि आयोग उन पर आगे विचार कर सके ।

(ख) 17 जून, 1974 की बैठक में योजना आयोग ने स्थिति का सामना करने के लिए कतिपय उपाय प्रस्तुत किए तथा उन पर विचार करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार से सिफारिश की । इसमें ये बातें शामिल हैं--घाटे की अर्थव्यवस्था, बैंक ऋण और मुद्रा सप्लाई पर कठोर नियंत्रण रखना, खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं तथा मूल क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना, कुछ खास-खास उपभोक्ता वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, आयात इत्यादि से खाद्यान्नों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाना ।

(ग) मुद्रास्फीति रोकने के लिए सरकार अनेक कदम उठा चुकी है, जो कि इस प्रकार हैं-- (1) तीन अध्यादेश जारी करना, जिनसे कम्पनियों के शुद्ध लाभ और लाभांश वितरण पर 2 वर्ष की रोक लग गई है, अतिरिक्त महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत दो वर्ष के लिए तथा कुल अतिरिक्त मजदूरी और वेतन को एक वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से जमा करना तथा उन सभी कर दाताओं की आमदनी का निर्धारित प्रतिशत दो वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से जमा करना, जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से अधिक है ; (2) जून, 1974 में एक अन्य अध्यादेश जारी करना, जिसमें कुछ आवश्यक वस्तुओं के मामले में जमाखोरों और मुनाफाखोरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में अन्तर्गत अधिक कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है ; (3) घाटे की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सरकार व रेलवे द्वारा अनुपूरक बजटों से अतिरिक्त संसाधन जुटाना ; (4) ग़ैर योजना खर्चों में किफायत बरतने के लिए अनेक कदम उठाना, जिसमें ग़ैर-क्रियात्मक भवनों (नान फंक्शनल बिल्डिंगज़), जो कुरसी (प्लिन्थ लेवल) से ऊपर नहीं उठे हैं, का निर्माण रोकना, कार खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली अग्रिम धन-राशि बन्द करना तथा पेट्रोल टे 'िफोन आदि के खर्चों में कटौती करना, शामिल है ; (5) बैंक दर 7 से 9 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा बैंक ऋणों के लिए न्यूनतम ऋण दर में वृद्धि करना, और (6) खाद्यान्नों और खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनके आयात की व्यवस्था करना ।

राज्यों से भी कहा गया है कि ग़ैर योजना खर्चों में अधिक से अधिक मित्तव्ययिता बरतें तथा विशेष रूप से सिंचाई दरों व बिजली शुल्क में संशोधन करके तथा कृषि इत्यादि क्षेत्र में कर लगाकर अतिरिक्त संसाधन जुटायें ।

टायरों तथा ट्यूबों का निर्माण कर रही कम्पनियां

3757. **श्री मधु लिमिये** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी भारतीय तथा विदेशी कम्पनियां कौन-कौन सी है जो इस देश में आटोमोबाइल ट्यूबों तथा टायरों का निर्माण कर रही हैं अथवा जिन्होंने निर्माण शुरू कर दिया है ;

(ख) इन कम्पनियों की अधिष्ठापित क्षमता में प्रत्येक कम्पनी का अंग कितना है, वास्तविक उत्पादन (1973–74) कितना है और ट्यूबों तथा टायरों की दरें क्या हैं ?

(ग) इस उद्योग में विदेशी कम्पनियों के कठोर नियंत्रण को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या डनलप तथा अन्य विदेशी कम्पनियों तथा इनकी सहायक कम्पनियों ने किन्हीं राज्य औद्योगिक विकास निगमों के साथ कोई तकनीकी सहयोग करार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन विदेशी कम्पनियों को दिये जाने वाले शुल्क, रायल्टी अथवा कोई अन्य प्रभारों सहित इन करारों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ख) जानकारी नीचे दी जाती है –

एकक का नाम	विदेशी या भारतीय	अधिष्ठापित क्षमता (लाखों में)	उत्पादन (1973–74)	
			टायर (लाखों म)	ट्यूब
डनलप इंडिया लि०	विदेशी बहुमत	17.21	18.02	14.37
फायर स्टोन	वही	11.00	9.40	8.72
सीएट टायर्स	वही	8.50	5.28	4.76
गुडईयर इंडिया लि०	वही	6.00	6.19	4.61
मद्रास रबर फैक्टरी लि०	भारतीय बहुमत	10.10	6.30	8.42
प्रीमियर टायर्स लि०	वही	3.00	3.41	3.54
इंचेक टायर्स लि०	वही	3.00	3.73	2.50
	योग	58.81	52.33	46.92

यह स्पष्ट नहीं है कि दरों से क्या तात्पर्य है। 29 अप्रैल, 1974 से मूल्य नियंत्रण के उठा लिए जाने के फलस्वरूप टायरों ट्यूबों की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है।

(ग) हाल ही में दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों/आशयपत्रों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों द्वारा स्वीकृत लगभग 94.24 लाख नग की अतिरिक्त क्षमता में से विदेशी बहुलांश वाले एककों का हिस्सा केवल 10.10 लाख ही है। इन योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर कुल क्षमता में से विदेशी बहुलांशवाली कंपनियों का हिस्सा जो 72.6 है उससे घटकर 33.2 हो जाने की संभावना है।

(घ) से (ङ) सरकार ने नीचे दिए विवरण के अनुसार मोटरगाड़ियों के टायर तथा ठ्यूब बनाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ छ: औद्योगिक विकास निगमों के सहयोग प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

क्रमांक	कारखाने का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	स्वीकृति तिथि
1	पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०	इंटरनेशनल बी०एफ० गुडरिच सं०रा० अमरीका	19–10–1972
2	गुजरात औद्योगिक विकास लिमिटेड	वही	13–10–1972
3	तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (मैसर्स तमिलनाडु रबड़ लिमिटेड)	जनरल टायर इंटरनेशनल कम्पनी सं० रा० अमरीका	10–10–1972
4	उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि०	वही	13–7–1973
5	आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास लि०	डनलप यूनाइटेड किंगडम	27–2–1974
6	पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम	वही	वही

इन करारों में तकनीकी जानकारी शुल्क तथा उत्पादन पर दी जाने वाली अधिकार शुल्क विशेष रायल्टी तथा उसके द्वारा किए जाने वाला निर्यात शामिल है। विदेशी सहयोग की शर्तों की विस्तृत जानकारी सामानतया दी नहीं जाती।

मैसर्स कैडबरी फ्राई को 'काम चालू रखो' (सी० ओ० बी) लाइसेंस दिया जाना

3758. श्री मधु लिमिये : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैडबरी फ्राई और उसकी सहायक कम्पनियों नें विदेशी मुद्रा संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत 'काम चालू रखो' (सी० ओ० बी०) लाइसेंस प्राप्त कर लिये हैं।

(ख) यदि हां, तो आवेदन की तारीख क्या है और सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में उनकी कुल वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन और दरें क्या रही ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्यौगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : मै० कैडबरी फ्राई इण्डिया लि० ने 25 जून, 1974 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29(2) के अधीन माल्टेड खाद्य और अन्य परिष्कृत खाद्य का उत्पादन और बिक्री रखने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को आवेदन दिया है । मै० कैडबरी फ्राई की सहायक कम्पनियां निम्न लिखित है :

1. मै० इन्दुरी फार्म लि० बम्बई ; और
2. मै० इण्डियन डेरी इन्टरप्रेन्योर एग्रीकल्चरल कम्पनी लि० जयपुर ।

इस आवेदन की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा जांच की जा रही है ।

(ग) अधिष्ठापित क्षमता और पिछले तीन वर्षों का उत्पादन निम्न प्रकार है :

उत्पाद	अधिष्ठापित क्षमता मी० टनों में	उत्पादन मी० टनों में		
		1971	1972	1973
माल्टेड खाद्य	3,000	2,785	2,794	3,166
कोका पाउडर	900	18	11	6
ड्रिंकिंग चाकलेट	2,000	628	850	1,042
चाकलेट और चाकलेट कन्फेक्शनरी	1,500	1,155	1,201	1,435

शेष सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

चिमूर में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण

3759. **श्री मधु लिमिये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ क्षेत्र में चिमूर में टेलीफोन व्यवस्था के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है ;

(ख) क्या इस बारे में किसी जांच का आदेश दिया गया है : और

(ग) उसका परिणाम क्या रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) जी हां । सरकार को शिकायत मिली है कि चिमूर का टेलीफोन एक्सचेंज घटिया ढंग से कार्य कर रहा है । वहां फालतू पुर्जों की कमी थी और पावर सप्लाई में भी बार-बार रुकावट पैदा होती रहती थी । इस वजह से इस एक्सचेंज के कार्यकरण पर बुरा असर पड़ा था । फालतू पुर्जे प्राप्त कर लिये गये हैं और अब इस एक्सचेंज का कार्यकरण संतोषजनक है ।

हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

3760. श्री बेकारिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 और 1974–75 के लिये हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग का कोई दो-वर्षीय कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना लागू कर दी गई है ;

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निदेश जारी किये गये हैं ; और

(घ) क्या हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) दो-वर्षीय कार्यक्रम को लागू करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को जारी किये गये अनुदेश वर्ष 1973–74 की गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 6 के पैरा 6.2 में दिये गये हैं । संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु हिन्दी के प्रयोग के लिये 1973–74 के दौरान किये गये अगले उपाय इस रिपोर्ट के पैरा 6.3 में उल्लिखित हैं ।

(घ) जी हां, श्रीमान् । इस संबंध में, उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 6.4 का हवाला दिया जा सकता है ।

केरल स्थित डाकघरों में बचत बैंक सुविधाएं

3761. श्रीमती भार्गवती तनकप्पन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में इस समय कितने ऐसे डाकघर हैं जहां बचत बैंक खाते की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) पड़ौसी राज्यों की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय केरल राज्य में कुल 4037 डाकघर काम कर रहे हैं जिनमें से 4036 डाकघरों में बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं :

(ख)

	पड़ौसी राज्यों में काम कर रहे डाकघरों की कुल संख्या	पड़ौसी राज्यों में ऐसे डाकघरों की कुल संख्या जिनमें बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।
केरल राज्य	4037	4036
तमिलनाडु राज्य	10945	10942
कर्नाटक राज्य	8539	8539

वर्ष 1973–74 में केरल के लिये ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के रुप की प्रगति

3762. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वर्ष 1973–74 में केरल के लिये मंजूर की गई ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस काम को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने 1973–74 के दौरान केरल राज्य बिजली बोर्ड की चार स्कीमें स्वीकृत की थी । इन स्कीमों के लिये 139.25 लाख रूपये की ऋण सहायता अपेक्षित है और इन्हें 4 वर्षों की अवधि में पूर्ण करने के लिये चरण-बद्ध किया गया है । इस समय ये स्कीमें निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में हैं । केरल राज्य बिजली बोर्ड सामग्रियों को प्राप्त करने में कठिनाइयां अनुभव कर रहा है । बहरहाल, कमियों को पूरा करने तथा कार्यों को अनुसूची के अनुसार पूर्ण करने के लिये बोर्ड द्वारा हर कोशिश की जा रही है ।

पाचवी योजना के प्रथम बर्ष में केरल में सिंचाई सुविधाएं

3763. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के प्रथम वर्ष में केरल में दी जाने वाली सिंचाई सुविधओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्वन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य में निर्माणाधीन सात बृहद सिंचाई परियोजना पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में जारी रहेंगी । इसके अतिरिक्त एक नई बृहद् तथा दो नई मध्यम परियोजनाएं योजना के प्रथम वर्ष में, हाथ में लेने के लिये प्रस्तावित की गई हैं । योजना के पहले वर्ष के दौरान सिंचाई सेक्टर के लिये स्वीकृत परिव्यय 7.45 करोड़ रुपये है और 20500 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई शक्यता उत्पन्न होने की संभावना है ।

परमाणु अनुसन्धान के क्षेत्र में विश्व में भारत की स्थिति

3764. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में भारत, जो पहले आठवें स्थान पर था, अब 13-वें स्थान पर उत्तर आया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) न्यूक्लीयर अनुसंधान के क्षेत्र में देशों का स्थान निर्धारित करने के लिये कोई एक मानदण्ड नहीं अपनाया जा सकता । तथापि, हाल ही में भारत को परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी प्रौद्योगिकी, जिसमें मूल रूप से आवश्यक पदार्थों का उत्पादन भी शामिल है, के मामले में सबसे प्रगत 9 देशों में से एक देश होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के बोर्ड आफ गवर्नर्स का सदस्य नामित किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दूर मुद्रक सेवायें

3765. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर स्थित जिला मुख्य कार्यालयो में दूर-मुद्रक सेवाओं के लिये डाक तथा तार विभाग को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । बिलासपुर और हमीरपुर में टेलीप्रिंटर सेवा लागू करने के लिये स्वयं माननीय सदस्य से ही अनुरोध प्राप्त हुआ था । ऊना के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रत्येक मामले की स्थिति इस प्रकार है :–

बिलासपुर :–टेलीप्रिंटर सेवा देने का औचित्य है । उपस्करों के अलाटमेंट और सप्लाई के बारे में जांच की जा रही है ।

हमीरपुर :–टेलीप्रिंटर सेवा देने का औचित्य है । टैलीप्रिंटर सेवा की व्यवहार्यता की जांच की जा रहीं है ।

ऊना :– ऊना का कार्य-संबंध नंगल और होशियारपुर के साथ है । इन दोनों स्थानो के साथ ऊना का दैनिक औसत परियात क्रमशः 88 और 18 है । इन दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग पर टेलीप्रिंटर सेवा देने का औचित्य नहीं है ।

राजस्थान द्वारा राजस्थान नहर के लिए सहायता की मांग

3766. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान नहर परियोजमा के लिये योजना में नियत धनराशि से इस वर्ष राजस्थान नहर के लिये अधिक धनराशि की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) परियोजना के चरण–1 के लिये, राज्य सरकार ने 11 करोड़ रुपये की राशि की और मांग की है । बाद के विचार-विमर्श के दौरान, निधियों की आवश्यकता घटा कर 7 करोड़ रुपये कर दी गई थी ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये वैस्टर्ण कोसी, गंडक और राजस्थान नहर परियोजना क लिये धन की व्यवस्था

3767. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में वैस्टन कोसी, गंडक और राजस्थान नहर परियोजनाओं के लिये धन की पूरी व्यवस्था की जा रही है कि वें पांचवीं योजना के अन्त तक पूरी हो जायें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) गंडक परियोजना को पूर्ण करने के लिये पांचवीं योजना के प्रारूप में पूर्ण प्रावधान करने का प्रस्ताव है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिये 33.80 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जो कि इस परयोजना को पांचवीं योजना में काफी हद तक पूर्ण करने के लिये पर्याप्त होगा। राजस्थान नहर परियोजना (चरण-एक और दो) के लिये 176 करोड़ रुपये स्पिल ओवर लागत के प्रति पांचवी योजना मे 70 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

हरीहरपुर और कालीगांव के बीच जलफाटक एवं पुल बनाना

3768. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री बिहार राज्य में खिरोर नदी पर जल फाटक वाले पुल के निर्माण के बारे में 26 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4712 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विज्ञान संबंधी टिप्पणियों के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए हरीहरपुर और कालीगांव के बीच मुरेठा मे नदी पर जल फाटक एवं पुल बनाने का प्रस्ताव क्रियान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्कीम तैयार करने के लिये अगले दो वर्षो के दौरान निस्सरण संबंधी और आंकड़े एकत्रित करने की आवश्यकता है।

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

3769. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां तो क्या जून, 1974 तक बेरोजगार व्यक्यिों की संख्या 80 लाख से ऊपर हो गई है ;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान 10 लाख बेरोज़गार व्यक्तियों की वद्धि हुई है : और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) रोज़गार कार्यालियों के चालू रजिस्टरों के आंकड़ों के अनुसारे, 30, जून, 1974 की देश में 83,53, 840 लोगों नें रोजगार के लिए अपने नाम रजिस्टर करा रखे थे । परन्तु यह आंकड़ें अस्थायी हैं । 30 जून, 1973 को इस प्रकार क लोगों की संख्या 75,95,961 थी । इस प्रकार 30 जून, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में 7,57,879 लोगों की वृद्धि हुई ।

(घ) कृषि, बड़ी तथा मझोली सिंचाई, भूमि संरक्षण, निगमित और असंगठित क्षेत्रों, सहायक क्षेत्रों और व्यापार व वाणिज्य आदि सम्बद्ध क्षेत्रों और समाज सेवाओं जैसे कतिपय क्षेत्रों से पर्याप्त रोज़गार के अवसर सुनिश्चित हो सके इसके लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में काफी सावधानी बरती गई है। सूखा प्रकृत क्षेत्र कार्यक्रम, लघू तथा नाममात्र के कृषक अभिकरण और कमाण्ड क्षेत्र विकास आदि परियोजनाओं से लगभग 260 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अलावा परम्परागत और ग्रामोद्योगों संबंधी स्कीमों से अतिरिक्त रोजगार अवसरों के रुप में लगभग 33 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा और अन्य 33 से 34 लाख लोगों को भरपूर रोज़गार के द्वारा लाभ पहुंचेगा । इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला एक रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें स्व-रोज़गार पर विशेष बल दिया गया है ।

प्रमाणु खनिजों का आयात–निर्यात

3770. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **परमाणु उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में भारत को अनुमानतः कितना थोरियम आयात करना पडेगा;

(ख) गत तीन वर्षों में थोरियम अयस्क और उसके उत्पाद कितनी मात्रा में भारत रा निर्यात किये गये हैं ; और

(ग) पनडुब्बियों द्वारा परमाणु खनिजो का पता लगाने हेतु किये जा रहे तट-दुर सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या है ?

प्रधान परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिस मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) आगामी तीन वर्षों में भारत द्वारा थोरियम का आयात किये जाने की सम्भावना नही है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत में थोरियम अयस्क निर्यात नहीं किया गया है । तथापि थोरियम नाइट्रेट की निम्नलिखित मात्रा का निर्यात किया गया था :

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (मीटरिक टनौं में)
1971–72	12.4
1972–73	44.2
1943–74	65.35

(ग) 1959–60 में केरल तथा तामिलनाडु में तट के साथ-साथ समु में किये गये सर्वेक्षण के परिणाम-स्वरूप यह ज्ञात हुआ था कि वहाँ की रेत में भारी खनिज, जिनमें ोनाजाइट

भी शामिल है, अत्यन्त अल्प मात्रा में विद्यमान है । इसके बाद 1973–74 में कैम्बे की खाडी के पार पश्चिमी तट के क्षेत्र में बामास से दमन तट के साथ-साथ समुद्र में किये गये सर्वेक्षण से यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में मोनाजाइट तथा उसके अनुसंगी अन्य भारी खनिज केवल नाम-मात्र को ही विद्यमान हैं ।

अन्तरिक्ष स्टेशनों के सापेक्ष वेग और उनके परस्पर जुड़ने पर नियंत्रण के लिए प्रयोग

3771. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष स्टेशनों के सापेक्ष वेग और उनके परस्पर जुड़ने पर नियंत्रण के बारे में एन० ए० एस० ए० के सहयोग से प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस दिशा में अब तक हुई प्रगति क्या है?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, नेशनल एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के बीच 1971 के प्रारम्भ में हुए सहयोगातमक-करार के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में, एक भारतीय वैज्ञानिक मासबौर-प्रभावों के बारे म प्रयोगिक-परीक्षण कर रहा है, जिसके परिणाम डाकेट के प्रयोजनों के लिए अन्तरिक्ष शटलों और स्टेशनों के सापेक्ष वेग पर नियंत्रण रखने में लाभदायक सिद्ध होगें। 'नासा' ने इस परीक्षण के लिए कुछ उपकरण उधार पर दिए हैं। यह परीक्षण काफी सन्तोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है और इसके साथ ही 'मासबौर-प्रभाव' का प्रयोग करते हुए बारीक फिल्मों के गुणों का भी अध्ययन किया जा रहा है जो अन्तरिक्ष अनुसंधान और उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा ।

सूर्य वायू की और भूतापिय ऊर्जा का उपयोग

3772. **विश्लानाथ प्रतापसिंह** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूर्य, वायू की और भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए क्या प्रयास किया जा रहा हैं, और

(ख) इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौधोगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने प्रयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में सौर, वायु तथा भूतापीय ऊर्जा शक्तियों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विशषज्ञ पैनलों का गठन किया । सौर-ऊर्जा संबंघी पैनल ने भावी विकास कार्य के लिए आशाजनक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया । इन प्राथमिकता वाले क्षत्रों में कार्य प्रारम्भ करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञ दलों से प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। राशि प्रदान करने के लिए इन प्रस्तावों की छानबीन और उनका मूल्यांकन किया जायेगा । इसी प्रकार वायु ऊर्जा के लिए, पानी के पंपन तथा ग्रामीण विद्युती-करण में प्रयोगहेतु प्रस्तावों की जांच की जा रही है । भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में, भावी कार्य के लिए प्राथमिकताओं एवं क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है तथा संबंधित कार्यान्वियन संगठन, तत्संबधी विभिन्न कायक्रमों का आयोजन कर रहे हैं ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को नए ऊर्जा ससाधनों के उपयोग के लिए अन्तिम रूप से 4 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी है तथा चालू वर्ष में 25 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक एजेन्सियां यथा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डी० आर० डी० ओ०, परमाणु ऊर्जा आदि भी अपने-अपने बजट प्रावधान में से व्यय करेंगी, यद्यपि यह निर्दिष्ट नहीं कि यह "नए उर्जा संशोधन" शीर्षक के अन्तर्गत हो।

दिल्ली के लिए बनी हरिजन कल्याण योजनाओं का लागू न किया जाना

3773. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए बनायी गई हरिजन कल्याण योजनाएं, जिन्हे केन्द्र की स्वीकृति प्राप्त है, सम्भवत: धनाभाव के कारण लागू न की जा सकेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कौन सी कल्याण योजनाओं के प्रभावित होने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) तथा (ख) : दिल्ली के लिए 45 करोड़ रुपयों की वार्षिक योजना लागत नियत की गई थी, बशर्ते कि दिल्ली प्रशासन अपने स्त्रोतों से 4 करोड़ रुपये जुटाये। इस समय 41 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है जिसमें से दिल्ली प्रशासन ने हरिजन कल्याण योजनाओं के लिए 29.55 लाख रुपये दिये हैं। ये संलग्न विवरण में प्रत्येक योजना के सामने दिये जाते हैं। कोई योजना नहीं छोड़ी गई है।

विवरण

रुपये लाखों में

क्रम संख्या (1)	योजना का नाम (2)	योजना सीमा (3)	1974–75 के दौरान दी गई राशि (4)
	अनुसूचित जातियों का कल्याण		
	शिक्षा		
1	अनुसूचित जातियों को व्यावायिक और तकनीकी छात्रवृत्तियां	1.60	0.70
2	अनूसूचित जातियों को सराहनीय छात्रवृत्तियां	1.00	1.00
3	अनुसूचित जातियों की लड़कियों का छात्रवास	1.50	1.50
4	अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षणार्थियों को उनकी प्रशिक्षता क दौरान छात्रवृत्ति	1.00	0.50
5	अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए छात्रवास	1.50	0.50
6	अनुसूचित जातियों को प्रशिक्षण सुविधाएं	0.60	0.50
7	अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक	0.80	0.25
	कुल शिक्षा	8.00	4.95

M/P(D)10LSS—5

1	2	3	4
आर्थिक विकास			
1	ग़ैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	1.00	0.60
2	लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता	3.00	1.00
3	महतरों तथा सफाई कर्मचारियों के कार्य तथा रहन-सहन की दशा को सुधारने के लिए योजना	10.00	5.00
	कुल आर्थिक विकास	14.00	6.60
स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाएं			
1	आवासीय आर्थिक सहायता	15.00	10.00
2	हरिजन कल्याण मण्डल का विस्तार	3.00	0.50
3	मूल्यांकन कक्ष	0.50	0.50
	कुल स्वास्थ्य आवासीय तथा अन्य योजनाएं	18.50	11.00
विशेष योजना			
1	हरिजन बस्तियों का सुधार	4.00	4.00
पिछड़े वर्गों का कल्याण			
1	अन्य पिछड़े वर्गों को सराहनीय छात्रवृत्तियां	3.00	3.00
	योग	7.00	7.00
	कुल योग	47.50	29.55

भारतीय अर्थ व्यवस्था में बहु-राष्ट्रीय निगमों का प्रवेश

3774. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े औद्योगिक गृहों तथा बहु-राष्ट्रीय निगमों को उत्पादन के विविधीकरण के नाम पर हमारी अर्थ-व्यवस्था के नये क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) ये बहुराष्ट्रीय निगम कौन-कौन से हैं और वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां वे कार्य करेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिक तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :. (क) से (ग) 2 फरवरी, 1973 के औद्योगिक लाइसेंस नीति संबंधी विवरण के अनुसार (जिसकी प्रतियां 21 फरवरी, 1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के उत्तर के अनुबन्ध के रूप में सभापटल पर रख दी गयी थी) विदेशी पूंजी-बहुल कंपनियां (बहु-राष्ट्रीय कंपनियों सहित) तथा बड़े औद्योगिक गृह कुछ ऐसे प्रधान उद्योगों में हिस्सा बंटाने के पात्र हैं जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपर्ण है अथवा जिनका ऐसे उद्योगों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है अथवा जिनके अधिक समय तक निर्यात किये जाने की संभावना है। इन उद्योग क्षत्रों में भी यदि लघु तथा मध्यम उद्यमियों में से कोई उपयुक्त आवेदक आगे आता है तो विदेशी पूंजी-बहुल कंपनियों तथा बड़े औद्योगिक गृहों की अपेक्षा उन्हें अधिमान दी जायगी।

सभी विदेशी बहुलांश कम्पनियों को जो कार्यकलापों का विस्तार करना चाहती हैं अथवा उनके नये क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहती हैं, सरकार द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार अपने विदेशी आधिपत्य को विलय करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी कम्पनियों से निवेश के प्रस्तावों की प्रोद्योगिकी पहलुओं, निर्यात संचावनाओं और अर्थ-व्यवस्था पर उनक समग्र रूप से पड़ने वाले प्रभाव के विशेष संदर्भ में विचार किया जा रहा है। यह नीति अपरिवर्तित रही है। विदेशी कम्पनियों और बड़े औद्योगिक गृहों को नई क्षमता स्थापित करने से पहले उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ता है, चाहे वह नया उपक्रम हो, पर्याप्त विस्तार करने के लिये हो अथवा अधिनियम की सीमा में आने वाले उद्योगों से संबंघित नई वस्तु हो। उसे सरकार की उदारीकृत नीति को अन्तर्गत लघु और मध्यम उद्यमियों को अधिनियम के लाइसेंसिंग उपबंघ से छूट नहीं दी जाती है।

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा संकलित सूचियों के अनुसार 31-3-1971 को भारत में विदेशी कम्पनियों की 217 भारतीय सहायक कम्पनियां थीं और 31-3-1972 को भारत में विदेशी कम्पनियों की 533 शाखाएं कार्य कर रहीं थीं। यह कहना कठिन है कि उनमें से कितनी कम्पनियों को भारत से बाहर उनक कार्य-कलापों के बारे में जानकारी न होने की स्थिति में पक्के तोर पर बहु-राष्ट्रीय निगमों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोटे तौर पर भारत में कार्य करने वाली इन कम्पनियों में हर एक को इस आशय से कि वे दो या अधिक देशों में कार्य करती है "बहु-राष्ट्रीय" कहा जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में स्वतन्त्रता सेनानी गृह

3775. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के एक अधिकारी ने कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित 24 परगना स्थित वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी गृह और कलकत्ता स्थित वृद्ध क्रांतिकारियों के लिये बने गैर-सरकारी गृह 'विप्लवी निकेतन' का दौरा किया था और इन गृहों के रख-रखाव के बारे में सरकार को रिपोर्ट दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् इन गृहों के कार्य संचालन का पता लगाने क लिये दौरा किया गया था ताकि वृद्ध, अशक्त तथा शारीरिक रूप से अपंग स्वतंत्रता सेनानियों के लिये दो गृह स्थापित करने हेतु भारत सरकार अपनी योजना तैयार कर सके ।

उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन के लिये पहाड़ी नाले एवं जल प्रपात

3776. **कुशोक बाकुला :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बद्रीनाथ से नीचे हरिद्वार तक और पिन्डारी तथा मिलाम हिम नदियों के रास्ते में अनेक तेज गति के पहाड़ी नाले एवं जल-प्रपात हैं, जिनसे बिजली पैदा की जा सकती है ;

(ख) क्या इन प्राकृतिक श्रोतों, जिन को टरबाईनों के चलाने के काम में लाया जा सकता है, का कोई तकनीकी सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या जापान ने इस प्रकार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ; और

(घ) यदि हां, तो हमारे देश में इस दिशा में क्या कार्य किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों में खड़ी ढालें हैं और उनके सूक्ष्म जल विद्युत् विकास की अनेक सम्भावनाएं हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के हिमालय के अंचल स्थित क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्रों को सेवित करने के लिए लगभग 4000 किलोवाट विद्युत् की व्यवस्था करने हेतु 21 ऐसी लघु स्कीमें पहले ही विकसित की जा चुकी हैं। बृहद् जल-विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण की भी सम्भावनाएं हैं। 1950 के दशाब्द में केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा जल-विद्युत् का सर्वेक्षण किया गया था और उत्तर प्रदेश के हिमालय के अंचल में स्थित क्षेत्र में अलकनंदा, भागीरथी और मुख्य गंगा पर लगभग 8000 मिलियन यूनिट की कुल वार्षिक ऊर्जा शक्यता की 9 बृहद् जल विद्युत् परियोजनाओं का निर्धारण किया था। तदन्तर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी सर्वेक्षण किए गए थे जिनमें हिमालय के क्षेत्र में अलकनंदा, भागीरथी और मुख्य गंगा नहर पर 18,650 मिलियन यूनिट वार्षिक ऊर्जा शक्यता का मूल्यांकन किया। भारत में जल विद्युत् विकास के प्रस्तावों को तैयार करते समय जापान सहित अन्य देशों में हुए विकास कार्य और प्रौद्योगिकी की प्रगति को ध्यान में रखा जाता है।

"गरीबी हटाओ" कार्यक्रम की प्रगति

3777. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश से गरीबी हटाने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : गरीबी हटाने के उद्देश्य को ध्यान म रखते हुए हाल ही में विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा नीति संबंधी उपाय अपनाए गए हैं। इस में निम्न लिखित शामिल ह : (1) कृषि, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास पर तथा समाज के गरीब वर्ग के लाभ के लिए पशुपालन, डेरी उद्योग, मछली पालन, आदि जैसी गतिविधियों के विकास पर बल देना; (2) छोटे किसान सूखे वाले क्षेत्रों के किसान तथा भूमिहीन मजदूर कृषि विकास कार्यों में भाग ले सकें और इस विकास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों के भागीदार बन सकें, इस उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करना ; (3) छोटे कर्जदारों के लाभ के लिए वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी समितियों की ऋण-नीति का पुनः निर्धारण करना; (4) भूमि सुधार उपायों को कार्यान्वित करना ; (5) ग्रामीण रोज़गार के लिए त्वरित कार्यक्रम प्रारम्भ करना; (6) सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम आरम्भ करना; (7) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सामाजिक सेवाओं और कल्याण स्कीमों के विस्तृत कार्यक्रम शुरु करना; (8) शिक्षित बेरोज़गारों के लिए रोज़गार अवसरों की व्यवस्था करने के लिए स्कीमें प्रारम्भ करना; और (9) खाद्यान्नों तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण पद्धति को सुदृढ़ करना और उसको और व्यापक करना।

गरीबी उन्मूलन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और पांचवी योजना के प्रारुप में बताए गए मौलिक उद्देश्यों में से एक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गरीबी हटाने के लिए पांचवीं योजना अवधि में जिन विविध कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने का प्रस्ताव है वे पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप दस्तावेज में वर्णित किए गए हैं।

लघु उद्योग एककों की स्थापना के लिए हरिजनों को वित्तीय सहायता

3778. **श्री झारखंडे राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग एककों की स्थापना हेतु हरिजनों को वित्तिय सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) ऐसी सहायता के लिए कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना नहीं है। किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने अनसूचित जातियों के सदस्यों को उनके आर्थिक उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निगम स्थापित किये हैं।

नए ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए अमरीका के ऊर्जा दल का दौरा

3779. **श्री झारखंडे राय** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका से एक ऊर्जा दल ने नए ऊर्जा संसाधनों के विकास की संभावनाओं पर विचार करन के लिए भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) जी हां।

(ख) यह दल कई देशों का दौरा कर रहा था और अमरीका लौटते समय रास्ते में दिल्ली में भी रुका था। दिल्ली में ठहरने के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिकों के साथ नए ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए कई विकल्पों के संबंध में विमर्श किया।

वर्ष 1974-75 के दौरान गांवों का विद्युतीकरण

3780. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य के कितने गांवों में वर्ष 1974-75 के दौरान बिजली पहुंचाई जायेगी तथा वर्ष 1973-74 की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फरीदाबाद उद्योग एसोसिएशन द्वारा फरीदाबाद के उद्योगों को बिजली की नियमित सप्लाई करने का अनुरोध

3781. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद उद्योग नगरी को बिजली की सप्लाई स्थगित करने से औद्योगिक उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है जिसके करोड़ों रुपयों के उत्पादन को हानि पहुची है ;

(ख) क्या इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए फरीदाबाद उद्योग एसोसिएशन ने फरीदबाद उद्योगों को बिजली की नियमित सप्लाई करने के लिए कार्यवाही करने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विद्युत् की कमी के कारण, प्रतिरक्षा अभिमुख तथा कुछ अन्य उद्योगों और अनिवार्य सेवाओं जैसे डाकतार, आकाशवाणी और रेल प्रतिष्ठापनों को छोड़ कर, सभी उद्योगों पर 60 प्रतिशत कटौती लागू है। इन विद्युत् कटौतियों का औद्योगिक उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है, यद्यपि हानि का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। फरीदाबाद के उद्योगों को नियमित रूप से विद्युत् प्रदाय करने के लिए फरीदाबाद उद्योग संघ से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

60-60 मैगावाट के दो यूनिटों वाले एक ताप विद्युत् केन्द्र का फरीदाबाद में इस समय निर्माण किया जा रहा है। इसके प्रथम यूनिट के सितम्बर, 1974 तथा दूसरे यूनिट के फरवरी, 1975 में चालू होने की संभावना है। हरियाणा में पानीपत में भी 110-110 मैगावाट के दो यूनिटों वाले एक ताप विद्युत् केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है और इसके प्रथम यूनिट क मार्च, 1977 तथा दूसरे

यूनिट के मार्च, 1978 में चालू किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अनेक अन्य स्कीमें भी हैं, जिनसे पांचवीं योजना में लाभ उपलब्ध हो जाएंगे। यह प्रत्याशा है कि विभिन्न नई स्कीमों के पूर्ण होने पर, हरियाणा में विद्युत् प्रदाय स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा। इस बीच केन्द्रीय सक्टर में बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र से हरियाणा को विद्युत् प्रदाय करके राहत पहुंचाई जा रही है।

आधुनिक बिजली घरों की स्थापना

3782. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ आधुनिक तापीय बिजली घरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कहां-कहां की जाएगी तथा इसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस उद्देश्य के लिए धन आबंटित किया गया है तो उससे इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांचवीं योजना के प्रारूप में 9.9 मिलियन कि० वा० की अतिरिक्त ताप-विद्युत् उत्पादन क्षमता परिकल्पित है जो कि पूर्णतया आधुनिक ताप-विद्युत् केन्द्रों के रूप में होगी। नए विद्युत् केन्द्रों में अधिकतर 110, 120 तथा 200 मैगावाट के आकार के यूनिट होंगे। इन विद्युत् केन्द्रों को विश्व में हुए अद्यतन प्रौद्योगिकी के विकास तथा प्रगति को उस सीमा तक समाविष्ट करने के लिए आयोजित किया गया है जहां तक वे हमारे लिए लाभप्रद हैं।

(ख) इन विद्युत् केन्द्रों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8324/74**)।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, 1974-75 की वार्षिक योजना में ताप-विद्युत् तथा जल-विद्युत् उत्पादन स्कीमों के लिए 381.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Applications from Bihar for setting up of Industries

3783. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number of persons who applied for licences for setting up companies in Bihar in 1973-74;

(b) the number among them, who were granted such licences; and

(c) the reasons for not granting the licences to the remaining persons?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology and Agri-Culture : (Shri C. Subramaniam) :

(a) 67 applications were received from April, 1973 to March, 1974 for setting up new undertakings in Bihar.

(b) 13 letters of intent and 4 industrial licences were issued in respect of these applications.

(c) 11 cases are pending and the remaining 39 cases were rejected or otherwise disposed of on various grounds.

पांचवी योजना के दौरान रोजगार सुनिश्चित करने के लिए स्थयी उत्पादक आस्तियों का बनाया जाना

3784. श्री अर्जुन सेठी : क्या **योजना** मंत्री पांचवीं योजना के दौरान रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की योजनाओं सम्बन्ध में 28 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4995 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं बनाने का विचार है जिससे लोगों को रोजगार देने के लिए यथासम्भव अधिकाधिक स्थायी उत्पादक आस्तियों का निर्माण किया जा सके; और

(ख) इसके लिए कितना धन निर्धारित किया गया है तथा उससे रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न हो सकेंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं योजना में विनियोजन कार्यक्रम परहोने वाले परिव्यय से स्थायी उत्पादक आस्तियों का सृजन होगा तथा आर्थिक उत्थान और ोजगार अवसरों के निरंतर विस्तार को आधार प्राप्त होगा। औद्योगिक क्षेत्र और बिजली विकास इत्यादि से सम्बन्धित कार्यक्रमों के अतिरिक्त कृषि विकास कार्यक्रम तथा बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र तथा सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों में सघन कृषि कार्यक्रम और छोटे व नाम मात्र के किसानों को सहायता, मध्यम व छोटी सिंचाई के विकास और भूमि विकास आदि सम्बन्धी कार्यक्रमों से रोजगार क्षमता बढ़ेगी तथा स्थायी आस्तियों का सृजन होगा। ऐसा अनुमान है कि कमान क्षेत्र विकास, सूत्रा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा लघु और सीमान्त कृषक विकास एजेन्सी सम्बन्धी स्कीमों को क्रियान्वित करने से 260 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा पहुंचेगा। पांचवीं योजना प्रारुप में लघु उद्योगों व ग्रामोद्योगों के सहायतार्थ शामिल की गयी स्कीमों से ऐसी सम्भावना है कि लगभग 33 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन होगा तथा 33 से 34 लाख लोगों को पूर्ण रोजगार भी मिलेगा।

पांचवीं योजना में विभिन्न क्षेत्रों के लिए रखी जाने वाली धन-राशि पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

आकाशवाणी के कटक केन्द्र म ट्रांसमीशन टावर का निर्माण कार्य पूरा होना

3785. श्री अर्जुन सेठी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कटक केन्द्र में नये ट्रांसमीशन टावर का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) कटक में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का काम पूरा हो गया है और ट्रांसमीटर शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा। तथापि, इस्पात की कमी के कारण नये मास्ट को खड़ा करने में कुछ देरी होने की सम्भावना है। इसलिये अस्थायी उपाय के रुप में, वर्तमान मास्ट का उपयोग किया जायेगा।

पतरातू और बरौनी तापीय बिजली परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए बिहार बिजली बोर्ड को दी गई सहायता

3786. श्री एम० एस० पुरती : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पतरातु और बरौनी तापीय बिजली परियोजनाओं को अपनी क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन करने हेतु इनका विस्तार करने के लिए बिहार बिजली बोर्ड को वर्ष 1974-75 के दौरान कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ख) पांचवीं योजना में इसके लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ग) इन दो परियोजनाओं का विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) इससे बिजली कब तक पैदा होने लगेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांचवीं योजना के दौरान, पतरातू और बरौनी ताप विद्युत् केन्द्रों में 110-110 मैगावाट के क्रमशः चार तथा दो यूनिटों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1974-75 के दौरान पतरातू तापीय विस्तार के लिए 6.20 करोड़ रुपये और बरौनी तापीय विस्तार योजनाओं के लिए 6.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) पांचवीं योजना के ड्राफ्ट में, पतरातू विस्तार परियोजना तथा बरौनी विस्तार परियोजना के लिए क्रमशः 50 करोड़ रुपये तथा 35.66 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(ग) और (घ) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, विभिन्न यूनिटों को इस प्रकार चालू करने की संभावना है :—

पतरातू

प्रथम यूनिट—3/76

दूसरी यूनिट—9/76

तीसरी यूनिट—1977-78

चौथी यूनिट—1977-78

बरौनी

प्रथम यूनिट—1977-78

दूसरी यूनिट—1978-79

इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 और इंडियन इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 का संशोधन

3787. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य बिजली बोर्ड का कार्य सुधारने और बिजली के कारोबार में वित्तीय अथवा वाणिज्यिक अनुशासन लाने के लिए भी इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 और इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (जुलाई) एक्ट, 1948 का संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 तथा विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

बराक बांध परियोजना

3788. **श्री एन० ई० होरो:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बराक बांध परियोजना को त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित परियोजना के किसी विकल्प पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना पर कार्य आरंभ किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बारक बांध परियोजना पर अन्वेषण कार्य किया जा रहा है । एक स्थल का अन्वेषण किया जा चुका है, परन्तु इसकी संचय क्षमता सीमित है। एक अन्य स्थल का अन्वेषण किया जा रहा है जिसमें बहुत अधिक सिंचाई, जल विद्युत् उत्पादन की शक्यता है और इसमें बाढ़ पर भी पर्याप्त नियंत्रण हो सकेगा । परियोजना का अन्वेषण पूर्ण होने तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने के उपरांत इसके क्रियान्वयन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

बांधों के जलाशय में जल दूषण

3789. **श्री एम० एस० पुरती**
श्री जी० वाई० कृष्णन् } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलाशय में जल दूषण का बांधों तथा क्षमित ढांचों और वहां काय करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में भारत में कुल पन बिजली परियोजनाओं का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा जलाशयों में जल दूषण रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान, संस्थान नागपुर तथा केन्द्रीय बिजली अनुसंधान संस्थान बंगलौर ने कर्नाटक में भद्रा जल विद्युत् परियोजना, केरल में साबरगिरी जल-विद्युत् परियोजना तथा तमिलनाडु में कण्डाह जल विद्युत् परियोजना संबंधी अध्ययन किए थे। इन अनुसंधानों से विदित हुआ कि वहाँ हाइड्रोजन सल्फाईड विद्यमान है जो कि प्रचालन कार्मिकों के स्वास्थ्य तथा विद्युत् केन्द्रों में कुछ उपस्करों के लिए भी हानिकर है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच परियोजना प्राधिकारियों को अंतरिम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक उपाय करने की सलाह दी जा रही है।

उडीसा में हीरा कुंड बाँध से बिजली पैदा करना तथा उसकी सप्लाई

3790. श्री गजाधर मांझी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुन्ड बांध की बिजली उत्पादन करने वाली वर्तमान क्षमता कितनी है तथा वहां से प्रतिदिन कितनी बिजली पैदा की जाती है तथा उड़ीसा राज्य के औद्योगिक एककों को सप्लाई हेत इसमें कितनी बिजली ली जाती है; और

(ख) राज्य के गांवों में विद्युतीकरण हेतु कितनी बिजली नियत करन की आवश्यकता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हीराकुंड विद्युत् (एक और दो) से वर्तमान विद्युत् उत्पादन 3.0 से 3.36 मिलियम यूनिट के बीच होता है। इस विद्युत् का बड़ा भाग उद्योगों में उपयोग किया जाता है। 1972-73 के आंकड़ों से पता चलता है कि उड़ीसा में उपभोग की गई कुल विद्युत् का 86 प्रतिशत उद्योगों में हुआ था तथा केवल 0.4 प्रतिशत ही ग्राम विद्युतीकरण के लिए था।

कोका कोला निर्यात निगम के भारतीय बोटलर्स द्वारा 'साफ्ट ड्रिंक्स' का उत्पादन

3791. श्री एन० ई० होरो : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोका कोला निर्यात निगम का भारतीय बोटलर्ज पूरी तरह से स्वदेशी प्रोद्योगिकी से 'साफ्ट ड्रिंक्ज' का विकास और उत्पादन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इनके कार्य-निष्पादन से सन्तुष्ट है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) कोका कोला निर्यात निगम के भारतीय बोतल भरने वाले मैं० प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि० विभिन्न देशी संसाधनों से मिश्रण वस्तुओं द्वारा साँद्रण तैयार करके ओरेन्ज स्वेशल पेय बना रहे थे।

पूर्णत: देशी पेय बनाने तथा केन्द्रीय खाद्य प्रविधिक अनुसंधान संस्थान के समान राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्य करने की आवश्यकता पर कोका कोला ी बोतल भरने वालों से चर्चा की गई थो। इन चर्चाओं के अनुसार सुरस विकास हेतु आवश्यक अनुसंधानों का प्रवर्तन केन्द्रोय खाद्य प्राविधिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा किया जा रहा है।

निर्धन देशों द्वारा प्रौद्योगिकी का आयात करने के बारे में अंक्टाड का अध्ययन

3792. **श्री गजाधर मांझी**
श्री राम सहाय पांडेय } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन देशों को विकसित देशों से प्रौद्योगिकी का आयात करने से अधिक लाभ नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अंक्टाड ने निर्धन देशों द्वारा आयातित प्रौद्योगिकी की लागत के बारे में उपाय सुझायें हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) उन्नत देशों से प्रौद्योगिकी के आयात से लाभों की प्राप्ति के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं सीमाओं का भी पता चला है। विकास शील देशों की सीमित प्रतिक्रिया पर आधारित अक्टांड द्वारा किये गये अध्ययन से कई सीमाओं का पता लगा है जिनमें अन्य बातों के अलावा, कच्चे माल के आयात तथा अन्त: निवेश, संयंत्रों के उपकरण तथा फालतू पुर्जों की न्यूनतम खरीद, निर्यात पर नियंत्रण, लाभ, रायल्टी एवं प्रेषित धन पर प्रभाव डालने वाले कर तटकर और विनिमय दर में परिवर्तन होने पर गारंटी संबंधी आवश्यकताएं, आयात पर प्रतिबंध द्वारा प्रतिस्पर्धा को सीमित करना, प्रति स्पर्धा को समाप्त करने के लिए स्थानीय एकस्व को प्राप्त करना इत्यादि।

(ख) प्रौद्योगिकी के आयात की सीमाओं का कम करने के लिए अंक्टांड प्रलेख में नीतियों एवं संस्थानों के बारे में कुछ सुझाव दिए गये हैं। इसमें विकासशील देशों की घरेलू वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अन्य रचनाओं के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की शर्तों से संबंधित उपयुक्त नीति और अभियंत्र बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है। इसने विदेशी प्रौद्योगिकी को विकासशील देशों में लाने के लिए विदेशो फर्मों को पूर्ण-स्वायत्त सहायिका फर्मों से 'पेड आउट' (लोपन) व्यवस्था तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में परिणत करने के सभी उपाय सुझाए हैं। इस रिपोर्ट ने आयात को अल्प खरीद के बारे में नियंत्रण प्रक्रिया को स्थगित करने में भारत की सफलता का उल्लेख किया है जो कि उन विधाओं को सूचक हैं जिन पर देश विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाही करना जरूरी है भारत तथा कई अन्य विकासशील देशों में विशेष रूप में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा घरेलू अनुसंधान और विकास से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने को भी एक सही दिशोन्मुख आन्दोलन समझा जाता है।

बिजली के लिए समान टैरिफ निर्धारित करना

3793. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन लागत की बड़े पमाने पर भिन्न-भिन्न दरों को देखते हुए पन, तापीय तथा परमाणु बिजली का पुल बनाने और समान टेरिफ ढांचा निर्धारित करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार टैरिफ के संबंध में एक आदर्श विधान लाने का है ताकि राज्यों में टैरिफ की दरों में बड़े पैमाने पर भिन्नता न हो और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जबकि क्षेत्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय आधार पर प्रणालियों के समेकित प्रचालन को बढ़ावा देने की एक स्कीम है, इस आधार पर एक सामान्य टैरिफ ढांचा लागू करने की कोई स्कीम नहीं है। बहरहाल, एक ही प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए सामान्यतया प्रत्येक राज्य में एक सामान्य टैरिफ विद्यमान है।

(ख) जी, नहीं।

Under Trials in Jails

3794. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether thousands of under-trials are there in the jails of each State for years and they are not produced before Judges;

(b) whether each State Government has to spend lakhs of rupees every year on these under-trials; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by the Central Government to remove this loophole in the law?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c) According to the provisions of the Criminal Procedure Code, under-trails can be detained in Jail only under authority from a competent Court and they are required to be produced before the Court at stipulated intervals. The position in regard to the number of under-trials varies from State to State, and in some States, for various reasons, the number of such under-trials and the expenditure on their up-keep has been high. The new Criminal Procedure Code which has come into force with effect from 1-4-74 contains provisions for reducing the period of investigation and trial of the cases against under-trials and it is expected that the under trial population in different jails of the country will be considerably brought down in the near future.

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3795. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं, और

(ख) ऐसे आवेदकों की संख्या कितनी है जिनके नाम तीन वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा सूची में है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनिर्णीत पड़ी अर्जियों की संख्या तारीख 31-1-1974 को 5 लाख 32 हजार थी।

(ख) सामान्य प्रतीक्षा सूची में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए तीन वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़ी अर्जियों की संख्या तारीख 31-3-1974 को 1 लाख 67 हजार थी। देश के अधिकांश स्थानों के ओ० वा ई० टी० और विशेष श्रेणी के आवेदकों को अर्जी देने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर टेलीफोन कनेक्शन दे दिये गए हैं। इस प्रकार के अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

देश में अवैध रूप से हथियार बनाने वाले कारखानों का पता लगाना

3796. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान देश में अवैध रूप से हथियार बनाने वाले कितने कारखानों का पता लगाया गया है ;

(ख) वहां से किस तरह के तथा कितने हथियार बरामद किये गये हैं ; और

(ग) इस संबंध में अपराधियों के नाम क्या हैं और उनको क्या दण्ड दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिगरेटों का मूल्य

3797. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेटों के अनेक लोकप्रिय ब्रांडों के मल्यों में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां तो कितनी वृद्धि की गई है तथा उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सिगरेटों के मूल्य के संबंध में सरकार कोई आंकड़े नहीं रखती है। चूंकि सिगरेट एक आवश्यक वस्तु नहीं है अतः इसके मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है।

Post Office Building in Bametara

3799. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Post Office located in Bametara town of Durg district has not got any building of its own;

(b) whether the rent for the building housing the Post Office at present, is exorbitant;

(c) whether Government propose to construct their own building; and

(d) if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) There is a building which is in a dilapidated condition.

(b) No. The rent for the building is Rs. 75 per month.

(c) Yes.

(d) Construction is held up due to ban on constructing non-functional buildings including Post Office buildings.

मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास

3800. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पांचवीं योजना में कुल कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) यह राशि किन मदों के लिए और किन शीर्षों के अन्तर्गत रखी गयी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अन्तिम रूप से एक करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय इस अन्तिम परिव्यय में संशोधन किया जा सकता है। राज्य की पांचवी योजना के प्रारूप में परिकल्पित किये गए हथकरघा उद्योग विकास कार्यक्रम में हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर रियायत

वर्तमान तथा नए सहकारी कताई मिलों के शेयर पूंजी के रूप में सहयोग, एपेक्स बुनकर सहकारी समितियों को उपांत धन के लिए ऋण, कमज़ोर सहकारी समितियों का पुनर्गठन, भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्कीम के अन्तर्गत सहकारी बुनकर समितियों को दिए जाने वाले ऋण के व्याज पर राजकोषीय सहायता, बुनकर सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में राज्य का सहयोग, आदि स्कीमें शामिल हैं।

केरल में थन्नीरामुक्कम स्थित साल्ट वाटर बैरियर का संशोधित प्राक्कलन

3801. **श्री ए० क० गोपालन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में थन्नीरामुक्कम स्थित साल्ट वाठर बैरियर के संशोधित प्राक्कलनों को मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) मंजूरी कब तक दिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) थन्नीरा मुक्कम नियामक स्कीम के लिए 458. 50 लाख रूपये की धनराशि का संशोधित प्राक्कलन केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जुलाई, 1973 में प्राप्त हुआ था। उसकी जांच करने के उपरांत दिसम्बर, 1973 में आयोग ने राज्य सरकार से कतिपय अन्य सूचना सहित संशोधित प्रोफार्मे में इस स्कीम के ब्यौरे भेजने के लिए अनुरोध किया था। ये राज्य सरकार से मई, 1974 में प्राप्त हुए थे और वित्त मंत्रालय के तकनीकी अनुभाग के साथ परामर्श करके आयोग में उनकी जांच की जा रही है। इस स्कीम के शीघ्र ही योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति के सम्मुख रखे जाने की संभावना है।

कन्काड पन बिजली परियोजना, केरल को स्वीकृति

3803. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कन्काड़ पन बिजली परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) कन्काड जल विद्युत परियोजना की संशोधित स्कीम रिपोर्ट केरल सरकार से प्राप्त हो गई तथा इस समय उसकी जांच की जा रही है।

लोअर पेरियाल और पेरंगकट्टी पनबिजली योजनाओं के बारे में अग्रिम परियोजना प्रतिवदन

3803. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोअर पेरियार और पेरिंगकट्टी पनबिजली योजनाओं संबंधी अग्रिम परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को कब प्रस्तुत किय गये ;

(ख) क्या इस परियोजना प्रतिवेदन के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केरल सरकार ने निम्न पेरियार और पेरिंगाकट्टी जल विद्युत स्कीम पर कोई परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं की है। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के पास केवल प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट ही उपलब्ध है। पता चला है कि राज्य सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है। उनके प्राप्त हो जाते ही उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

इलाहाबाद में फरक्का को सिंचाई परियोजनाओं के लिए पानी की आवश्यकता

3804. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलाहाबाद से फरक्का के बाग में सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितने क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी और कितने पानी की खपत होगी ;

(ख) कितने क्यूसेक पानी बंगला देश को दिया जाएगा ; और

(ग) इलाहाबाद को मुख्य धारा से कितने क्यूसेक पानी उपलब्ध होता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) सिंचाई परियोजनाओं द्वारा जल का समुपयोजन और इलाहाबाद से फरक्का तक जल की उपलब्धता परियोअनाओं की विकास स्थिति, वर्षापात, नदी प्रवाह, पुनरुत्पादन, सिंचाई क्षेत्र से जल के वापसी प्रवाह इत्यादि निर्भर रहते हुए भिन्न भिन्न होगी।

(ख) बंगला देश को आबंटित किए जाने वाले प्रवाह की मात्रा पर भारत तथा बंगलादेश की सरकारों के बीच अभी समझौता होना है।

(ग) इलाहाबाद में विश्वसनीय जल प्रवाह मई के महीने में 7087 क्यूसेक तथा अगस्त के महीने मे 42,0332 क्यूसेक के बीच रहता है।

Meetings of Central Hindi Advisory Committee

3805. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of meetings of the Central Hindi Advisory Committee held during the current year ; and

(b) the suggestions made by the Committee to the Government for promotion and propagation of Hindi and the steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The Central Hindi Committee met on 2nd April, 1974 during the current year.

(b) A statement showing the action taken on the decisions of the above meeting of the Committee is attached.

(Placed in the Library. See No. L. T.—8325/74)

सूक्ष्म तरग प्रणाली

3806. **श्री भगतराम राजाराम मनहर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या अत्यधिक प्रयासों के बावजूद देश में सूक्ष्म तरंग प्रणाली सफल सिद्ध नहीं हो सकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । जो सूक्ष्म तरंग प्रणालियां अब तक चालू की गई हैं, वे सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक और मुख्य परामर्शदाता का विदेशों का दौरा

3807. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक और मुख्य परामर्शदाता ने कितनी बार विदेशों के दौरे किये और उनका प्र ोजन क्या था ;

(ख) कितने देशों की यात्रा की गई और प्रत्येक दौरे पर विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या दौरे शुरू करने से पूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की इन दौरों के लिये मंजूरी प्राप्त की गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 1974 की अवधि में प्रबन्ध निदेशक तथा प्रधान परामर्शदाता द्वारा किये गए विदेश के दौरों का ब्यौरा, देशों का नाम खर्च तथा दौरे का उद्देश्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) निदेशक मंडल द्वारा बनाई गयी क्रियाविधि के अनुसार प्रबन्ध निदेशक तथा प्रधान परामर्शदाता के मामलों में विदेश के दौरों की मंजूरी कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा दी जाती है । संलग्न विवरण में उल्लिखित प्रबन्ध निदेशक तथा प्रधान परामर्शदाता के सभी दौरों की मंजूरी अध्यक्ष द्वारा कर दी गयी थी ।

प्रबन्ध निदेशक के ई० ई० सी० देशों को किये गये दौरे की पूर्वानुभूति भी निदेशक मण्डल से प्राप्त कर ली गई थी ।

विवरण

जनवरी—जुलाई, 1974 की अवधि में प्रबन्ध निदेशक ने तीन विदेशी दौरे किये हैं विवरण नीचे दिया जाता है : —

क्र० सं०	अवधि	देश जिसका दौरा किया	व्यय विदेशी मुद्रा में	व्यय भारतीय मुद्रा में	उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
1	2-2-74 से 10-2-74	तंजानिया	50 पौंड	कुछ नहीं	केपीटल डेवलपमेन्ट आथर्टी तंजानिया सरकार, के बुलाने पर इस आथर्टी के लिए राष्ट्रीय औदयोगिक विकास परिषद द्वारा लिये जाने वाले कार्य पर विचार करने के लिए दौरा किया गया था। विचार-विमर्श के परिणामस्वरुप बुलावे को सिद्धान्त रुप म मान लिया था । यात्रा और निवास खर्च तंजानिया सरकार ने दिया था ।

1	2	3	4	5	6
2	7-4-74 से 22-4-74	मल्येशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड	255 पौंड	4956 रुपये	प्रबन्ध निदेशक एक शिष्टमंडल के नेता थे जिसे भारी उद्योग मंत्रालय के अनुरोध पर उन देशों में संयुक्त उद्यम के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाने और इन देशों के परामर्शदाताओं से भारत से परामर्शदात्री सेवाओं और तकनीकी जानकारी की व्यवस्था के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का दौरा किया था। इसके फलस्वरुप ऐसी अनेक विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाया गया जिन्हें भारतीय सहायता से स्थापित किया जा सकता है। सक्षमत भारतीय फर्मों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और कुछ मामलों में विचार विमर्श करना शुरु कर दिया गया है।
3	13-5-74 से 2-6-74	ब्रिटेन, फ्रांस बेल्जियम, इटली	315 पौंड	20,433 रुपये	प्रणाली (मैथोडोलोजी) के आधार पर भारत से ई० ई० सी० देशों को इंजीनियरी के सामान का निर्यात् करने के बारे में तकनोलाजीकल

1	2	3	4	5	6
					जानकारी इकट्ठा करने तथा देश की आवश्यकतानुसार ई० ई० सी० देशों से जटिल प्रकार की प्रौद्योगिकी का आयात करने के बारे में बुशेल स्थित भारतीय राजदूत की सहायता देने के लिए सरकार के अनुरोध पर बेल्जियम और ई० ई० सी० देशों का दौरा किया गया था। टैक्नौलौजी के प्रबंध निदेशक के साथ उस संगठन के पुरान मामलों पर और उस देश से व्यापार की संभाव्यता पर बातचीत करने के लिए ईरान का दौरा किया गया था।
					ई० ई० सी० में किए गये विचार विमर्श के फलस्वरूप यूरोपियन और भारतीय परामर्शदात्री संगठनों का 'सम्मेलन' बुलाने के बारे में सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि भारतीय कौशल तथा क्षमता का उपयोग करने के लिए व्यापार संभाव्यता ों को सानश्चित किया जा सके।

1974 में मुख्य परामर्शदाता द्वारा किये गय विदेशी दौरे

जनवरी—जुलाई 1974 की अवधि में मुख्य परामर्शदाता ने एक विदेशी दौरा किया है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया जाता है :—

1.	16-6-74 से 29-6-74	थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर	210 पौडं	4,956 रूपये	स्टेट डैवलपमैंट कारपोरेशन आफ नेगरी सेमबीलन (मलेशिया) के साथ और इस क्षेत्र में व्यापार संवर्धन करने के लिए करार पर बातचीत ।

सीमेंट का आयात करने में एजेन्टों द्वारा दिल्ली क्षेत्र में इंकार

3808 **श्री विश्वनाथ झुंनझुन वाला :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सीमेंट ऐंजटों ने दिल्ली क्षेत्र में सीमेंट स्वीकार न करने और इसका आयात न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सीमेंट की सप्लाई निरन्तर बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजली घर

3809. **श्री समर गुह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजली परियोजना की स्थापना के बारे में 31 जुलाई 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परामाणु ऊर्जा विभाग और पश्चिम बंगाल के योजना बोर्ड के बीच मतभेद किन मुख्य बातों के बारे में है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल योजना बोर्ड ने अपने दूसरे ज्ञापन में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निवारण करने का प्रयास किया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल योजना बोर्ड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच आगे कब विचार विर्मश करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) पश्चिमी बंगाल के राज्य योजना बोर्ड ने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि कोयले की खानों के मुहानों को केन्द्र मानकर उनसे 270 किलोमीटर के अर्धव्यास की सीधे रेल मार्ग द्वारा तय की गई दूरी वह दूरी है जिस पर पहुंच कर परमाणु बिजली घर से या ताप से बिजली पैदा करने के पर एक जैसा हीं खर्च आयेगा । तथापि परमाणु ऊर्जा विभाग विचार से यह अर्धव्यास 500 किलोमिटर से अधिक होना चाहिये और, टॅन इस अर्धव्यास के भीतर पड़ता है । इस कारण, डॉटन में परमाणु बिजली घर का लगाना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकेगा । परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निवारण पश्चिमी बंगाल योजना बोर्ड के दूसरे ज्ञापन में पूरी तरह से नहीं किया गया है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल की सरकार को सूचित कर दिया गया था कि यदि वहां बिजली-घर स्थापित करने की सम्भावना के बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किये गये विश्लेषण स सन्तुष्ट नहीं है तो वह इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए एक दल भेज सकती है । यह बातचीत 20 तथा 21 सितम्बर, 1974 को होगी ।

एसोसिएशन आफ इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री के सर्वेक्षण का प्रतिवेदन

3810. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन आफ इण्डिया इण्डस्ट्री द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय इन्जीनियरी उद्योग के संगठन ने इन्जीनियरी उद्योग की प्रवृतियों का एक छमाही सर्वेक्षण कार्यों और संभावनाओं का अभिमत (ओपीनियन) सर्वेक्षण शुरू किया है । अक्तूबर, 1973 से मार्च 1974 की अवधि में किए गए 179 इन्जीनियरी एककों के पहले सर्वेक्षण के अनुभवों के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है :

1. 92 प्रतिशत उद्योग विक्रय मूल्य में उचित वृद्धि किए बिना एकक की लागत अग्रेतर वृद्धि की आशा रखते है । अतः पूंजी पर होने वाले लाभ में कमी होने की आशा है ।

2. क्षमता के उपयोग में गिरावट लक्षित हुई है ।

3. उत्पादन को सीमित करने वाले कारण कच्चे माल, उपकरणों, बिजली, कण वित्त आदि रहे है । इस्पात अभी प्रमुख रूकावट बना हुआ है ।

4. यद्यपि क्रयादेश की कुल स्थिति में वृद्धि परिलक्षित होती है, रेलवे राज्य एजेन्सियों, सरकारी क्षेत्र के एककों और अर्ध-सरकारी संगठनों के क्रयादेशों में और कमी हुई है ।

5. औद्योगिक अशान्ति का प्रमुख कारण मजदूरी, बोनस, तथा अन्तर-संघीय प्रति-द्वन्दिता रही है ।

6. उद्योग निर्यात के लिए ऊंचे मूल्य पर क्रयादेश प्राप्त करने की आशा रखता है ।

(ग) विभिन्न उद्योगों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने के मार्ग में आने वाली रुकावटों, को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सूचना प्रयास किया जा रहा है। रेल यातायात, कोयले का उत्पादन और विद्युत जनित्रण, आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने और कमी वाले औद्योगिक कच्चे माल का परिरक्षण करने, 33 महत्वपूर्ण उद्योगों को फरनेस आयल के आबंटन में प्राथमिकता प्रदान करने, प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले उद्योगो के बीच उपलब्ध सीमित विदेशी मुद्रा का और युक्तियुक्त सुनिश्चित करने तथा सरकार की स्वीकृति वाले विभिन्न प्रकार के आवेदनों पर विचार करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने आदि क लिए विशेष संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और परियोजनाओं के कार्य संचालन क लिए अनेक अभ्युपाय किये जा रहे हैं।

तमिलनाडु में टैलीफोन कनेक्शन

3811. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान तमिलनाडु मे कुल कितने नये कनेक्शन दिए गए और इस समय टैलिफोन कनेक्शन के लिये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े है ;

(ख) टेलिफोन कनेक्शनों की मजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी आवेदकों को शीघ्र कनेक्शन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तमिलनाडु में दिये गये नए टेलिफोन कनेक्शनों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1972–73 के दौरान	6,004
1973–74 के दौरान	6,542

ता० 30–6–1974 को अनिर्णीत पड़ी अर्जियों की संख्या 10,564 थी।

(ख) और (ग) ये अर्जियां एक्सचेंज की क्षमता, जमींदोज केबुल और अन्य सामग्री की कमी के कारण अनिर्णीत पड़ी है। उपस्कर और सामग्री के उपलब्ध सीमित साधनों के भीतर ही टेलिफोन प्रणालियों का विस्तार करने तथा और अधिक टेलिफोन कनेक्शन देने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहें हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में प्रबन्ध निदेशक का पद

3812. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम में प्रबन्धक निदेशक का पद छः महीने से अधिक समय से रिक्त पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या अन्तरिक व्यवस्था की देख-भाल करने के लिये मंत्रालय द्वारा तैनात एक बहुत जूनियर अधिकारी की उपर्युक्त पद के लिए सिफारिश की जा रहीं है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों के अन्य योग्य वरिष्ट अधिकारियों में इस पद के लिये परिपत्र भेजा है और क्या इस बारे में सरकारी उद्यम ब्यूरों से परामर्श किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास मंत्रालय में विशेष सचिव श्री ए० एन० बनर्जी 3 जून, 1974 तक अपने कार्यों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक का कार्य कर रहे थे ।

(ग) और (घ) औद्योगिक विकास मंत्रालय में निदेशक के पद का एक अधिकारी 3 अक्तूबर, 1973 को राष्ट्रीय कपड़ा निगम का अंश-कालिक निदेशक नियुक्त किया गया था और उसे प्रबन्ध निदेशक के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे ताकि वह अध्यक्ष की सहायता कर सके । राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध निदेशक का पद सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनूसूची 'ग' का पद है और अधिकारी को "अनुसूची 'ग' कार्यपालिका" श्रेणी में पैनलीकरण भर्ती बोर्ड द्वारा नामिका में शामिल किया गया है । उन्हें प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सामान्य प्रणाली के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

अजुध्या टेक्सटाइल मिल, दिल्ली में सी० ई० ओ० का पद

3813. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजुध्या टैक्सटाइल मिल, दिल्ली में पिछले एक साल से अधिक समय से कोई पूर्णाकालिक सी० ई० ओ० नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मिल में असन्तोष के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) जी हां । इस पद के लिए अक्तूबर 1973 में एक व्यक्ति चुना गया था परन्तु उसने नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया । दूसरे उपयुक्त अभ्यार्थी का पता लगाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं । मार्च 1974 से एक पूर्णकालिक अतिरिक्त चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर की नियुक्ति कर दी गयी है जो समस्तरूपेण अंशकालीन प्रधान कार्यकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा मार्ग-दर्शन में कार्य कर रहा है ।

(ख) मिल में कोई भारी असंतोष नहीं है हां, कुछ थोड़े से लोग अनुशासनहीनता के कार्य करने तथा काम रोकने का प्रयास करते रहे हैं ।

डाकघरों में नियतकालिक जमा खातों का खोला जाना

3814. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बचत बैंक खाते नियम ग्रावश्यक परिवर्तनों सहित 3, 5 ग्रौर 10 वर्षीय नियतकालिक जमा खाते खोलने पर लागू होते है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के ग्रनेक डाकखानों ने, यह तर्क देकर कि बचत बैंक खाते के नियम नियतकालिक जमा खातों पर लागू नहीं होते, सहकारी समितियों के नियतकालिक जमा खातों को उनके सचिवों द्वारा खोले जाने से इन्कार कर दिया है; ग्रौर

(ग) क्या डेहरा स्थित प्रधान डाकघर ने यह तर्क देकर डेहरा सहकारी वन समिति लिमिटेड, डेहरा के नाम से नियतकालिक जमा खाता खोलने से इन्कार कर दिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रधान डाकघर ने डेहरा सहकारी वन समिति लिमिटेड, डेहरा के नाम से मियादी जमा खाता खोलने में ग्रपनीं ग्रसमर्थता प्रकट की थी ।

पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एम० ए० एक्स० टैलीफोन एक्सचेंज का खोला जाना

3815. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में हानि के ग्राधार पर एम० ए० एक्स० टैलीफोन ऐक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई ग्रभ्यावेदन सरकार को मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस ग्रभ्यावेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रौर (ग) ग्रगर यह संभावना रहती है कि टैलीफोन एक्सचेंज घाटे पर चलेंगे तो वे स्थापित नहीं किये जाते । तथापि, ऐसी दूसरी योजनाग्रों की जांच की जा रही है, जिनसे टैलीफोन एक्सचेंजों की लागत कम की जा सके ग्रौर घाटे से बचा जा सके । ऐसे मामलों में समान दरों से चार्ज वसूल करने से संबंधित प्रस्तावों की भी जांच की जा रही है ।

पांचवी योजना के मसौदे को ग्रंतिम रूप दिया जाना

3816. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तिम मसौदे के बारे में ग्रन्तिम निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिये जाने और प्रकाशित करने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति तथा मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में कौन-कौन से समायोजन करने आवश्यक होंगे इसका निश्चय करने के लिए योजना आयोग ने कतिपय अभ्यास किए हैं। इस प्रकार की स्थिति में यह बताना सम्भव न होगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का संशोधित प्रारुप सदन में कब प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्ष 1972-73 से जुलाई, 1974 तक सिंचाई और बिजली योजनाओं का मंजूर किया जाना

3817. श्री शंकर राव सावंत : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73, 1973–74 और वर्ष 1974 में जुलाई के अन्त तक केन्द्रीय सरकार द्वारा मजूंर की गई। सिंचाई और बिजली योजनाओं का राज्य वार ब्यौरा क्या है और उनकी सिंचाई और बिजली क्षमता कितनी होगी।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : दो विवरण संलग्न है जिनमें सिंचाई और विद्युत स्कीमों के बारे में पृथक-पृथक जानकारी दी गई है। (**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8326/74**)

यूनियनों के बीच प्रतिद्वन्द्विता के कारण दामोदर घाटी निगम में संकट

3818. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियनों के बीच प्रतिद्वन्द्विता के कारण दामोदर घाटी निगम को संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम में यूनियनों की प्रतिद्वन्दिवता को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आशीश मुखर्जी द्वारा नेताजी बोस पर बनाये चलचित्र का दिखाया जाना

3819. श्री समर मुखर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं को आशीश मुखर्जी द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर निर्मित चलचित्र को दिखाने के लिए अनुरोध-पत्र भेज दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो पत्र का पाठ क्या है और उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त हुई है ;

(ग) चित्र का दीर्घ संस्करण दिखाये जाने के प्रति मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ; और

(घ) उक्त चलचित्र निदेशक की सराहना के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) इस संबंध में सभी राज्यों के शिक्षा/सूचना मंत्रियों को जारी किये गये पत्र की प्रति संलग्न है। (**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 8327/74)

(ग) जिन तीन एसोसियेशनों से अभी तक उत्तर मिले है, उन्होंने प्रदर्शकों से फिल्म के लम्बे संस्करण को दिखाने की अपील की है ।

(घ) "दि फ्लेम बर्न्ज ब्राइट" शीर्षक के अन्तर्गत रिलीज की गई दो रील वाली फिल्म ने वर्ष 1973 का सर्वोत्तम सूचना वृत्त चित्र का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है जिसके अन्तर्गत निर्देशक को 4,000 रूपये का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक दिया जायेगा ।

स्वर्गीय रास बिहारी बोस और उनके सहयोगियों के प्रति आदर प्रकट करना

3820. **श्री समर गुह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरानी दिल्ली के उस मकान और स्थान का अधिग्रहण करने के बारे में अपने विचार विमर्श को अन्तिम रूप दे दिया है जहां से स्वर्गीय रासबिहारी ने लार्ड हार्डिंग पर बम फैंका था ;

(ख) क्या सरकार ने स्वर्गीय रासबिहारी बोस और पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के उनके साथियों की स्मृति के प्रति आदर व्यक्त करने हेतु अन्य कदम उठाने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो गत अनेक वर्षों से इस मामले में विलम्ब करने के क्या कारण है ; और इस मामले को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस मकान के बारे में दिल्ली प्रशासन की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और जांच की जा रही है।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर लिये गये निर्णय के पश्चात् ही आग उपायों पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रक्षेपण विज्ञान के विकास के लिए आई० बी० एम० तथा आई० सी० बी० एम० का उत्पादन

3821. **श्री समर गुह :** क्या **अन्तरि** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष विभाग ने आई० बी० एम० तथा आई० सी० बी० एम० की उत्पादन क्षमता का विकास प्रेक्षपण विज्ञान के विकास हेतु, वज्ञानिक उपलब्धि के उपायों के रूप म किया है न कि परमाणु युद्ध करने के लिये ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी "प्रोपल्शन" क्षमताओं के तथ्य क्या है तथा ये विकास कार्य किस प्रकार के होंगे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) अन्तरिक्ष विभाग का संबंध बाह्य अन्तरिक्ष के केवल शान्तिपूर्ण प्रयोगों से है । इस उद्देश्य के अनुसरण में, अन्तरिक्ष विभाग के कार्यक्रमों को अधीन राकेट टेकनोलोजी का विकास निम्नलिखित क्षेत्रों तक ही सीमित है :—

(1) साउंडिग राकेट; और

(2) उपग्रह प्रक्षेपण राकेट।

अच्छी फिल्मों का उत्पादन

3822. श्री धामनकर
श्री वसंत साठे
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन संप्रेषण के प्रभावी माध्यम के रूप में अच्छी किस्म की फिल्मों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस उपाय तैयार किये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) अच्छी किस्म की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये मनोरंजन कर को खत्म करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) उच्च कोटी की फिल्में के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार योजना तथा फिल्म वित्त निगम ये दो मुख्य काम हैं । इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **(ग्रंथालय में रखा गया। देखए संख्या एल० टी०–8328/74)**

(ग) मनोरंजन कर का लगाना राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव की उनसे बार बार सिफारिश की है ।

'पावर फेमिन स्मोदर्स इंडस्ट्रीज इन बंगाल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3823. श्री धामनकर
श्री वसंत साठे : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में पावर फेमिन स्मोर्दस इन बंगाल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल में, जबकि अधिकतम मांग को पूरा करने के लिये क्षमता में 40 मैगावाट से 140 मैगावाट तक की कमी है, ऊर्जा की कोई खास कमी नहीं है। 12 अगस्त तक, पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिकतम मांग पर 15 प्रतिशत कटौती लागू की थी तथा इसके अतिरिक्त सप्लाई को मांग के समक्ष लाने के लिये लोड-शेडिंग भी की जा रही थी। 12 अगस्त से, पश्चिम बंगाल सरकार ने राशन प्रणाली लागू कर दी है, जोकि उत्तर बंगाल के पांच जिलों तथा दामोदर घाटी निगम क्षेत्र को छोड़ कर शेष सारे पश्चिम बंगाल में लागू है। राशन प्रणाली के अन्तर्गत यह प्रत्याशा है, कि उपभोक्ताओं को पूर्व निर्धारित आधार पर नियमित सप्लाई होगी तथा लोड-शेडिंग की कोई आवशयक्ता नहीं होगी। विद्युत के उपभोग में कतिपय प्राथमिकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना भी संभव हो जायेगा। अब तक प्राप्त रिर्पोटों के अनुसार, राशन स्कीम के परिणामस्वरूप स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

वर्तमान संयंत्रों से उत्पादन को अधिकतम करने तथा परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति में तिव्रता लाने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे है।

भारत में उद्योगों द्वारा 'टर्न की' आधार पर विदेशों में तकनीकी जानकारी प्राप्त किया जाना

3824. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आर्थिक एंव वज्ञानिक अनुंसधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं के दल द्वारा हाल ही में किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योग देशी प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के बजाये "टर्न की" आधार पर विदेशों से तकनीकी जानकारी मांगतें है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसधान प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 1973 में निकाली गई भारत में विदेशी प्रौद्योगिकी संबंधी की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि विगत दो दशकों में उन्नत प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण ने इसके पूर्ण सात्मीकरण की ओर अग्रसर नहीं किया है।

(ख) और (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पांचवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य अर्थ व्यवस्था के आन्तरिक क्षेत्रों यथा, भारी इंजीनियरी, खनन, धात्विकी, रासायनिकों, ऊर्जा तथा कृषि में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयास को सहायता प्रदान करना है देशी अनुंसधान तथा

विकास कार्य में अधिक से अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है तथा इस दिशा में प्रयास किए जा रहें हैं। ऐसी अनुसंधान तथा विकास प्रयत्नों द्वारा विदेशी जानकारी तथा प्रौद्योगिकी कर समय निर्भरता की अपेक्षा वृत कर किया जा सकेगा। विदेशी सहयोग को अनुमति देने के मामले में चयनात्मक पर जोर देने और हमारे औद्योगिक कार्यों में निवेश के संबंध में विदेश सहयोग के लिये नए मार्ग दर्शन इस समय सरकार के विचाराधीन है।

नागालैण्ड के गांवों में कर्फ्यू

3825. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1974 के दूसरे सप्ताह में नागालैंड के कुछ गांवों में दिन और रात का कर्फ्यू लगाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) उस क्षेत्र में भूमिगत नागाओं की हिंसात्मक गतिविधियों के अचानक तेज हो जाने के फलस्वरूप सुरक्षात्मक कार्यवाही के दौरान कर्फ्यू लगाया गया था।

उड़ीसा में शि त बेरोजगारों और बेरोजगार इंजीनियरों का नौकरियों में खपाया जाना

3826. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के प्रत्येक बड़े उद्योग के निकट सहायक उद्योगों की स्थापना करने का विचार है, ताकि शिक्षित बेरोजगारों, विशेषकर इंजीनियरों को नौकरियों में खपाया जा सके ;

(ख) उड़ीसा में बेरोजगार व्यक्तियों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या उन्हें रोजगार देने के लिये कोई वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उड़ीसा की पांचवीं योजना के प्रारूप में इस बात का उल्लेख किया गया है कि लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों को बड़ी यूनिटों के विकास के साथ जोड़ा जाएगा और सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। लघु उद्योग क्षेत्र में, पांचवीं योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक यह होगा कि उद्यम को विकसित व प्रोत्साहित किया जाय, और वह भी विशेषत: तकनीकी शिक्षा व्यक्तियों में, जिनमें बेरोजगार इंजीनियर, अनुभवी शिल्पी और दूसरे योग्य व्यक्ति शामिल हैं, ताकि उड़ीसा में लघु उद्योगों का विकास हो सके।

(ख) उड़ीसा में बेरोजगार लोगों की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है। रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर के आंकड़ों के अनुसार 30 जून, 1974 को विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 3,49,843 लोगों का नाम दर्ज था।

(ग) राज्य की पांचवीं योजना के प्रारूप के अनुसार लगभग 500 तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को प्रति वर्ष लघु उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अन्य वर्गों के 14,500 व्यक्तियों को भी प्रति वर्ष रोजगार सुलभ होगा। क्षेत्र कार्यक्रमों के अलावा रोजगार संवर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई स्कीमों से भी बहुत सारे रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।

पांचवी योजना में उड़ीसा में भूमि की सिंचाई

3827. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) बालासौर और मयूरभंज जिलों के विशिष्ट संदर्भ में उड़ीसा में सिंचित भूमि की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) पांचवी योजनावधि के दौरान उड़ीसा में भूमि की सिंचाई के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालयल में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1973-74 तक उड़ीसा में बृहद् तथा मध्यम स्कीमों से निर्मित सिंचाई शक्यता कुल फसली क्षेत्र के लगभग 15.7 प्रतिशत होने की प्रत्याशा थी। उड़ीसा के पांचवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार, चौथी योजना के अन्त तक बालसौर तथा मयूरभंज जिलों में, निर्मित सिंचाई शक्यता अन्तिम शक्यता का क्रमश: 52.0 तथा 1.50 प्रतिशत है।

(ख) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों द्वारा पांचवीं योजना में 2.40 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई शक्यता निर्मित किये जाने की संभावना है।

"22 हरिजन फैमिलीज लीव विलेज" शीर्षक के अंतर्गत समाचार

3828. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अगस्त, 1974 के समाचार पत्र में "22 हरिजन फेमिलीज लीव विलेज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चोरा गांव में शेष हरिजन परिवारों के भी सवर्ण जातियों के अत्याचारों के फलस्वरूप गांव छोड़कर चले जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो हरिजनों को संरक्षण देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने टाइम्स आफ इन्डिया दिनांक 3 अगस्त, 1974 में प्रकाशित ऐसा एक समाचार देखा है।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

बूढ़े, निर्बल और विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिये आवास केन्द्र

3829. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1968 में या इसके लगभग या 1969 में अपने राज्यों में बूढ़े, निर्बल, बीमार और विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिये आवास केन्द्र स्थापित किये जाने की भारत सरकार की सलाह को नहीं माना ;

(ख) क्या उनकी अस्वीकृति के पश्चात भारत सरकार ने उन राज्यों में जिन्होंने आवास केन्द्र स्थापित करने से इन्कार कर दिया था, स्वयं आवास केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रयत्न किये ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की निष्क्रियता के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भारत सरकार सम्बद्ध राज्यों में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित आवास केन्द्रों की पूरी लागत को स्वयं वहन करने को तैयार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) स्वतंत्रता सेनानियों के लिये एक गृह स्थापित करने की पश्चिम बंगाल सरकार की योजना सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों को अक्टूबर 1918 में भेजी गई थी। भारत सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायेता नहीं दी गई थी। उस समय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने उनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन गृहों को स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण का विषय मूलत: राज्य सरकारों के संघ राज्य केन्द्र प्रशासनों से संबंधित हैं। किन्तु स्वतंत्रता के 25वें वर्ष में इस मामले पर विचार किया गया था। यह महसूस किया गया था कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किये गये प्रयत्नों की केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ति की जानी चाहिये। इस निर्णय के अनुसरण में 1972 में कन्द्रीय पेंशन योजना आरम्भ की गई थी, तथा यह भी निर्णय किया गया था कि दो स्वतंत्रता सेनानी गृह एक उत्तर भारत, दिल्ली में तथा दूसरा दक्षिण भारत पांडिचेरी में स्थापित किये जाये। इन गृहों के स्थापित करने तक 2 अक्टूबर, 1974 से दिल्ली में एक अस्थाई गृह आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

इन गृहों का व्यय पूर्णरूप से कन्द्र सरकार वहन करेगी। राज्य सरकारों से भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिये जो आश्रय की आवश्यकता में हैं, अपने खर्च से कम से कम एक गृह स्थापि करने पर विचार करने के लिये अनुरोध किया है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आवास केन्द्रों में भर्ती

3830. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बूढ़े स्वतंत्रता सेनानियों के लिये आवास केन्द्रों में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भर्ती करने का निर्णय कर लिया है जो भर्ती के लिये आवेदन पत्र देते हैं और (एक)

जो 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और (दो) जो निर्बल, बीमार और विकलांग हैं और जिनकी आयु 55 वर्ष से ज्यादा है या कम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) पात्र स्वतंत्रता सेनानी जो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, को सीमित संख्या में आवास केन्द्रों में रखने का निर्णय किया गया है। निर्बल तथा अपंग व्यक्तियों के मामले में सरकार के स्वविवेक से न्यूनतम आयु सीमा कम की जा सकती है।

रींवा मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र को इमारत और ट्रांसमीटर का निर्माण पूरा होना।

3831. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के रींवा (मध्य प्रदेश) केन्द्र की इमारत की औपचारिक मंजूरी और उस पर भारी खर्च के पश्चात् उसको पूरा किये जाने के लिये धनराशि मंजूर नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस केन्द्र की इमारत और ट्रांसमीटर सम्बन्धी निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) स्टूडियो भवन के निर्माण के प्राक्कलन को सरकार ने मंजूरी दे दी है और काम शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्टूडियो भवन और ट्रांसमिटिंग स्टेशन 1975-76 तक तैयार हो जायेंगे। तथापि स्टूडियो उपकरणों के लगाने का कार्य और अन्य विभागीय निर्माण कार्य मुकम्मल होने में और एक वर्ष के लगभग समय लगेगा। उस समय तक ट्रांसमिटिंग स्टेशन आकाशवाणी, भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को रिले करेगा।

श्वेत बाघ पर डाक-टिकट जारी करना

3832. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रींवा के श्वेत बाघ पर, जिसने भारतीय वन्य जीवन को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है, डाक-टिकट जारी करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह टिकट कब जारी किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) वन्य जीवन सीरीज़ में 2 नवम्बर, 1974 को श्वेत बाघ पर एक डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है।

बाण सागर बांध परियोजना

3833. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणसागर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) बांध का डिजाइन अन्तिम रूप से कब तक तैयार हो जायेगा तथा वास्तविक निर्माण कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) क्या इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में विलम्ब के कोई अन्य कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सोन नदी के जल के विभाजन पर राज्यों के बीच हुए समझौते की रोशनी में संशोधित बनसागर स्कीम के लिये परियोजना प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्रतीक्षित है ।

Restoring Land to Janardan Mishra Parmesh who took active part in 1921 movement

3834. Shri Jagdish Narain Mandal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether 32-bigha 6 katta 6 gheer land belonging to Janardan Mishra Parmesh of village Sanaur, district Santhal Pargana in Bihar was acquired and transferred to others by the British Government to suppress the mass movement of 1921 in which he took active part and had greatly influenced it ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government for restoring the land to him?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

(a) & (b) The information is not available and is being collected from the Government of Bihar.

Supply of Cement to Uttar Pradesh

3835. Shri B. R. Shukla : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the annual estimated demand of cement of Uttar Pradesh State;

(b) the quantity of cement supplied to Uttar Pradesh during the last two quarters ;

(c) how far the quantity of cement actually supplied falls short of the average estimated annual demand of cement; and

(d) whether Government are prepared to assure to meet the above shortfall ?

Tne Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) :

(a) According to the State Government, the estimated demand of cement for the State is 30 lakh tonnes per annum.

(b) and (c) The State was originally allocated a quota of 17 6 lakh tonnes for the period July 1973 to June 1974 which was exclusive f the requirements of Central Government Works and requirements of Large and Medium Industries. A quantity of about 18 lakh tonnes was actually supplied during this period. The State Government had also been given an ad-hoc allocation of 10 lakh tonnes during the period December 1973 to February 1974. The supplies in the State Quota during the last two quarters were 5·1 and 4·39 lakh tonnes respectively.

(d) In the context of the overall shortage of cement in the country and the continuing constraints on production, no assurance for meeting the short-fall, is possible.

Indian Citizenship for Former East Pakistan Refugees in Rajmahal Division

3836. Shri Jagdish Narain Mandal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of refugees from former East Pakistan (Bangladesh) settled at Naryanpur Diara, Shridhar Diara, Kachi, Jaddipur Diara in Rajmahal Division since 1965-66 who have applied for Indian Citizenship;

(b) the number of refugees granted Indian Citizenship; and

(c) the reasons for not granting citizenship to the remaining persons and the time by which they will be given Indian Citizenship?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):

(a) 536.

(b) 222.

(c) The remaining applications are under scrutiny and will be decided as soon as the enquiries are completed.

कलकत्ता में नए टेलीफोन कनक्शन

3837. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन विभाग ने सामान्य श्रेणी म, विशेषकर 41, 46 और 47 एक्सचेंजों में नये कनेक्शन देना बिल्कुल बन्द कर दिया है ;

(ख) यह स्थिति कब तक जारी रहेगी ;

(ग) गत सात महीनों में कलकत्ता में 'अपने टेलीफोन लगाओ' नामक विशेष श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत एक्सचेंज वार कितने टेलीफोन लगाए गए और/अथवा मंजूर किए गए ; और

(घ) उक्त एक्सचेंजों में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन आवेदन की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाई किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) इस समय 46/41 और 47 एक्सचेंजों पर बहुत अधिक भार है। '47' एक्सचेंज के आसपास के इलाके में सेवा देने के लिए 2,000 लाइनें और बढ़ाई जा रही हैं। आशा है कि यह स्थापना कार्य वर्ष 1975 के आरम्भ तक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार, 46-41 एक्सचेंजों के आस-पास के इलाके में सेवा देने के लिए 6,000 लाइनें और बढ़ाई जा रही हैं। आशा है कि यह स्थापना कार्य वर्ष 1975 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

(ग) पिछले सात महीनों के दौरान दिए गए और/या मंजूर किए गए नये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

एक्सचेंज	मंजूर किये गये कनैक्शन			दिए गए कनैक्शन		
	ओ०वाई० टी०	विशेष श्रेणी	सामान्य श्रेणी	ओ०वाई० टी०	विशेष श्रेणी	सामान्य श्रणी
46/41	100	10	26	96	9	13
47	72	6	65	69	6	60

(घ) सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 15% कोटे में से अलाटमेंट बारी के अनुसार ही जाता है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता टेलीफोन्स प्रणाली में करीब 92,000 लाइनें और जोड़ने की योजना बनाई गई है, तब सामान्य श्रेणी के आवेदकों को पर्याप्त राहत मिल जाएगी।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के श्रमिकों और कर्मचारियों की मांग

3838. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेवा के स्थायीकरण, पांच दिवसीय सप्ताह, कार्यभारित नैमित्तिक श्रमिकों के स्थायीकरण, रियायती दर पर भेजने के कूपन आदि के बारे में बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्रमिकों और कर्मचारियों की मांगों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इन श्रमिकों तथा कर्मचारियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है तथा इसके कर्मचारियों पर सेवा सम्बन्धी मामलों में, जिनम

स्थायीकरण भी शामिल है, वे ही नियम लागू होते हैं, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर इस कारण से, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों के मामले में पांच कार्य-दिवसों का सप्ताह रखने के सुझाव पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अल्प-आय वाले कर्मचारियों को रियायती दर पर भोजन देने की व्यवस्था पहले से ही चल रही है। कन्द्र के कार्यभारित तथा नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे में केन्द्र की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप विचार किया जाता रहता है। श्रमिकों और कर्मचरियों की मांगों पर सदा ध्यान दिया जाता है तथा जब-जब भी आवश्यक होता है तब-तब उन मांगों पर केन्द्र नियम के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

रक्षा मंत्रालय में उधार लिए स्टेनोग्राफरों को खपाया जाना, स्थाई किया जाना तथा उनकी वरीयता का निर्धारण

3839. श्री ई० बो० बिखे पाटिल
श्री मूल चन्द डागा } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अन्य केन्द्रों से उधार लिये गये ग्रेड III के स्टेनोग्राफरों से जूनियर कर्मचारियों को उन के मूल केडर में तथा रक्षा मंत्रालय में भी स्थायी कर दिया गया है तथा उन्हें ऊंचे ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने दिया जा रहा है ;

(ख) क्या कार्मिक विभाग ने रक्षा मंत्रालय को उस मंत्रालय में उधार लिये गये स्टेनोग्राफरों को केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा में उन को स्थिति के अनुसार उन को खपाये जाने, स्थायी किये जाने और वरीयता निर्धारित किये जाने के बारे में इस बीच आदेश जारी किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा नियम 1969 के उपबन्धों के अनुरूप हैं ; और

(घ) क्या उक्त आदेशों को क्रियान्वित कर दिया गया है और रक्षा मंत्रालय द्वारा उधार लिये हुए स्टेनोग्राफरों को खपाये जाने और उनके स्थायी किये जाने सम्बन्धी आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं और यदि नहीं, तो इस मामले पर शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) स्टेनो ग्रेड III के कुछ ही ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें उधार लिये गए स्टेनोग्राफरों से जूनियर स्टेनोग्राफरों को उस ग्रेड में स्थायी करके उन्हें उच्च ग्रेड में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने दिया गया।

(ख) रक्षा मंत्रालय को सलाह दी गई है कि वे उधार लिए गए स्टेनोग्राफरों को ग्रेड III के आरम्भिक गठन को तारीख से उन्हें वरिष्ठता का संरक्षण देते हुए अपने ही संवर्ग में खपाए जाने के बारे में विचार करें।

(ग) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा क नियम 1969 के नियम 22 के अधीन अन्तर्संवर्गीय स्थानान्तरण करने में सक्षम है।

(घ) इस मामले पर रक्षा मंत्रालय में विचार किया जा रहा है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले।

मंत्रालयों में सलाहकारों की सेवा-निवृत्ति की आयु

3840. **श्री राम स्वरूप** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त किये गये सलाहकारों की सेवा-निवृत्ति की आयु को कोई सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त किये गये सलाहकारों की सेवा-निवृत्ति की आयु सीमा उनकी नियुक्ति की शर्तों पर आधारित होती है । यदि किसी सलाहकार की नियुक्ति सरकार के अधीन किसी पद पर एक नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में की जाती है, तो उसकी सेवा-निवृत्ति 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर होगी । यदि उसको सेवा में वृद्धि हुई है अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति की गई है तो ऐसी वद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति की अवधि को समाप्ति पर वह सेवा में नहीं रह जायगा । यदि उसको नियुक्ति 'संविदा' (कान्ट्रेक्ट) के आधार पर है तो उसकी सेवावधि संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों को आकाशवाणी और टैलीविजन पर अपना-अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अवसर

3841. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह प्रस्ताव किया गया था कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को आकाशवाणी और टेलीविजन के द्वारा उनके दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोल्लेगल तालुक, मैसूर जिला (कर्नाटक) के उदुथोर परियोजना की मंजूरी

3842. **श्री एस० एम० सिद्दैया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में कोल्लेगल तालुक में उदुथोर परियोजना की मंजूरी दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी मंजूरी दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कर्नाटक की उदुथोरेहल्ला परियोजना केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में प्राप्त हो चुकी है और उसकी तकनीकी जांच की जा रही है ।

(ख) क्योंकि यह परियोजना कावेरी बेसिन में है, अतः इसकी स्वीकृति के लिये कर्नाटक केरल और तमिलनाडु राज्यों में कावेरी के जल के विभाजन पर समझौते की प्रतीक्षा करनी होगी ।

गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली के अधीन बिजली के पंखे बनाने के कारखाने का फिर से चालू किया जाना

3843. **श्री सूरज पांडे :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लि० दिल्ली को सरकारी नियन्त्रण में लिये जाने के बारे में 27 मार्च 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणेश फ्लोर मिल्स दिल्ली के अधीन बिजली के पंखे बनाने के कारखाने को फिर से चालू करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि कारखाने के चालू होने में कोई बिलम्ब न हो के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन, उत्तर दिल्ली से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और क्या इस सिलसिले में कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि मण्डल मंत्री महोदय से मिला है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कारखाने को फिर से चालू करने में विलम्ब के कारण भूतपूर्व कर्मचारियों के लगभग 350 परिवार अत्याधिक परेशानी में हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) एकक के पुनः चालू किये जाने की संभावनाओं पर एक विशेषज्ञ परामर्शदाता तथा इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के एक अधिकारी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट मई 1974 में इन्डस्ट्रियल रिकन्सट्रकशन कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० को प्रस्तुत की गयी थी जो उन्होंने गणेश फ्लोर मिल की प्रबन्धक कमेटी को उस पर विचार करने हेतु भेज दी है। एकक के पुनः खोले जाने के प्रश्न पर प्रबन्धक समिति द्वारा और विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था परन्तु औद्योगिक विकास मंत्रालय के मंत्री से कर्मचारियों का कोई डेपुटेशन मिलने नहीं आया ।

(घ) जी हां ।

सिनेमा तथा गैर-सरकारी वाणिज्यिक भवन बनाने पर प्रतिबन्ध

3844. **श्री वरके जार्ज :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिनेमा घरों और गैर-सरकारी वाणिज्यक भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से इन क्षेत्रों म काले धन के चलन पर भी रोक लगेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिग्राउर रहमान ग्रन्सारी) : सरकार ने सरकारी ग्रौर गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में ही निम्नलिखित ऐसी इमारतों का निर्माण करने पर जिनका बनाना या तो शुरू नहीं किया गया है ग्रथवा जिनका निर्माण भवन की कुर्सी से ऊपर नहीं किया गया है उनमें एक वर्ष तक सीमेन्ट का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिये एक ग्रादेश जारी किया है, जैसे :–

(i) कार्यालय, नाटयशाला ग्रथवा सिनेमा घर के रूप में प्रयोग किये जाने वाली इमारत;

(ii) ग्रावास होटल, रेस्तरां ग्रथवा खाने-पीने की जगह ;

(iii) दुकान ;

(iv) कोई भी मार्ग ग्रथवा रास्ता ।

इससे यह पता चलेगा कि सीमेन्ट के ग्रतिरिक्त किसी भी ग्रन्य इमारती सामान से सिनेमा घर ग्रौर गैर सरकारी वाणिज्यिक इमारतें बनाने पर कोई रोक नहीं है । यदि सिनेमा घर ग्रौर वाणिज्यिक इमारतें बनाने में सीमेन्ट प्रयोग करने में काले धन का प्रयोग किया गया है तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध से इन क्षेत्रों में सीमन्ट से ऐसी इमारतें बनाने में काले धन के उपयोग पर रोक लग जाएगी ।

तीसरे वेतन ग्रायोग की सिफारिशों का पांडिचेरी में कर्मचारियों पर लागू किया जाना

3846. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी संघ राज्य क्षत्र में किन श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को ग्रभी तक तीसरे वेतन ग्रायोग की सिफारिशों के ग्रनुसार वेतनमान नहीं दिए गए तथा इस विलम्ब के क्या कारण है ;

(ख) क्या सी० सी० पी० वेतनमानों को लागू किए जाने के मामले में केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन ग्रौर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ग्रधीन एक जैसा कार्य करने वाले कर्मचारियों में भेद किए जाने का विचार है ; ग्रौर

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्र कर्मचारियों ने बार-बार ग्रभ्यावेदन दिए है तथा ग्रपनी कठिनाइयों को दूर कराने के लिए ग्रगस्त, 1974 से ग्रान्दोलन करना ग्रारम्भ कर दिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में ग्रनेक कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन ग्रायोग द्वारा जैसी सिफारिशें की गई, उनके वेतन मान बदलने की ग्रधिसूचनाएं पहले ही जारी कर दी गई है । कुछ विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां–श्रेणी II, III, ग्रौर IV ग्रौर श्रेणी I के कुछ पद जिनके लिए ग्रभी तक कोई नये वेतनमान निर्धारित नहीं किये गये है ग्रौर उनके कारण संलग्न विवरणों (ग्रनुलग्नक 1 ग्रौर 2) में दिये जाते है । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० –8329/74]

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) विभिन्न संघों के कर्मचारियों के सदस्यों ने 1 अगस्त 1974 को एक दिन के लिये वेतन बहिष्कार किया और संशोधित वेतनमानों के तुरन्त कार्यान्वियन की मांग करते हुए राज निवास के सामने भूख हड़ताल करके 11, अगस्त 1974 को एक प्रदर्शन किया।

टैक्नीकलर प्रिंट करने के लिये "बाबी" फिल्म के नैगेटिव चित्रों को ब्रिटेन भेजा जाना

3847. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "बाबी" फिल्म के कुछ नैगेटिव चित्रों के टेक्नीकलर प्रिंट कराने के लिए ब्रिटेन भेजे जाने की अनुमति दी है ;

(ख) क्या कुछ प्रिंटों की ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रिका को तस्करी की जांच की है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच करने का आदेश दिया गया है ; और

(ग) जब "बाबी" के प्रिंट बम्बई में इस्टमैन कलर में तैयार किए गए थे तथा पूरे भारत में प्रदर्शित किए गए थे तो इसके नैगेटिव चित्रों को ब्रिटेन भेजे जाने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह आरोप लगाया गया था कि फिल्म को चोरी से दक्षिण अफ्रिका तथा अफगानिस्तान भेजा गया । सरकार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, काबुल में प्रिंट को जब्त कर लिया गया और प्रदर्शन रोक लिया गया । सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निवदन करने पर, दक्षिण अफ्रिका में फिल्म की तस्करी के आरोप के सम्बन्ध में रेवेन्यू इन्टैलिजस के निदेशक, द्वारा जांच चल रही है कि प्रिंट की तस्करी किस स्त्रोत से की गई, यह अभी तक स्थापित नहीं हो सका ।

(ग) निर्माता, जिसने कतिपय विदेशी अधिकारों को ब्रिटेन के एक वितरक को 80,000 पौण्ड में बेच दिया था, ने मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात को यह कहते हुए लिखा था कि क्योंकि घरेलू सर्किट के लिए 130 प्रिंट को बनाने के बाद मूल नैगेटिव खराब हो गये, अतएव उनको एक मध्यवर्ती (इंटरमीडियेट) नैगेटिव तैयार करने के लिये तथा उससे टैक्नीकलर में अतिरिक्त प्रिंटों को बनाने के लिए नैगेटिव को लन्दन ले जाने की इजाजत दी जाए । अन्य इसी प्रकार के मामलों की भांति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मुख्य नियन्त्रक आयात तथा निर्यात के मैसर्स टैक्निकलर लिमिटेड में प्रिंटों को बनाने के लिए इजाजत देने के प्रस्ताव पर पिक्चर तथा साउण्ड नैगेटिवों को पुन: आयातित करने के लिये वचनबद्धता, कस्टम क्लियरेन्स परमिट पर इस पृष्ठांकन पर कि अतिरिक्त प्रिंट सयुंक्त मुख्या नियंत्रक, आयात तथा निर्यात की अनुमति के आधार पर लन्दन से सीधे निर्यात किये जायेंगे तथा वास्तविक किये गये खर्च के 270 प्रतिशत आय के निर्यात अधिबन्धन जैसी निर्धारित सुरक्षाओं तथा गारन्टियों की शर्त पर स्वीकृति दे दी गई थी ।

बाद में हमें सूचित किया गया था कि निर्माता द्वारा आवेदन-पत्र देने पर, मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात ने केलैबोरेट्रीज लन्दन में कार्य को करने की अनुमति दे दी थी ।

'बुलेट प्रूफ' कांच का उत्पादन

3848. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पश्चिम जर्मन की फर्म के सहयोग से बुलेट प्रूफ कांच का उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जायेगा ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां । जयपुर स्थित एक लघु एकक ने पश्चिम जर्मन की एक फर्म के सहयोग से आइसोलेटिंग गलास पेन और आरमंड (बुलेट प्रूफ) आइसोलेटिंग ग्लास पेन का उत्पादन करना शूरू कर दिया है ।

(ख) बुलेट प्रुफ ग्लास का मुख्यतः वायुपरिक्षण और आरमंड कारों की खिड़कियों, नकदी ले जाने वाले वाहनों, सराफों की दुकानों की प्रदर्शन खिड़कियों, बैंकों के नकदी पटलों (कैश काऊन्टरों) और अजायबघरों के प्रदर्शन स्थलों में प्रयोग किया जाता है ।

स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराये जाने के बारे में समाचार

3849. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 अगस्त, 1974 के हिन्दी के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में 'स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहराने दिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का इस मामले की पूरी जांच करने और दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार ने जब भारत टाइम्स के 16 अगस्त, 1974 के अंक में तत्संबंधी समाचार देखा है । तथ्य मालूम किये जा रहे है ।

टैलोफोन बिलों का जारी किया जाना

3850. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि टैलिफोन विभाग में इलैक्ट्रीक टैलिफोन बिल देने के लिए आरम्भ की गई नई व्यवस्था से जनता को असुविधा होती है ;

(ख) डुप्लीकेट टैलिफोन बिल जारी करने की व्यवस्था वदले जाने के लिए क्या कारण है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० शेर सिंह) : (क) डाक-तार बोर्ड ने डुप्लीकेट टैलिफोन बिल जारी करने के लिये कोई नई पद्धति लागू नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोका कोला बाटलर्स द्वारा भारतीय नाम से ओरेंज और सोडा बनाया जाना

4385. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोका कोला बाटलर्स के नाम क्या है जो भारतीय नाम से 'ओरेंज' और 'सोडा' बनाते थे ;

(ख) भारतीय नाम से 'औरेंज' और 'सोडा' का उत्पादन बन्द किए जाने के क्या कारण थे और 'औरेंज' मृदु पेय के साथ विदेश नाम जोड़े जाने के क्या कारण थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) मै० प्योरे ड्रिंकस प्रइवेट लि०।

(ख) मै० प्योरे ड्रिंकस स्वयं संतरे का सान्द्रण (कन्सेन्ट्रेट) नहीं बना रहे थे। अलबता वे विभिन्न देशी संसाधनों से आवश्यक वस्तुएं खरीद कर औरेंज स्पेशल नामक हलका पेय बना रहे थे। आपूर्ति के स्रोत के मै० कोका कोला निर्यात निगम के फेन्टा फ्लेवर की ओर झुकाव जाने से, जिसका उत्पादन भी देश में ही हालांकी कुछ थोड़े से आयतित तत्व मिलाकर होता है; 'फैन्टा' पेय बाजार में निकाला गया।

(ग) फ्लेवरों आदि के विकास हेतु आवश्यक अनुसंधान कार्य केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान मैसूर द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।

कोका कोला बोटलर्स द्वारा भारतीय नामों से सोफ्ट पेय पदार्थों का उत्पादन

3852. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री कोका कोला निर्यात निगम द्वारा उत्पादन के विस्तार के बारे में 24 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला बाटलर्स द्वारा भारतीय नामों से सौफ्ट पेय पदार्थों के उत्पादन की सम्भावना पर सरकार ने कब विचार किया था।

(ख) भारतीय ब्रांड नामों से सौफ्ट पेय पदार्थों का उत्पादन करने की सम्भावना का अध्ययन करने के लिए कोका कोला बोटलर्स के साथ कब बैठक हुई ; और

(ग) कोका कोला वोटलर्स ने इस बारे में क्या-क्या आपत्तियां उठायी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान प्राद्यौगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) कोका कोला बाटलर्स के साथ सितम्बर, 1973 म एक बैठक हुई थी जिसमें उनके साथ पूर्णतय देशी हल्के पेय विकसित करने की सम्भावनाओं पर विचार-विर्मश किया गया

था । देश के सभी हल्के पेय उत्पादकों द्वारा सामान्य रूप से आयातित आवश्यक तेलों का आयात कम करने के लिये प्रयास करने तथा उस दिशा में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर सभी एकमत थे । इस विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

ग्लैक्सो लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा बिस्कुटों का बनाया जाना

3853. श्री शशि भूषण
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैक्सो लैबोरेट्रीज लिमिटेड को भारत में बिस्कुट बनाने का लाइसेन्स दिया गया है, और यदि हां, तो उनकी लाइसेन्स प्राप्त क्षमता क्या है ;

(ख) भारत में ग्लैक्सो बिस्कुट किन शर्तों पर बनाये जाते है ;

(ग) क्या ग्लैक्सो लैबोरेट्रीज लिमिटेड को भारत में बनाये जा रहे तथा/अथवा बेचे जाने वाले बिस्कुटों के लिए कोई रायल्टी अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का प्रतिफल मिल रहा है ; और

(घ) यदि ग्लैक्सो ने कुछ बिस्कुट निर्माताओं के साथ लाईसेंस संबंधी समझौता किया है तो सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : मैसर्स ब्रिटेनिया बिस्कुट कपंनी लि० तथा ग्लैक्सो लैबोरेटरीज लिमिटेड के बीच हुए एक करार की शर्त के अनुसार बताया गया है कि मैसंस ब्रिटेनिया बिस्कुट कं० ग्लैक्सो बिस्कुट बना रही है । इस विषय में मैसर्स ग्लक्सो लेबोरेटरीज को कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

(घ) इस पहलु पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तत्तसंबंधी उपबंधों के अधीन विचार किया जायेगा ।

अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाली कम्पनियां

3854. श्री नवल किशोर शर्मा
श्री नवल किशोर सिंह
श्री सतपाल कपूर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन कौन सी काम्पनियां है जो अपनी लाईसैंस क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं ;

(ख) ऐसी प्रत्येक कम्पनी की लाइसैंस क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों में, वर्षवार वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है ;

(ग) लाइसैंस क्षमता से अधिक उत्पादन करने पर उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अर्न्तगत क्या दण्डनीय कार्यवाही की व्यवस्था की गई है; और

(घ) ऐसी प्रत्येक कम्पनी के खिलाफ अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) लाईसैंस शुद्धा क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन के मामले सरकार की जानकारी में समय-समय पर आये हैं । पहले औद्योगिक लाईसैंसकारी नीति जांच समिति ने लाईसैंसशुद्धा क्षमता से अधिक अनाधिकृत उत्पादन के 45 मामले बतायें और उन्हें जांच-पड़ताल के लिए सरकार आयोग को दे दिया गया । पिछले तीन वर्षों में लाइसैंसशुद्धा क्षमता से अधिक अनाधिकृत उत्पादन के अन्य मामले समय-समय पर सरकार को बतायें गये है । तकनीकी विकास महानिर्देशालय के पास उपलब्ध तैयार जानकारी के आधार पर इस मंत्रालय के प्रभार के अर्न्तगत उद्योगों में लगे हुए उपक्रमों, जिन्होंने अपनी लाइसैंसशुद्धा क्षमता से अधिक उत्पादन किया है, के नाम लाइसैंस प्राप्त क्षमता और पिछले तीन वर्षों में इनका वास्तविक उत्पादन का विवरण अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8330–74]। सरकार ने उद्योगों के अनाधिकृत विस्तार से अधिक उत्पादन के लिए अनुदेश जारी किये गये है कि अधिकृत क्षमता से अधिक उपादन के लिए कच्चा माल व अन्य सहायता नही दी जानी चाहिये ।

इससे संबंधित दण्ड उपबंध उद्योग (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 के 65वें) धारा 24(1)(i) के साथ पठित धारा 13(i) (ग) में दिये हुए है ।

ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा लाइसैंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन

3655. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री सतपाल कपूर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी को अपने मद्रास कारखाने में लाइसैंस प्राप्त क्षमता से आठ गुना अधिक उत्पादन करने के कारण बताओ नोटिस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस कम्पनी के विरूद्ध औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम की धारा 13(1) का उल्लंघन करने के लिये कोई मुकदमा चलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामल म आगे क्या कायवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) ब्रिटेनिया बिस्कुट कं० लि० को यह सूचित किया गया था कि उनके मद्रास

कारखाने में बिस्कुटों के लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन मान्य लाइसेंस के बिना अनधिकृत विस्तार करना माना गया था और इससे उक्त अधिनियम की धारा 13(1) (व) के उपबंधों का उल्लंघन होता है। कम्पनी ने उत्तर दिया था कि अतिरिक्त क्षमता उन्नत प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन-मिश्र में परिवर्तन करके प्राप्त की गई है। उनमें अभ्यावेदन को रद्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

टेलकम पाऊडर और 'थ्रोट लोजेन्जिज' के निर्माण के लिये ग्लैक्सो लबोरेटरीज को लाइसेंस देना

3856. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैक्सो लैबोरेटरीज को टेलकम पाऊडर और 'थ्रोट लोजिन्जज' के निर्माण के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि ग्लैक्सो लैबोरेट्रीज टेलकम पाऊडर और 'थ्रोट लोजेन्जिज' का निर्माण तथा उनकी बिक्री कर रही है ;

(ग) किन परिस्थितियों में वे उक्त कदाचार कर रही है ; और

(घ) कम्पनी के विरूद्ध विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है और उनके विरूद्ध आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) मै० ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने **मै० ब्रिटिश ड्रग हाउस इंडिया (लि०)** को ले लिया है वे मै० ब्रिटिश हाउस (लि०) के लाइसेंस **पर थ्रोट** लोजेन्जेज तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र पर टेलकम पाउडर बना रहें है।

(ग) क्या उनके द्वारा गलत तरीका अपनाया गया है इस मामले पर सरकार जांच कर रही है।

(घ) विदेशी मुद्रा अधिनियम के अधीन मै० ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज का आवेदन जब कभी प्राप्त होगा तब उस पर अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों का आदेश (संशोधन) विधेयक

3857. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **गृह** मंत्री 16 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस सत्र के दौरान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों का आदेश (संशोधन विधेयक पुरः स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय करन म क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिय प्रत्यक प्रयास किया जा रहा है परन्तु इसमें निहित कठिन प्रश्नों को ध्यान म रखते हुए इसे चालू सत्र म र: स्थापित करना संभव नहीं होगा।

'जोगी' जाति के व्यक्तियों का उत्थान

3858. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या गृह मंत्री अनुसूचित जातियों की सूचि में 'जोगी' जाति को शामिल करने के बारे में 27 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4727 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'जोगी' जाति के व्यक्तियों के उत्थान के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये थे और उठाये गये कदम कहां तक प्रभावी सिद्ध हुए हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं कि इस जाति के व्यक्तियों को भिक्षा वृत्ति की ओर उन्मुख न होने में अब तक उठाये गये कदम सफल क्यों नहीं हुए हैं?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को छोड़ कर, भारत सरकार के पास किसी विशेष जाति अथवा समुदाय के उत्थान के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। परन्तु अनेक राज्य सरकारें विधायी उपायों तथा सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों द्वारा भीख मांगने की समस्या को सुलझा रही है।

इलैक्ट्रिक फिलामेंट लैम्प

3859. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 18 अगस्त, 1974 के दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र के अनुसार एक डनिश फर्म द्वारा ऐसे इलैक्ट्रिक फिलामेंट, लैम्प जिसकी रोशनी आवश्यकता के अनुसार अधिक अथवा कम की जा सकती है, का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या इस परीक्षण से भारत लाभान्वित होना चाहता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस आशय की एक रिपोर्ट अंग्रेजी के एक स्थानीय अखबार में छपी थी।

(ख) और (ग) इस उपाय से देश को कोई विशेष आर्थिक लाभ होने की सम्भावना नहीं है।

पंजाब में टैलीफोन सुविधाएं

3860. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में कितने शहरों और गांवों में टैलीफोन सुविधायें उपलब्ध है, और

(ख) वर्ष 1974-75 में जिलावार विशेषकर अमृतसर जिले के कितने गांवों में टैलीफोन सुविधाये किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पंजाब राज्य में जिन नगरों और गांवों में टैलीफोन सेवा उपलब्ध है उनकी संख्या 268 है।

(ख) यह सूचना नीचे दी जा रही है :—

जिले का नाम	प्रस्तावित पी० सी० ओ० की सं०	नए एक्सचेंजों की सं०
1. अमृतसर	8	3
2. भटिंडा	1	1
3. फिरोजपुर	8	3
4. गुरदासपुर	—	1
5. होशियारपुर	1	3
6. जालान्धर	2	6
7. कपूरथला	1	—
8. लुधियाना	1	—
9. पटियाला	1	1
10. रोपड़	1	—
11. संगरूर	1	—

'इंदिरा ब्रिगेड' तथा 'नेहरू ब्रिगेड' की गतिविधियां

3861. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड जैसी गैर-सरकारी सेनाओं की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) ऐसी गैर-सरकारी सेनायें कौन-कौन सी है ;

(ग) प्रत्येक सेना की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ये सेनायें सरकार की अनुमति से बनायी गयी थी ; और

(ङ) क्या सरकार ने धुलिया, महाराष्ट्र के जमीदारों को एक गैर-सरकारी सेना बनाने की अनुमति दी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सरकार की उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में इन्दिरा ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड के नाम से कुछ निजी स्वयं सेवी संगठन ध्यान में आए हैं।

इन संगठनों का घोषित उद्देश्य युवकों में अनुशासन पैदा करना समाजवाद लोकतंत्र तथा धर्म निर्पेक्ष विचारों का प्रसार करना है और आपातकाल जैसे बाढ़, आग की दुर्घटना आदि के दौरान राहत के लिए समाजिक स्वंय सेवा उपलब्ध कराना भी है।

ऐसे निजी स्वंय सेवी संगठनों के कार्यों पर प्रतिबंध अथवा अन्यथा नियमित करने के लिये कोई कारण नहीं है और इसलिए उनकी सरकार की अनुमति से बताने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

पुलिस के अधिकारियों के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण

3862. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस के कई अधिकारियों को सुरक्षा इलैक्ट्रानिक्स में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सुरक्षा आदि में प्रशिक्षण के लिये विदेशों मे भेजें गये पुलिस अधिकारियों के संबंध में सूचना गोपनीय है और इसे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

विदेशी नियंत्रित टायर तथा ट्यूब कम्पनियों के लाभ तथा लाभांश

3863. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार प्रत्येक विदेशी नियंत्रित टायर तथा ट्यूब कम्पनी द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया और कितना लाभांश वितरित किया गया ;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने जनवरी से जून, 1974 के दौरान टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य बढ़ा दिये थे ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य किन आधारों पर बढ़ा दिये गये थे ;

(ङ) क्या देश में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिये हाल में विदेशी नियंत्रित टायर कम्पनियों को लाइसैंस प्रदान किये गये है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) : इस अवधि में उत्पादकों द्वारा आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों के मूल्यों में दो बार वृद्धि की गई है जो निम्न प्रकार है :—

(i) 29–4–74 से न्यूनतम वृद्धि 18% (स्कूटर टायर और ट्यूब) ।
अधिकतम वृद्धि 52% (ट्रक टायर–नायलोन)

(ii) 28–6–74 से ट्रक टायर– नायलोन पर 29–4–74 के मूल्य पर न्यूनतम वृद्धि 7% अधिकतम वृद्धि ट्रक टायर रेयन के 29–4–74 के मूल्य पर 16% ।

उत्पादन शुल्क में वृद्धि अथवा कमी के कारण मूल्य ढांचे में हुए परिवर्तन को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(घ) टायरों के मूल्यों में वृद्धि कच्चे माल जैसे प्राकृतिक रबड़, रसायन, बीड वायर आदि के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण प्रमुख रूप से हुई है । इस समय आटोमोटिव टायरों और ट्यूबों के मूल्य पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है ।

(ङ) और (च) सरकार ने विदेशी स्वामित्व वाली निम्नलिखित टायर कम्पनियों के विस्तार प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है :—

नाम	आशय पत्र जारी होने की तिथि	क्षमता
1. मै० डनलप इण्डिया लि०	16–4–73	बस/ट्रक प्रत्येक प्रकार के दो दो लाख नग टायर और ट्यूब
2. मै० गडियर इण्डिया लि०	4–8–73	2.5 लाख आटोमोबाइल टायर और ट्यूब
3. मै० सीट टार्यस आफ इण्डिया लि०	19–6–73	आटोमोबाइल टायर और ट्यूब 4 लाख (आन्ध्र प्रदेश के तलगाना क्षेत्र में नया एकक)
4. मै० सीट टायर्स आफ इण्डिया लि०	31–12–73	1.6 लाख आटोमोबाइल टायर और ट्यूब (महाराष्ट्र के विद्यमान एकक का विस्तार)

नर्मदा जल विवाद का मामला न्यायाधिकरण को भेजना

3864. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय
श्री राम सहाय पांडे
: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा जल विवाद का मामला पुनः न्यायाधिकरण को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विवाद पर निर्णय करन में न्यायाधिकरण को कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) नर्मदा जल विवाद 1969 में न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया गया था। 1972 में संबंधित राज्यों में एक समझौता हुआ था और उन्होंने प्रधान मंत्री से विवादग्रस्त मामलों में से दो मामलों पर पंचाट देने के लिए अनुरोध किया था। प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया तथा एक स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने की दृष्टि से कई बार विचार-विमर्श किए थे। विवाद पेचीदा होने के कारण, उनका समाधान न हो सका। गुजरात में बदली हुई राजनैतिक स्थिति के कारण यह और भी मुश्किल हो गया। यह विचार किया गया था कि यह उपयुक्त होगा कि विवाद का फैसला न्यायाधिकरण द्वारा किया जाए।

अनेक विचार-विमर्श करने के उपरान्त, चार राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच 12 जुलाई, 1974 को एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार संबंधित राज्यों ने उन विषयों, जिन पर समझौता हो चुका था, तथा शेष मामलों, जिनका निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है, के संबंध में उपयुक्त निवेदन प्रस्तुत किए हैं।

(ग) जबकि न्यायाधिकरण द्वारा अपना कार्य शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सभी व्यवहार्य प्रयत्न किए जा रहे हैं, इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि कार्यवाही कब तक समाप्त होने की संभावना है।

जमाखोरी, चोर बाजारी तस्करी, और मिलावट के लिए गुजरात में गिरफ्तारियां

3865. श्री डी०पी० जदेजा
श्री बेकारिया } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

वर्ष 1973-74 के दौरान जमाखोरी, चोरबाजारी, तस्करी और मिलावट के मामले में गुजरात राज्य में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या का जिला-वार ब्योरा क्या है?

मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : गुजरात सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ?

पांचवी योजना में उद्योग में अतिरिक्त क्षमता

3866. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में रखे गए लक्ष्यों के बारे में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में, अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए ह ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या लाइसैंस सम्बन्धी नीति में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों को भी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में शामिल किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) पांचवीं योजना प्रारूप में विभिन्न उद्योगों के लिए रखें गये लक्ष्यों को ध्यान में रख कर सरकार ने "उद्योगों के लिये मार्गदर्शीसि द्धान्त 1974-75" जारी किये है और उसमें उद्यमकर्ताओं का मार्गदर्शन करने हेतु निश्चित मार्ग (पेरामीटर) बताये गये हैं। इस प्रकाशन में औद्योगिक उपक्रमों को लाइसैंस देने के बारे में अध्ययन नीति तथा प्रक्रिया का उल्लेख भी किया गया है। संसद लाइब्रेरी में इसकी एक प्रति उपलब्ध है।

व्यावसायिक किस्म के फैराइटों और इलैक्ट्रोनिक्स उपकरणों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में कारखानों की स्थापना

3867. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक किस्म के फैराइटों और अनेक प्रकार के इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में उनके मंत्रालय के अधीन एक नया कारखाना स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नई कम्पनी में कितनी पूंजी लगाई जाएगी; और

(ग) क्या इसका उद्देश्य देशी कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भिक लागत 1.8 करोड़ रुपये की होगी।

(ग) राजकीय क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड नामक नया एकक प्रारम्भ में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में विकसित व्यावसायिक किस्म के फैराइटों तथा कई अन्य इलेक्ट्रोनिक पुर्जों का निर्माण करेगा। देशी कच्चे माल का यथासंभव अधिकतम सीमा तक प्रयोग करना, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रविधि की मुख्य विशेषता है, विशेषकर उन पुर्जों में जो सेरामिक प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।

Abolition of Sole Agency System for Cement

3868. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government have abolished in principle the sole agency system in the case of cement;

(b) if so, the number of factories where this system is still in force;

(c) whether the Dalmia Cement Factory and the Orissa Cement Factory allow 2 per cent profit by way of sole agency commission; and

(d) the names of the sole agents of these factories ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) & (b) The Government of India have not prescribed any system of sole agency and therefore the question of its abolition by the Government does not arise. Sale of cement through sole agency is a matter purely within the discretion of the concerned cement producers.

(c) and (d) The Dalmia Cement (Bharat) Factory and the Orissa Cement Factory are stated to be paying Rs. 1·75 per tonne as sole agency commission to the Cement Distributors Ltd., New Delhi, who are their sole selling agents.

पोस्टल स्टेशनरी की छपाई

3869. श्री के० लकप्पा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्ट कार्डों और अन्तर्देशीय पत्रों की छपाई का काम सरकार के अलावा अन्य किन एजेन्सियों को दिया जाता है और यह काम किन शर्तों के अधीन सौंपा जाता है ;

(ख) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि ऐसे अन्तर्देशीय पत्रों की छपाई करने वाली प्राइवेट एजेन्सी भी ऐसी सामग्री का अधिक संख्या का बिल बनाकर और कम संख्या में सप्लाई करके भारी मुनाफा कमा रही हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र और साधारण तथा रजिस्ट्री दोनों प्रकार के एम्बास्ड लिफाफे नासिक की इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस से छपवाए जाते हैं ? हाल ही के वर्षों में पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्र कार्ड की छपाई का काम किसी दूसरी एजेन्सी को नहीं दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में अनुसंधान कार्यक्रम

3870. श्री के० लकप्पा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समितियों द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों का व्योरा क्या है ;

(ख) इन कार्यक्रमों का राज्य-वार व्योरा क्या है और विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के कार्यक्रमों का व्योरा क्या है ; और

(ग) कुछ मंत्रालयों के मामले में कुछ कार्यक्रमों में दुहरा कार्य हो रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम मूल्यांकन समिति सितम्बर 1967 में समाप्त कर दी गई थी । उसके बाद से योजना आयोग ऐसे क्षेत्रों में जो योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं, समिति स्तर पर अनुसंधान अध्ययन चला रहा है । जब भी विभिन्न अनुसंधान संसथानों/विश्वविद्यालयों से अध्ययन प्रस्ताव प्राप्त होते हैं , उन पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ख) क्योंकि कुछ अध्ययनों का अखिल भारतीय महत्व है जब कि कुछ राज्यों के एक समूह से संबंधित है अतः इन अध्ययनों का राज्यवार व्योरा बताना सम्भव नहीं है । इस वर्ष प्रारम्भ किए गए एक अध्ययन क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल आते हैं जब कि दूसरे प्रस्तावित अध्ययन में कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्य आयेंगे ।

(ग) जहां तक योजना आयोग को ज्ञात है कार्यक्रमों की पुनरावत्ति नहीं हुई है

उद्योग और कृषि के अवशिष्ट पदार्थों को पुनः प्रयोग में लाने संबंधी योजना

3871 .**श्री पी० गंगादेव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग और कृषि के अवशिष्ट पदार्थों को पुन: प्रयोग में लाने सम्बन्धी एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना 1974–79 क प्रारम्भ क प्रथम तथा द्वितीय अंकों को जिन में अन्य बातों के साथ-साथ उद्योग तथा कृषि क अवशिष्ट पदार्थों के पुन: प्रयोग करने के लिए अनुसंधान तथा विकास संबंधी योजना की मुख्य बातें भी शामिल हैं, 26 मार्च, 1974 को सदन के पटल पर रखा गया था ।

औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों के क्षेत्र में, आरम्भिक संयंत्र विकास, अभिकल्प तथा इंजीनियरी संबंधी परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं जिन में स्फोटन भट्टी धातु मल से कम भार के समुच्चय, फ्लाई एश का उपयोग, चीनी संयंत्रों के कार्वनीकृत आपंक से दवचालित पक्की चिनाई का चूना, जल कार्यों के सिल्ट से कम भार के समुच्चय, कृषि औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों से निर्माण-फ्लक, पैनल तथा ढलाई पावडर आदि शामिल हैं । प्रयोगशाला अन्वेषणों के लिए जो मुख्य परियोजनायें सुझायी गयी है उनमें, धातुमल सीमेंट तथा अधि-सल्फेटित सीमेंट के लिए भट्टी के धातु मल, सीमेंट उत्पादन के लिए फासफोरस भट्टी के धातुमल, ऐल्यूमिनियम उद्योग के उपलब्ध लाल मिट्टी से भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग आदि शामिल हैं ।

कृषि संबंधी अवशिष्ट पदार्थों के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तावित कुछ अनुसंधान और विकास परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

चावल की भूसी का आर्थिक उपयोग ।

कृषि संबंधी अवशिष्ट पदार्थों यथा, जई के खोल, भुट्टे की बाल तथा डन्ठल, खोई, मूंगफली के छिलके, लकड़ी के बुरादे इत्यादि से फरफ्यूरल ।

सेल्युलोस संबंधी अवशिष्ट पदार्थों (यथा, तिनके, भुट्टे के बाल, घास नारियल क रेश, खोई आदि) की सूक्ष्म जीवी अपघटन द्वारा पोषक खाद्य में परिवर्तित करना ।

फसल संबंधी अवशिष्ट पदार्थों का खाद के रूप में उपयोग ।

कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों यथा महुआ की खली की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद बनाना ।

कृषि संबंधी अवशिष्ट पदार्थों/उपोत्पादों का गत्ता बनान, आवसलिक अम्ल उत्पादन तथा सक्रियता कार्बन निर्माण में उपयोग ।

जेव-गैस जनित्र अथवा "गोबर गैस" संयत्न का अभिकल्प तथा विकास ।

Gas and Fuel Oil for Cooking purposes from Agricultural Wastes

3872. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Central Fuel Research Institute has evolved such a procedure as would enable preparation of gas and fuel oil for cooking purposes from agricultural wastes ;

(b) if so, whether Government have taken steps to develop and make it easily available to the public;

(c) if so, main features thereof; and

(d) whether Government have also estimated the quantity of such gas and oil to be produced in the country?

The Minister of Industrial Development Science and Technology and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) The Central Fuel Research Institute (CFRI) has carried out some experiments for production of fuel gas from agricultural wastes. No experiments have been conducted for production of fuel oil.

(b) and (c) The work has not yet reached a stage where it can be made available for commercial utilisation.

(d) The work is still at experimental stage and the results are not yet conclusive for estimation of quantity of gas that can be produced.

नागालैंड में सैनिक कार्यवाही बन्द किए जाने का नागालैंड के मुख्य मन्त्री का सुझाव

3873. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालण्ड के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से नागालैण्ड में सैनिक कार्यवाही बन्द किए जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय म उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख-कच्चे माल की कमी का भारतीय औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

3874. श्री मधु लिमये : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख कच्चे माल की कमी का 1973 में देश के औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा ;

(ख) उद्योग की कुल आंवश्यकता की तुलना में इस कमी का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या आयात करके इस कमी को किसी सीमा तक दूर करने का कोई प्रयत्न किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो 1973 में कितन औद्योगिक कच्चे माल का आयात किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) 1973 में औद्योगिक उत्पादन जो कि पिछले वर्ष से केवल नाम मात्र को 0.7 प्रतिशत अधिक था, किसी सीमा तक इस्पात, अलौह धातुओं तथा मूलभूत रसायन पदार्थों आदि की कमी का प्रतिफल था। कुल मांग के अनुपात में कमी की ठीक ठीक सीमा का आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि उत्पादित वस्तुओं में से कई मध्यम उत्पाद हैं और कुल अन्तिम उत्पादन के आधार पर उनकी व्युत्पन्न मांग होती है।

(ग) कमी को दूर करने के वास्ते विदेशी मुद्रा के अवरोधों के अन्दर इस्पात, अलौह धातुओं तथा रसायन पदार्थों आदि के आयात की अनुमति दे दी गई है।

(घ) 1972-73 तथा 1973-74 (अप्रैल से फरवरी) के दौरान कतिपय मुख्य कच्चे माल के आयात का मूल्य नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित है।

करोड़ रु० में मूल्य

उत्पादित वस्तुएं	1972-73	1973-74 (अप्रैल-फरवरी)
लोहा तथा इस्पात	217.14	217.98
अलौह धातु	101.62	118.03
रसायन तथा मिश्रण	88.87	92.96
प्लास्टिक सामान फिर से बनाया सैल्यूलोज तथा कृत्रिम बिरोजा	11.47	14.02

पाँचवी योजना में कृषि सुधार

3875. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना में देश में मूलभूत कृषि सुधार लागू करने पर अत्यधिक बल दिया गया है ; और

(ख) क्या इन सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 1974 के अन्त तक इन सभी सुधारों का पूरा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) पांचवी पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप में, भूमि सुधार का तेजी से तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने पर पर्याप्त बल दिया गया है। भूमि सुधार का कार्यान्वयन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि इस की शीघ्र कार्यान्विति क लिए समुचित उपाय अपनाएं।

गया में कागज का कारखाना

3876. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गया (बिहार) के निकट एक कागज का कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगी है क्योंकि उस कारखाने के लिए कच्चा माल यहां काफी मात्रा में उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में 'साईलैंट वैली स्पिल ओवर योजना के लिये व्यवस्था

3877. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिए राज्य में विद्युत योजना के अन्तर्गत पर्याप्त संसाधनों के अभाव क कारण केरल में 'साइलेंट वैली स्पिल ओवर' योजना के लिए योजना के प्रथम वर्ष के दौरान कोई व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार ने अपने 18 जून, 1973 के पत्र द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस परियोजना को मित्र देशों, विशेष रूप से कनाडा से सहायता क लिए भेजे ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) साइलेंट घाटी स्कीम फरवरी, 1973 में स्वीकृत की गई थी तथा इससे छठी योजना म लाभ उपलब्ध होंग । संसाधनों की तंगी के कारण, 1974-75 वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने भारत सरकार से केरल राज्य बिजली बोड क इस प्रस्ताव को मानने के लिए सिफारिश की है कि इस परियोजना के लिए मित्र देशों, विशेषकर कनाडा से, सहायता मांगी जाए । बहरहाल, यदि विदेशी सहायता उपलब्ध हो जाती है , तो भी केरल राज्य बिजली बोर्ड को इस परियोजना में धन लगाने के लिए अपनी राज्य योजना में रुपया-संसाधनों को व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि किसी भी सहायता देने वाले देश से प्राप्त विदेशी मुद्रा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं हो जाती ।

Disparity in Pay Scales of Technocrats and IAS Officers

3878. Shri M. C. Daga : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether there is disparity in the pay scales of Technocrats and I.A.S. officers ;

(b) if so, the basis thereof; and

(c) whether Government propose to remove this disparity.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) The pay scales for the various Services/posts are determined on the basis of the duties and responsibilities; the difficulty and complexity of the tasks to be performed; the degree of supervision to be exercised; the basic qualifications required; and a number of other factors. Since there is bound to be come difference in one or more of these factors in respect of the Services operating in different disciplines, it is not possible to achieve absolute parity between the various Services. However, it has been the policy of Government to reduce disparities in pay structures of the different Services, if any, to the extent possible.

The Third Central Pay Commission had considered the factors mentioned above while recommending pay scales for the I.A.S. and the Technical Services and come to the conclusion that it was not practicable to have an arithmatical equation between them. The Commission, however, felt that the salary structure for these services should aim at some broad parity. With this end in view, the Pay Commission had recommended equation of the junior scales of these Services; barrowing the existing differential at the start of the Senior Scales; improvement of the Junior Administrative Grade of the Engineering Services by equating its maximum with the maximum of the Senior Scale of the I.A.S. providing a Selection Grade above the Junior Administrative Grade; and, upgrading the higher posts in the Engineering Services to bring them in line with the higher posts available to the I.A.S. These recommendations which aim at near parity between the I.A.S. and the Technical Services have already been accepted by Government. Attention in this connection is also invited to the Statement laid on the table of the House on the 29th March, 1974, by the Finance Minister.

सिक मैनेजमेंट ग्राफ सिक मिल्ज

3879. **श्री विक्रम महाजन**
श्री नवल किशोर सिंह : क्या **ग्रौद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 अगस्त, 1974 बम्बई के एक साप्ताहिक में 'सिक मैनेजमेंट ग्राफ सिक मिल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है ; ग्रौर

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ग्रौर स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

ग्रौद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिग्राउर रहमान ग्रन्सारी) : (क) ग्रौर (ख) 17 ग्रगस्त, 1974 को ब्लिटज में सिक मैनेजमैंट ग्राफ सिक मिल्स शीर्षक से प्रकाशित ग्रभिकथन के तथ्यों का सुनिश्चय किया जा रहा है उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
Re : Adjournment motion

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ओसग्राम) : कूच-बिहार में सी० आर० पी० द्वारा गोली चलाने के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है . . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । फिर भी मैं गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कहूंगा। गृह मंत्री को जानकारी एकत्र करके सभा में यथा शीघ्र बतानी चाहिये ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि मेरे विशेषाधिकार के मामले को कल लिया जाये और इस मामले पर आज चर्चा की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह सकता हूं कि बाद में कभी ले लिया जा सकता है । लेकिन यह नहीं कह सकता कि इसको कल ले लिया जायेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे जब भी उचित समझें चर्चा के लिये ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । हम बाद में किसी दिन इसे ले सकते हैं ।

विशेषाधिकार का प्रश्न
Question of Privilege

कतिपय फर्मों के लाइसैंस के जारी किये जाने सम्बन्धी अभ्यावेदन पर कुछ संसद सदस्यों के कथित हस्ताक्षरों के बारे में वाणिज्य मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिये गये कतिपय वक्तव्य ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I gave three notices of breach of privilege. The Statement made by the Minister of Commerce in Rajya Sabha yesterday has affected the dignity of this House and therefore, he is guilty of contempt of this House.

Other notice is in regard to the former Minister of Foreign Trade Shri L. N. Mishra and 21 Members of Lok Sabha. According to my information the applications made for the grant of these licences earlier were rejected by the Ministry but subsequently on the basis of the memorandum allegedly signed by M. Ps. licences, were granted to those persons who were selling them through intermediaries, which is an offence. The whole affair is very dirty.

The C.B.I. started an enquiry after this matter was published in the Blitz weekly. All Members except Shri Tul Mohan Ram said that the signatures were forged. The Minister knew all these facts. Even then he chose to disclose the names of the Members. This is improper because the concerned members

have said that the signatures are forged. Even in regard to the one member who has owned his signatures the Minister said that his presumption is that signatures are also forged. It was during the terms of Shri L. N. Mishra that the whole conspiracy was hatched.

I do not want to cast any motions on those 18 members who have denied these signatures. No clouds of doubt should remain over these 18 members. The whole matter needs to be thoroughly investigated and members fully cleared by the Privilege Committee or any other enquiry Committee which may be set up in this regard. Its report should come to this house first so that we could discuss it....**(Interruptions)**

Inquiry should not only be conducted in regard to the signatures of these Members and their role in the whole affair but into the entire licencing procedure.

Mutual relations of Lok Sabha and Rajya Sabha are also involved in this affair. If the motion is against Shri Chattopadhyaya, it should go to the Rajya Sabha. So far as the Lok Sabha Members are concerned, the Rajya Sabha has no right to go into the matter. It will have to be done by this House only.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस मामले के दो उद्देश्य हैं लेकिन दोनों का उद्देश्य विशेषाधिकार से है ।

वाणिज्य मंत्री ने दूसरे सदन में कुछ सदस्यों के नाम बताये हैं । कोई भी मंत्री ऐसा कर सकता है । असली मामला यह है कि उन्होंने यह उस समय बताये हैं जबकि मामले की जांच हो रही है और जबकि अधिकतम सदस्यों ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं । अतः मंत्री महोदय ने जानकर सदस्यों की मानहानि की है ।

इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने अभी तक उन सदस्यों को इससे बरी नहीं किया है । उन्होंने तिम रूप से यह नहीं बताया है कि हस्ताक्षर जाली हैं । अतः सदस्य अभी भी संदेह की अवस्था में हैं । उन्हें नाम नहीं बताने चाहिये थे । उन्होंने सार्वजनिक हित की आड़ लेकर कहना चाहिये था कि मामले की जांच हो रही है । लेकिन उन्होंने नाम बता दिये । प्रतीत होता है कि इस बारे में और भी जांच होगी ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने वह प्रश्न तथा उत्तर नहीं पढ़ा जो इस मामले से सम्बन्धित है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने सभी कागज पढ़ें है । मंत्री महोदय ने उस सदन में कहा है कि मामले की जांच हो रही है ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : यदि माननीय सदस्य प्रश्न और उत्तर पढ़ डालते तो यह विवाद कुछ कम हो जाता । मेरे विचार में श्री श्यामनन्दन मिश्र ने इन्हें नहीं पढ़ा है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय ने उस समय नाम बताये थे जब उन्हें यह मालूम नहीं था कि ये सदस्य सचमुच इस मामले से सम्बद्ध हैं। मंत्री महोदय क सार्वजनिक हित में इनके नाम नहीं बताने चाहिये थे।

वाणिज्य मंत्री ने सदन तथा सदस्यों को अपमानित किया है। किस प्रकार ? 21 सदस्यों की सिफारिश पर लाइसेंस देकर . . . (**व्यवधान**) मैं मंत्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

लाइसेंस ऐसी पार्टियों को दिये गये जिन के नाम काली सूची में दर्ज हो चुके थे। इस प्रकार सभा तथा इस के सदस्यों को अपमानित किया गया है। (**अन्तर्बाधाएं**)।

लाइसेंस 21 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के दबाव के कारण दिये गये। यदि सदस्यों के कहे अनुसार यह बात मान ली जाये कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो इस बात की जांच की जानी चाहिये कि इस प्रकार सदस्यों को बदनाम करने का षड़यंत्र किस प्रकार किया गया। अब प्रश्न यह है कि यह किस के द्वारा की जाये, इस बारे में सदन ने पहिले ही एक परम्परा बना रखी है कि इस प्रकार की जांच सभा की समिति द्वारा की जाये।

इस बारे में किसी निर्णय पर तभी पहुंचा जा सकता है जब यह मामला जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और फिर 21 सदस्यों को बदनाम करने के षडयंत्र की जांच के लिए सभा की एक समिति बनाई जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : ब्लिट्ज ने 30 मार्च, 1974 के अपने अंक में जो स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं उन्हें अभी तक नकारा नहीं गया है। पत्र पर किसी ने न्यायालय में मुकदमा चलाने की कार्यवाही भी नहीं की गई है।

श्री चट्टोपाध्याय के कल के वक्तव्य में एक स्पष्ट टिप्पणी यह थी कि मूल अधिसूचना में कुछ कमी थी और उसे दूर किया गया था। इसके परिणामस्वरुप पहले वंचित किये गय व्यक्तियों को नियमानुसार लाइसेंस दिये गये। स्थिति यह है कि पांडिचेरी की 1 पार्टियों को 30 लाख के लाइसेंस दिये गये और यह आरोप है कि इसके लिए डेढ़ लाख रुपया किसी प्रभावी व्यक्ति को दिया गया। इन पार्टियों को नियमानुसार लाइसेंसों से वंचित किया गया परन्तु उन्ह लाइसेंस देने के लिये उन नियमों में परिवतन किया गया।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने यह नहीं बताया कि मामल म कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं। उन्होंन यह भी नहीं बताया कि एक सदस्य न सरकारी अभिकरण के सन्मख अपना अपराध मान लिया है। उन्होंन यह जानत हुए भी इस बात को अपने वक्तव्य में न बता कर संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है।

इस प्रकार यह विशषाधिकार भंग का मामला है और संबंधित सदस्य, श्री तुलमोहन राम जब तक उन्हें दोष मुक्त सिद्ध न किया जाय। सभा को लोगों के सन्मुख निंदनीय बनाया है इस प्रकार उन्होंने विशेषाधिकार भंग किया है। दूसरे वाणिज्य मंत्री द्वारा सूचना प्रगट न करना भी विशषाधिकार का भंग है।

मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये दो कार्य तुरन्त किये जाने चाहिये । सबसे पहले मामले से सम्बद्ध सभी फाइलें जब्त करके अध्यक्ष महोदय के पास जमा होनी चाहियें और उन्हें सील किया जाये जिससे उनमें हेरफेर न हो सके । दोनों सदनों की एक सर्वदलीय समिति इसकी पूरी जांच करे । और जांच से यदि श्री तुलमोहन राम को दोषी पाया जाये तो उन्ह सदन की सदस्यता से हटाया जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The First thing we have to keep in mind in this regard is that the Memorandum was received by the Commerce Ministry on the 23rd November **1973** which contained signatures of 21 Members of Parliament. The question is why there was delay in examining the Memorandum received in **1972**. It is also to be seen who was the then Commerce Minister, who received the Memorandum, whether it came through post or was it delivered personally?

When the matter came before the present Commerce Minister he could have contacted 21 Members of Parliament to find out whether they had signed the Memorandum. But he did not do so. It is a failure on his part. The matter was referred to the C.B.I.

Shri Shyamnandan Mishra : May I know whether the C.B.I. has started the enquiry at its own? If it is so, it is a discrimination against, because they do not undertake enquiries against Ministers at their own.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I am not in favour of an enquiry by any Government Agency in a case connected with the conduct of Members of Parliament. A Parliamentary Committee alone should go into the matter. **(Interruptions)**. 18 members out of 21 members have denied of having signed the Memorandum. So it has to be found out how has forged their signatures? Is it also to be enquired whether it is the procedure of the Ministry to issue licences, the recommendations of Members of Parliament, without going into merits of the case. Let us also know it if it is so. Or it is the prerogative of the ruling party Members only.

It is a matter relating to the conduct of Members of Parliament. It is a question of dignity of the Lok Sabha. I therefore feel that with a view to ensure high standards of conduct in public life and particularly by Members of Parliament a Parliamentary Committee presided over by the Speaker be constituted to examine the entire episode relating to the representation made to the Ministry of Commerce over the alleged signatures of 21 Members of Lok Sabha, the relevation that most of these signatures are forged, the actual allotment of licences to parties mentained in the representation and to make necessary recommendations in this regard.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि यह मामला सदन की प्रतिष्ठा का है और इस प्रकार के मामले में राजनीति नहीं आनी चाहिये परन्तु फिर भी इस मामल पर राजनैतिक रंग लगा कर देखा जा रहा है । मेरे विचार से इस मामले के दो पहलू ह । इसका पहला पहलू है विशेषाधिकार का इसका दूसरा पहलू वाणिज्य मंत्रालय म लाइसैंस देने की

प्रक्रिया और व्यवहार का है। यह मामला किसी सदस्य के व्यवहार तथा सम्मान की बात नहीं बल्कि यह सारे सदन का मामला है। इस रूप में यह ऐसा मामला नहीं है जिसे केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पर ही छोड़ दिया जाये। अध्यक्ष महोदय के सीधे मार्ग दर्शन में उनके सभापतित्व में बनी एक सर्वदलीय संसदीय समिति को इस मामले की व्यापक जांच का प्रश्न सौंपा जाना चाहिये। जो निष्पक्ष रूप से सारे मामले की छानबीन करके अपना निर्णय दे।

मैं इस बात से सहमत हूं कि जो कुछ दूसरे सदन में होता है वह उसी सदन का मामला है। ब्रिटेन में भी दोनों सदन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और एक सदन द्वारा दूसरे सदन की कार्यवाही की जाच पड़ताल नहीं की जा सकती। यदि एक सदन के सदस्य के विरुद्ध दूसरे सदन में कोई आरोप लगाया जाता है तो उस मामले को वहां उठाने के स्थान पर उस सदन के पीठासीन अधिकारी को, जिस सदन का वह सदस्य है, प्रेषित किया जाये। वाणिज्य मंत्री को यह सूचना दूसरे सदन में न देकर इस सदन के सभापति के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को देनी चाहिये थी। अत: इसमें विधेषाधिकार का प्रश्न बनता है। इस सदन के सदस्यों के व्यवहार की जांच इस सदन द्वारा ही की जा सकती है उसमें दूसरे सदन का कोई दखल नहीं हो सकता। अत: इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगभग 15 सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई ह कि वे नियम 357 के अधीन अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते ह। शायद यह सब सदस्य बताना चाहते हैं कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं। मैं उन्हें इसकी अनुमति दे रहा हूं।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Sir, I have to say that I have neither signed any application for licence from any party non I am connected any way with it.

Some months ago C.B.I. officials invited me in this connection. I categorically told them that I have not signed anything and my signatures have been forged. I feel that mentioning of my name in the Rajya Sabha is not a justice with me.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (माधेपुरा) : वाणिज्य मंत्री द्वारा राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते समय मेरे नाम का उल्लेख करने से मुझे दुख हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय जांच-ब्यूरो के अधिकारी मेरे पास गए थे और किसी ज्ञापन पर मेरे हस्ताक्षरों के बारे में मेरे से पूछताछ की। मने स्पष्टत: उन्हें कहा कि इस पर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ये हस्ताक्षर जाली हैं। यह बहुत दुख की बात है कि इस के बावजूद वाणिज्य मंत्री ने मेरे नाम का उल्लेख किया।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस प्रकार के किसी ज्ञापन से कोई सम्बध नहीं और मेरे वह हस्ताक्षर जाली हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि इस बारे में जांच की जाये और अपराधी को समुचित दंड दिया जाये।

श्री मोहम्मद जमीर्ल्युहमान (किशन गंज) : इस संबंध में मुझे यह कहना है कि मैंने लाइसस के कथित आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए ह। मेरे हस्ताक्षर जाली है। मेरा लाइसैंस के आवेदनपत्र से कोई संबंध नहीं है। कुछ मास पूव केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी मेरे पास जांच के

लिए आए थे तो मैंने स्पष्टतया कहा कि मेरे हस्ताक्षर जाली हैं। इसके बावजूद मेरे नाम के उल्लेख से मुझे दुख हुआ है। अतः म आपका संरक्षण चाहता हूं।

डा० संकटा प्रसाद (मिसरिख) : इस संबंध में मुझे यह कहना है कि मैंने लाइसेंस के कथित आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मेरे हस्ताक्षर जाली हैं। लाइसेंस के आवेदन पत्र से मेरा कोई संबंध नहीं है। कुछ मास पूर्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो का अधिकारी मेरे पास पूछताछ के लिए आया था तो मैंनें स्पष्टतया कहा था कि मेरे हस्ताक्षर जाली हैं। बावजूद वाणिज्य मंत्री द्वारा राज्य सभा में मेरे नाम का उल्लेख करने के कारण मुझे दुख हुआ है। अतः मैं आपसे संरक्षण की मांग करता हूं।

Shri Mohammad Yusuf (Siwan) : I was much shocked to hear my name unnecessarily being dragged while replying a question in the Rajya Sabha. In this connection I have not signed the alleged application for licence and my signature is forged one. C.B.I. officials had visited my house some months back in this connection and I denied emphatically that signature was mine. I told them it is forged one. In this way the prestige of the House has also been lowered. You are the custodian and guardian of the honour of this House and as a guardian I seek your protection.

Shri Shambu Nath (Saidpur) : In connection with mentioning of my name in the Rajya Sabha by the Minister of Commerce on 27-8-74, I would like to submit the following points by way of personal explanation:

1. That I have not signed the alleged application for licence.
2. That my signature is forged one.
3. That I have no concern with the application for licence.
4. That one C.B.I. officer had visited my house several months back and asked me showing a memorandum that whether that signature was mine. I denied it emphatically and said that it is forged one.

The statement of the Hon'ble Minister has hurt my prestige. I, therefore, suggest that a thorough enquiry should be made into this charge and the culprit should be brought to book.

Shri Bhola Pant (Bagaha) : I have already made a statement before a C.B.I. officer that I have not signed any application for a licence. I am shocked to learn that the Commerce Minister has mentioned my name in the other House and I emphatically deny that this charge is baseless. I want to ask whether it was proper for the Hon'ble Commerce Minister to mention the names of members of the Lok Sabha knowing fully well that C.B.I. has already made necessary investigation? Is it not contempt of the House?

Shri Ram Swarup (Robertsganj) : I am shocked to learn that my name has been included in the list of members of Lok Sabha who are alleged to have signed some application for import licence. I have already explained to a C.B.I. officer that I have not signed any such application. I request you to take necessary steps to see that no efforts are made to defame us.

M/P(D)10LSS—9

Shri N.P. Yadav (Sitamarhi): It has been alleged in an answer to a question on 27-8-74 in the Rajya Sabha that I have signed any application for import licence. I want to offer my explanation and state that I have not signed any application and my signature might have been forged. I have already made a similar statement before an officer of C.B.I. I request that thorough investigation may be made into the entire episode and the culprit should be brought to book.

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) : The people will look down upon us when they would come to know that our signatures are forged ones. I have already made a similar statement before an officer of C.B.I. But the Commerce Minister has not mentioned this fact in his reply that these signatures were forged ones.

Shri Madhu Limaye (Banka): On a point of order, Sir. He should read the same statement which he has submitted to you in writing. He should not say anything else.

Mr. speaker : This is in order. He should read the same thing which he has already submitted.

Shri Krishna Chandra Pandey : Sir, my signature, have been forged. I have no connection with this application. This charge has hurt my prestige and I shall be satisfied only if thorough investigation is made and the culprit is brought to book.

श्री मोहम्मद ताहिर (पूर्णिया) : मुझे यह जान कर दुख हुआ है कि 27 अगस्त, 1974 के एक प्रश्न के उत्तर में मेरे नाम का अनावश्यक रुप से उल्लेख किया गया है, मैंने ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। कुछ मास पूर्व केन्द्रीय जांच ब्युरो के अधिकारी भी हमारे पास आये थे और मैं ने उन्हें बताया था कि वे हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं, इस से मेरी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस आरोप की पूरी जांच की जाये और दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाये तथा इस प्रकार से दिये गये लाइसेंस को रद्द कर दिया जाये।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : यह एक गम्भीर मामला है। इसलिये यदि इस प्रकार के आरोपों का निराकरण नहीं किया गया तो संसदीय लोकतंत्र की समुचय व्यवस्था बदनाम हो जायेगी। इसलिये सच्चाई का अवश्य पता लगाया जाना चाहिये और दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता को संदेह की दृष्टि बनी रहेगी। अतः इस सारे मामले की संसदीय जांच की जानी चाहिये। मैंनें पहले ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी के समक्ष बयान दिया था कि वह हस्ताक्षर मेरे नहीं है। फिर भी इसकी उचित जांच की जानी चाहिये जैसा कि मैंने अनुरोध किया है।

श्रीमती सावित्री श्याम (आंवला) : मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि वाणिज्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जिन संसद सदस्यों ने लाइसेंस के लिये किसी आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं उनमें मेरे हस्ताक्षर भी शामिल हैं। मैंने कुछ मास पूर्व केन्द्रीय जांच ब्युरो के अधिकारी को भी बताया था कि वह हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। मैंने इन्कार किया था और कहा था कि वह जाली हस्ताक्षर हैं। आप सभा के अभिरक्षक हैं और म आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले की पूरी जांच की जाये और दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाये।

Kumari Kamla Kumari (Palamau) : I have come to know that it has been alleged that I have signed any application for a licence and the same is being verified. I emphatically deny that these signatures are not mine. They have been forged. I have already made a similar statement before an officer of C.B.I. I therefore, pray that a thorough investigation should be made to find the truth and the culprit should be brought to book.

Shri M.G. Uikey (Mandla) : I have come to know that my name has been included in the list of names of Members of Lok Sabha who have allegedly signed an application of some firms for granting licence. I want to offer my explanation and state that alleged signatures are not mine. I have no connection with that application. I have already made a similar statement before an officer of C.B.I. I pray that this matter should be investigated and the culprit should be brought to book.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : जिस दस्तावेज पर चर्चा की जा रही है उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। लगभग चार मास पूर्व केन्द्रीय जांच ब्युरो के दो अधिकारी मेरे पास आये थे और उन्होंने मुझे एक दस्तावेज दिखाया था जिनमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ मेरा नाम भी लिखा था। मैंने उनको बताया कि वह हस्ताक्षर नहीं और हस्ताक्षर करने का मेरा ढंग बिल्कुल भिन्न है। मेरे विचार में एक विशेष संसदीय समिति बनाई जानी चाहिये जो इस मामले की जांच करे ताकि यह सिद्ध हो जाये कि जिन माननीय सदस्यों के नामों का उल्लेख किया गया है वे निर्दोष हैं।

श्री सत्यचरण बेसरा (दुमका) : मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि वाणिज्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह आरोप लगाया है कि मैंने लाइसेंस के लिये किसी आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। कुछ मास पूर्व केन्द्रीय जांच ब्युरो का एक अधिकारी हमारे पास आया था और हमें एक ज्ञापन दिखाया गया था और पूछा था कि क्या उस पर किये गये हस्ताक्षर मेरे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं और वह जाली हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस जानकारी के बावजूद मंत्री महोदय ने हमारे नाम का उल्लेख किया है। मेरा उस कथित ज्ञापन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिये और दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिये।

Shri Chandra Shailani (Hathras) : I have come to know only yesterday that the Commerce Minister has mentioned my name in connection with alleged signatures of some members of Lok Sabha on an application for grant of licence. I want to say that I have never signed such an application. My signatures have been forged. I have no connection with that application. I have already made a similar statement before two officers of C.B.I. This allegation has hurt my prestige and I pray that thorough investigation should be made and the culprit should be punished.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : I want to offer my personal explanation that I have never signed on any application for granting a licence nor I have any connection with it. I have already made a similar statement before two officers of C.B.I. who had come to my residence for verification of my signatures. I have no connection with any application for granting a licence. I pray that thorough enquiry should be made in the matter and guilty should be brought to book.

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मुझे इस बात का दुख है कि हमने इस सम्मानित सदन की तथा विशेषकर उन सदस्यों की, जिनका राज्य सभा में प्रश्न संख्या 730 के दिये गये उत्तर में उल्लेख हुआ है, भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यह बात अनजाने में हुई है। यदि एक बार प्रश्न को गृहीत कर लिया जाता है तो उसमें 'कथित' शब्द है, मन्त्री महोदय को सभापति का निर्देश है कि प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दिया जाये। इस लिये सदन की मर्यादा के लिये तथा सभापति के निर्देश का पालन करते हुए ये नाम बताये गये थे तथा सदस्यों का अपमान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। जब यह शिकायत हमारे पास आई थी तो हमने सामान्यत: यह सोचा कि जब तक कोई और बात सिद्ध नहीं होती तब तक ज्ञापन पर हस्ताक्षर जारी हैं। हम भी सदस्यों की प्रतिष्ठा को उतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं जितना कि कोई और। जब हमें इसका पता चला था तो यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास हस्ताक्षरों के सत्यापन के लिये भेजा गया था, हमारे पास उनकी कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं पहुंची थी। इस बीच माननीय सदस्यों ने स्वयं बताया कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं। फिर भी जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है कि क्योंकि इस से इस सभा की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं सरकार की ओर से खेद व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम इस पर किसी अन्य दिन वाद-विवाद को रखेंगे। इस प्रयोजन के लिये कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित करनी होंगी। अब नियम यह है कि जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर आरोप लगाता है तो उस दूसरे सदस्य को नोटिस देना चाहिये। अब कुछ लोग जाली हस्ताक्षर तक करने लगे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। हमें इस पर भली भांति विचार करके तय करना होगा कि ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की जा सकती है। हमें इस पर भी विचार करना है कि यदि किसी ऐसे मामले की जानकारी मंत्री को मिलती है तो क्या सदस्य से जानकारी लेने या कम से कम अध्यक्ष को यह बताने की आवश्यकता है कि कुछ सदस्य अमुक मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं और वह उस सम्बन्ध में निदेश दें। मैं इस बारे में इस समय कोई निर्णय नहीं दे सकता। अत: इस मामले पर किसी और दिन चर्चा की जायेगी ?

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि माननीय सदस्य द्वारा इन्कार किये जाने और जानकारी की पुष्टि की बात सभा को न बताये जाने से क्या कारण हैं ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This matter was raised in the Rajya Sabha yesterday and the Hon'ble Minister was asked to make a statement after names of Hon'ble Members were mentioned and they explained that the signatures were forged ones. This fact was not told in this House. What has he to say about this?

Shri Madhu Limaye: The presumption made by the Hon'ble Minister seems to be absurd. If they had received the information that the Hon'ble Members had denied before C.B.I. then it should have been placed before the Rajya Sabha. How can they presume in the absence of denial by the Members concerned?

श्री ए० सी० जार्ज : यह स्पष्ट है कि जब यह बात 30 मार्च को 'ब्लिटज़' साप्ताहिक में प्रकाशित हो गया और जब यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया तब हमने सोचा कि यह स्थिति है।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): This matter should not be postponed. We may sit late and complete the discussion on it keeping in view the seriousness of the matter.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table

कम्पनी अधिनियम की धारा 619ए के अन्तर्गत पत्र आदि

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं श्री सी० सुब्र मणयम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :–

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, के वर्ष 1972–73 क कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8313/74]

(2) पेटेंट्स अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत वर्ष 1973–74 के लिये पेटेंट्स डिजाइन तथा व्यापार चिंहों के महानियंत्रक के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 8314/74]

विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege

कतिपय फर्मों के लाइसेंस जारी किये जाने संबंधी अभ्यावेदन पर कुछ संसद सदस्यों के कथित हस्ताक्षरों के बारे में वाणिज्य मंत्री द्वारा राज्य-सभा में दिये गये कतिपय वक्तव्य ।

रेलमंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं व्यक्तिगत व्याख्या देना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : You can give me in writing because that is the procedure.

श्री एल० एन० मिश्र : मेरा नाम बार बार लिया गया है अतः मुझे उत्तर देने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मामला आज ही उठाया गया है अतः आप व्याख्या दे सकते हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : जब मैं विदेश व्यापार मंत्रालय का मंत्री था तो मुझे एक पत्र मिला था जिस पर अनेक संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे । जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने उस पत्र को सामान्य

कार्य की राह सम्बन्धित अधिकारी को दे दिया था । मैंने उस पर कोई आदेश नहीं दिया था और जब तक मैं वहां पर मंत्री रहा उस पर लाइसेंस दिये जाने के लिये मंजूरी नही दी गयी थी । अतः मैं अपने ऊपर लगाये गये सभी आरोपों का खण्डन करता हूं ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The matter has become very serious. I want to raise a point of order under Rule 351.

अध्यक्ष महोदय : इसको बाद में लिया जाएगा ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

Papers laid on the table

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों सम्बन्धी मामले में 1972-73 के प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(1) संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त के वर्ष 1971–72 तथा वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8314/74]

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सां० सां० नि० 878 जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 6 जुलाई, 1974 की अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 685 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(दो) सा० सां० नि० 879 जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 6 जुलाई, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 686 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8315/74]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 2092 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत क राजपत्र दिनांक 17 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुआ था ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8316/74]

(4) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर ज़िले के झारग्राम क्षेत्र में आदिवासियों को कृषि भूमि से हटाये जाने के समाचार के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8317/74]

(5) 1 जुलाई, 1972 से 30 जून, 1973 तक की अवधि में आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के कार्यकरण संबंधी सांख्यिकीय सूचना (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(6) 1 जुलाई, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि में आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के कार्यकरण संबंधी सांख्यिकीय सूचना (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8318/74]

औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग 4 संशोधन नियम, 1974 तथा उद्योग विकास और विनियम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उद्योगिक उपकरणों का पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग (चौथा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 369 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8319/74]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) न्यू मैनेकचोक स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, अहमाबाद के प्रबन्ध के बारे में सां० आ० 212 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्दगांव के प्रबन्ध के बारे में सां०आ० 213 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) श्री भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी के प्रबन्ध के बारे में सां० आ० 265 (ङ), जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्ध के बारे में सां० आ० 397 (ङ), जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 जून, 1974 में प्रकाशित हुआ था।
[ग्रथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8320/74]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने श्री मिर्धा द्वारा सभापटल पर रखे गये पत्रों की मद संख्या 5 के बारे में नोटिस दिया है। यह मद आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के एक जुलाई 1972

से 30 जून 1973 की अवधि के बीच कार्यकरण के बारे में है । हम जानना चाहते हैं कि परामर्श-दात्री बोर्ड तथा न्यायालयों द्वारा कितने कैदियों को रिहा किया गया है । यहां कोई व्याख्या नहीं दी गई है । बहुत विलम्ब से रिपोर्ट आई है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आपका ध्यान मद 4(4) की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री समर गुह : 26 जुलाई को आपने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार की थी । उसका एक भाग महाराष्ट्र में आदिवासियों को निष्कासित करने के बारे में था और दूसरा भाग पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के निष्करण के बारे में था । माननीय मंत्री ने केवल इतना ही उत्तर दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

अब मामला बहुत गम्भीर हो गया है । एक महीने के पश्चात माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है जैसे कि वह कोई वक्तव्य दे रहे हों । उन्होंने यह नहीं कहा कि यह उत्तर ध्यान दिलाने वाली सूचना के सम्बन्ध में है । अतः माननीय मंत्री द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गलत है ।

जहां तक मद 6 का सम्बन्ध है अभी दो सप्ताह पूर्व यह कहा गया था कि बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 42 कम्पनियां तैनात की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल विलम्ब के बारे में ही कह सकते हैं ।

श्री समर गुह : अब उन्होंने कहा है कि केवल 6 कम्पनियां तैनात की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल विलम्ब के बारे में, यदि कोई है, ही बोल सकते हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : मद 5 और 6 आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के कार्यकरण के बारे में है । मद 5 में 1 जुलाई 1972 से 30 जून 1973 के बीच की अवधि की जानकारी दी गई है और मद 6 में 1 जुलाई 1973 से 31 मार्च 1974 के बीच की अवधि के बारे में । विभिन्न राज्यों से जानकारी प्राप्त करने में कुछ विलम्ब हुआ है ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने यह नही बताया कि क्या यह उत्तर ध्यान दिलाने वाली सूचना से सम्बन्धित है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : इस घटना के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गई थी । एक अन्य राज्य में भी ऐसी घटना घटी थी । उस समय मेरे पास जो तथ्य थे मैंने सभा में दे दिये थे । पश्चिमी बंगाल सरकार से हमें कोई जानकारी प्राप्त नही हुई । अतः में कोई जानकारी नहीं दे सका था । यह सुझाव दिया गया था कि सूचना प्राप्त होने पर इसे सभापटल पर रख दिया जाये ।

श्री समर गुह : मैं यह कहना चाहता था कि यह बुवाई का मौसम है और आदिवासियों को निकाला जा रहा है और माननीय मंत्री ने उत्तर देने में एक महीना और पांच दिन लिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं आप से सहमत हूं ।

श्री राम निवास मिर्धा : हमें पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी अब प्राप्त हुई है ।

संसदीय समितियां--कार्य का सारांश

Parliamentary Committees,—Summary of Work

महासचिव : मैं 1 जून 1973 से 31 मई 1974 तक की अवधि से सम्बन्धित संसदीय समितियां कार्य का साराशं की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

Message from Rajya Sabha

महासचिव : मैं वित्त (बेगुसराय) विधेयक 1974 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश का सूचना देता हूं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ।

Private Members Bills & esolutions

---

45 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल : मैं ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 45वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने आपसे अनुरोध किया था कि उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य देने हेतु मुझे अवसर दिया जाये । मेरे संकल्प का 30 तारीख की सूची के लिए प्रथम स्थान मिला था और मैंने बड़ी कठिनाई से संकल्प तैयार किया । अब मुझे बताया जा रहा है कि मेरे संकल्प के स्थान पर श्री पंडा के संकल्प को अध्यक्षपीठ के आदेश से लिया जा रहा है ।

जब उपाध्यक्ष के साथ बैठक हुई थी तो मुझे कुछ नहीं बताया गया था । माननीय उपाध्यक्ष को भी मेरे विचार में, इस बारे में कुछ मालूम नहीं था । अतः मैं चाहता हूं कि मुझे अपना संकल्प प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा समय दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : निदेशों में ऐसा है कि यदि कोई मद चर्चाधीन विषय के तुरन्त बाद दी जाती है तो उसे प्राथमिकता दी जाती है । जब हम समिति में इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं तो आमतौर पर हमें एक पर्ची दी जाती है कि कौन से विषय पर चर्चा हो रही है और उसके बाद किन किन सदस्यों के नाम पर कौन कौन से संकल्प हैं उन पर हमें समय निश्चित करना होता है । मैंने जांच की तो पता लगा कि श्री पंडा का संकल्प पहले ही वहां पर था हालांकि वह कार्यसूची में नहीं दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय समिति का निर्णय है कि अनिर्णीत संकल्प को पहले सुना जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पंडा का संकल्प उसी विषय के बारे में है जिस के बारे में हमने कल विधेयक पास किया है । श्री पंडा के संकल्प का सार भी विधेयक से मिलता जुलता है । अब सभा के हाथों में है कि वह श्री पंडा के अथवा श्री मिश्र के संकल्प में से किस के संकल्प पर विचार करे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : श्री श्याम नन्दन मिश्र ने इस पर हमारे साथ बातचीत की थी और हमें उन्हें अवसर देने पर सहमत हो गये थे। हम चाहते हैं कि अभी श्री पंडा के संकल्प को ही लिया जाये ताकि सरकार की कमजोरियों पर रोशनी डाली जा सके। इसके पश्चात श्री मिश्र के संकल्प के लिए दो घण्टे का समय बच जायेगा। हम चाहते हैं कि उनको दो घण्टे के बजाये एक घण्टे का समय दिया जाये।

Shri Madhu Limaye : I request you not to do injustice to the person whose resolution has got priority No. 1 in the ballot. Some way should be find out to accommodate him. He should be given an opportunity to introduce his resolution so that that may not lapse.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Such a procedure should be adopted whereby all the resolutions may be taken up. One should not allow the discussion on a particular resolution to continue for three to four days. Meaningful discussion should be held.

श्री श्यामानन्दन मिश्र : कोई रास्ता निकालने में माननीय मंत्री को सहयोग देना चाहिए।

श्री के० रघुरामैया : मैं पूरा सहयोग दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लोगों के साथ है। मैं उन्हें समय देने का प्रयास करूंगा।

संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक

Constitution (Thirty Second Amendment) Bill

राज्य सभा के एक सदस्य की संयुक्त समिति में नियुक्ति

डा० शंकरदयाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री सुलतान सिंह की राज्य सभा से निवृत्ति के कारण भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री सुलतान सिंह की राज्य सभा से निवृत्ति के कारण भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

47वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से, जो 27 अगस्त, 1974 को सभा म प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से, जो 27 अगस्त, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye (Banka) : We will not sit after 6 P.M. today. In today's Order Paper there are my resolutions in my name. I have not gone out of the House even for a minute today. We do not speak here only for formality sake.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : 7 बजे तक हम सब सभा का कार्य समाप्त कर लेंगे।

Shri Madhu Limaye : You are not taking any decision.

अध्यक्ष महोदय : हम सात बजे से अधिक नहीं बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सदन की कार्यवाही को अब 15 मिनट के लिये स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

श्री के० रघुरामैया : हम अब सभा की बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित कर सकते हैं और आधे घंटे बाद फिर बैठक आरम्भ कर सकते हैं, और तब सांय 7.30 बजे तक बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे के लिये सदन की बैठक स्थगित करते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 3 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fifteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3 बजकर 34 मिनट पर पुनः समवत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thrity-four minutes past fifteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

(Mr. Dy. Speaker in the chair)

उद्योग (विकास और विनियमन) सशोधन अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और उद्योग (विकास और विनियमन विधेयक) संशोधन विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF THE INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION (AMENDMENT ORDINANCE, 1974 AND INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

Shri Madhu Limaye: (Banka) : It has passed 15 years since the Government had taken over the management of the Model Mill. At the time of its taking over it was questioned whether the Government would return its management to its owner in case there was no profit. We requested the Government to nationalise such mills in which there was mismanagement and corruption. The Government has not been able to take any decision in this matter even after 15 years. The Government has to bring this ordinance as result of it.

The Sugar Commission's report has been received, but the Government has not taken any decision regarding the nationalisation of Sugar industries. Similarly, the Government has not kaken any action regarding Taxtile Mills. This matter is even more serious because it has been pending for the last 15 years.

The Government has misused its powers by issuing the ordinance. This could have been done with the help of a Bill long back.

All sick Textile mills should be taken over by National Textile Corporation. The Corporation should formulate some long term policy to manage the sick mills taken over by it. A part of the production of the mills under the Corporation should be earmarked for export. For this purpose modernisation of mills is very necessary.

The Government should make a rule that the Mills should undertake the production of coarse and medium variety of cloth needed by the common man. Although an assurance was given by the Hon'ble Minister that 25 percent of the total production of all Textile Mills would be devoted to Coarse Cloth, the production of this variety of Cloth was hardly 2·6 per cent. These mills produce super fine cloth, becuase there is more margin in its production.

The Government should give more emphasis on production of coarse cloth.

We have been importing long staple cotton from Egypt and Sudan on the plea that it is used for manufacture of export quality of cloth. But the fact is this that long staple cotton is being used to manufacture clothes which are being sold and marketed within the country at more profits. We have spent 800 crores of foreign exchange on this purpose. The Government should take effective steps to stop the import of long staple Egyptian cotton.

A number of complaints have been received regarding large scale bungling and corruption in the matter of purchases and other transactions made by the Officials of the National Textile Corporation.

The Government should immediately bring a scheme regarding nationalisation and should nationalise all those Textile mills. It should also take action against the corrupt officials.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लिमये, क्या आप दो वर्ष की अवधि बढ़ाये जाने का विरोध कर रहे हैं ? म स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

Shri Madhu Limaye : No Sir. I am opposing this Bill merely on the ground that there was no necessity of promulgating this ordinance.

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): I beg to move that the Bill to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration. The purpose of this Bill is limited. Shri Limaye raised objection to this limited Bill on the ground that what had necessitated the promulgation of an Ordinance to this effect. I agree that the Government issues ordinance under compulsions and certain circumstances. When these 103 mills were taken over, it was not the intention of the Government at that time to nationalise them. Now, when a considerable period has elapsed and we arrive at this decision that we have to nationalise these mills, then we have to bring forward a separate Bill for that purpose. A stage reached when we felt that all these 103 mills should be nationalised. Then, it was felt that it would take time as there were certain difficulties in the process and we could not take action with regard to a particular mill, out of these 103 mills, and we should have taken action within the period of 15 years. We wanted that our policy should be uniform. Since we had no time to complete the process of nationalisation within the period of 15 years, the promulgation of an ordinance was necessary.

This is a small Bill and I think the House will have no objection in passing it.

I request that the Bill be taken into consideration.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि विधेयक का मकसद महदूद सा है। जहां तक मैं समझता हूं, कुछ मिलों या उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार गत दो-तीन वर्षों से सभा के समक्ष रहा है। अब मंत्री महोदय का इन सभी 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है और यह पन्द्रह वर्ष की अवधि इन मिलों के प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लिये जाने की तारीख के बाद की अवधि है तथा अब मंत्री महोदय चाहते हैं कि यह अवधि दो वर्ष तक और बढ़ा दी जाये। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि क्या इस बढ़ाई गई अवधि में इन सभी 103 मिलो का राष्ट्रीयकरण करने का मंत्री महोदय का विचार है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जी हां, ऐसा ही विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह 15 वर्ष की अवधि किस तारीख से है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इन मिलों को भिन्न-भिन्न तारीखों को सरकारी नियंत्र में लिया गया है। यदि 17 वर्ष की अवधि में हम इन मिलों का राष्ट्रीयकरण . . .

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लिमये का प्रश्न संगत है। एक मिल के सम्बन्ध में सरकार को अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तारीख समाप्त होने के 23 दिन पूर्व सरकार जगती है और अध्यादेश जारी रखे अवधि बढ़ाती है।

श्री जिआउर्रहमान अंसारी : इन 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय सरकार ने हाल ही में किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : गत दो या तीन वर्षों में।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जी, नहीं। यह निर्णय हाल ही में किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश, हम सदा तदर्थ आधार पर कार्य करते हैं।

अब सांविधिक संकल्प और विधेयक सभा के समक्ष है।

श्री नुरुल हुडा (कछार) : आपने ठीक ही कहा है कि मंत्री महोदय द्वारा दिया गया तर्क विश्वासप्रद नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सरकार अध्यादेशों के द्वारा शासन करना चाहती है। यह सरकार की आदत बन गई है।

गत कुछ वर्षों के अनुभव से स्पष्ट हो जाता है कि जब मालिक अपने कर्मचारियों को उनके अंश और सरकार को उसके कर से वंचित कर देते हैं तो सरकार उन मिलों या प्रतिष्ठानों को अपने हाथ में ले लेती है जिससे मालिकों की देयता समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीय करण के विचार का हाल ही में पता लगा है परन्तु पहले वे कहा करते थे कि दस-पन्द्रह वर्षों के बाद ये मिलें, जब ये आत्म-निर्भर हो जायेंगी, इनके मालिकों को वापिस कर दी जायेंगी। हम ऐसे राष्ट्रीयकरण के पूर्णतया विरुद्ध ह जहां मालिकों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। ऐसे मालिकों को मुआवजा बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए जिनके कुप्रबन्ध और कठोर रवैये के कारण ये मिलें संकटग्रस्त हो गई या संकट का सामना कर रही हैं।

सरकार जो दूसरी प्रथा अपनाती है वह यह है कि वह कुछ संकटग्रस्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों से कहती है कि उन्हें सेवा से हटा दिया गया है और उन्हें आधा वेतन लेने के लिये विवश करती है। ऐसी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार के रवैये में इस प्रकार परिवर्तन होना चाहिये कि वह श्रमिक वर्ग के हित में हो और पूंजीवादियों तथा दोषी मालिकों के अहित में हो।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): I support the Bill, including the ordinance. The time limit is not being extended only for one mill but there are 57 mills which were taken over much before the take over of 46 mills. Had this limit not been extended, the mills would have been returned to the previous owners. Out of these 103 mills, 33 mills are under the management of the National Textile Corporation and 66 mills are being managed by the Textile Corporations of the States. The Government should take immediate action to nationalise these mills.

The mills managed by the Textile Corporations in the states are manufacturing only coarse and medium cloth.

There is no coordination between the National Textile Corporation and State Textile Corporations so far as their working is concerned. The Corporation at Ahmedabad decided to pay arrears of workers in instalments, but the National Textile Corporation has issued an order not to pay the arrears.

The wages of the workers of the Textile mills of Ahmedabad were increased under a recent agreement between the workers and the employers but the enhanced wages could not be paid to them as the ordinance has been promulgated. There should be a uniform wage policy.

These mills should be managed by the experienced technicians.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं कुछ टिप्पणीयों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं। हम कपड़ा मिलों का इतिहास भली भांति जानते हैं। बड़े-बड़े व्यापारियों ने कपड़ा मिलों को कबाड़ बनाया है और फिर सरकार को विवश किया है कि वह इन मिलों को अपने हाथ में ले। जब मिल की मशीनें बदल दी जाती हैं और वह मुनाफे पर चलने लगती हैं तो उसे मिल मालिक को वापिस सौंप दिया जाता है। ऐसा बारबार होता रहा है।

मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि इन 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण कब किया जायेगा। हम जानना चाहते हैं कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कब किया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कानपुर स्थित लक्ष्मी रतन काटन मिल का राष्ट्रीयकरण करना संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी, यह विशेष मामला है जिसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विधेयक अवधि-बढाने के लिये है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा सुझाव है कि इन सभी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये जिन्हें सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले रखा है।

इसके अतिरिक्त, किसी विशेष मिल का प्रधान कार्य 'टेक्नोक्रेट' होना चाहिए। राष्ट्रीय कपड़ा निगम और राज्य कपड़ा निगमों के बीच समन्वय होना चाहिए।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, यद्यपि माडर्न मिल्ज नागपुर को इसके पहले वाले मालिक के पास वापिस चली जाने से ठीक समय पर बचा लिया गया है।

इस मिल के सरकारी नियंत्रण में लिये जाने के लिये मैं उत्तरदायी था। देश में यह पहली मिल थी जिसे सरकारी नियंत्रण में लिया गया।

इन सभी वर्षों में ये मिलें नियोक्ताओं द्वारा चलाई जाती रही हैं। श्रमिकों को कम वेतन तथा कम महंगाई भत्ता लेने के लिये बाध्य किया गया और औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा बम्बई सम्बन्ध औद्योगिक अधिनियम जैसे अधिनियमों को निलंबित किया गया।

क्या हमारी सरकार संकटग्रस्त मिलों को अपने नियंत्रण में लेने के लिये ही है। नियोक्ता खूब शोषण करते हैं, वे मशीनों को कबाड़ बना देते हैं और फिर कह देते हैं कि हम इनका प्रबन्ध नहीं संभाल सकते क्योंकि ये संकटग्रस्त हैं। सरकार इन संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में लेकर उन पर आभार करती है। सरकार उन मिलों में धन भी नहीं लगा सकती क्योंकि वह जानती है कि ये वापिस पहले वाले नियोक्ताओं को सौंप दी जायेंगी। ऐसा इसीलिये होता है कि सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण करने का दृढ़ निश्चय नहीं किया है। इसी कारण बहुत सा धन और आस्तियाँ भी बेकार चली जाती हैं।

यद्यपि मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं, तथापि मैं चाहता हूं कि वह यह वचन दें कि वह इस सत्र के समाप्त होने से पहले राष्ट्रीयकरण करने वाला विधेयक पेश करेंगे ताकि राष्ट्र यह समझ ले कि राष्ट्रीयकरण की बात पक्की हो गई है। इसके साथ ही इन मिलों को किसी प्रकार का मुआवजा दिए बिना ऐसा किया जाना चाहिए।

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : सरकार ने 1959 और 31 अक्तूबर, 1972 के बीच की अवधि के दौरान इन 103 संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया।

चूंकि सरकार को बहुत वर्षों से पता था कि ऐसे कानून की आवश्यकता है इसीलिये वह गत बजट सत्र में इस विधेयक को ला सकती थी। उससे राष्ट्रपति के अध्यादेश की आवश्यकता न रहती यदि राष्ट्रपति के अध्यादेश से इन 103 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीकरण किया जाना होता तो सभा इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती।

इस सरकार की दृढ़ औद्योगिक नीति नहीं है। ऐसा समाचार है कि केन्द्रीय सरकार उन 13 कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में ले सकती है। जिन्हें तीन वर्ष पूर्व तामिलनाडु सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था। तामिलनाडु सरकार ने इन 13 संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में आवश्यक धन

*तामिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

लगाया है और उन्हें लाभ पर चलने योग्य बनाया है। अतः केन्द्रीय सरकार के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह उन मिलों को अपने नियंत्रण में ले।

इन 103 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की भारत सरकार की नीति का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मालिकों को किसी प्रकार का मुआवजा अदा करने का प्रस्ताव न रखे।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम 1968 से बना हुआ है परन्तु इसने केवल 50 मिलों को आधुनिक बनाने के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है। शेष 53 मिलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा? इन 53 कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए।

इन्होंने ग्राम्य क्षेत्रों में स्टेन्डर्ड कलाथ में वितरण हेतु 240 उचित दर की दुकाने भी खोली हैं 103 मिलों में से 88 मिलों ने 5.6 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ का अर्जन किया है ये मिलें निर्यात के लिये ही कपड़े का उत्पादन करती हैं। चूंकि ये मिलें सर्व साधारण की अवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, इसलिये इनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये और राष्ट्रीयकरण के समय मालिकों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये। इन 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण तुरंत होना चाहिये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : राष्ट्रीय कपड़ा निगम का वर्ष 1970—71 का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है 57 मिलों को 1959 में हाथ में लिया गया था। यह अध्यादेश 1972 में जारी किया गया था। 46 मिलें केवल दो वर्ष पुरानी हैं। 1967 में नियंत्रणाधीन ली गयी 57 मिलों के आस्तियों और दायित्व के निर्धारित न किए जाने का कोई कारण नजर नहीं आता और इसके लिए गारंटी है कि इन 46 मिलों के सम्बन्ध में भी इनका निर्धारण निश्चित समय में कर दिया जायेगा? संविधिक संशोधन करने के स्थान पर पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव लाने में सरकार के सामने क्या रुकावट है? इस बात का मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है।

चीनी उद्योग के बारे में सरकार के मन में दो बातें हैं। बात केवल इन 103 मिलों की ही नहीं बल्कि अन्य मिलों की भी है। यदि औद्योगिक विकास मंत्रालय इन उपक्रमों का प्रबन्ध नहीं कर सकता तो इन्हें राज्यों के सरकारी क्षेत्रों को क्यों नहीं सौंपा जाता?

श्री पी० एम० महता (भावनगर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बात अच्छी है कि सरकार ने काफी समय तक हिचकिचाहट के बाद इन संकटग्रस्त मिलों को हाथ में लिया है। राष्ट्रीयकरण एक साधन है, साध्य नहीं। राष्ट्रीयकरण से हम उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिये कार्यकुशलता बढ़ानी होगी।

इस समय सबंधित मंत्रालय राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा हाथ में ली गई कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में बड़ा उपेक्षित व्यवहार कर रहा है। महालक्ष्मी मिल इसका एक उदाहरण है। मंत्री महोदय उन की समस्या की ओर ध्यान दें और मिल कर्मचारियों को न्याय प्रदान करें।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासौर) : इन सभी संकटग्रस्त मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का कदम बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक प्रबन्ध सुचारू नहीं होगा और औद्योगिक सम्बन्ध

M/P(D)10LSS—10

बेहतर नहीं होंगे तब तक यह कदम समाजवाद की दिशा में नहीं होगा। यदि सरकार के पास इन संस्थाओं के प्रबन्ध के लिये व्यक्ति नहीं हैं तो सरकार सार्वजनिक जीवन में क्रियाशील लोगों को इस काम के लिये क्यों नहीं लेती ? मैं भी इस बात से सहमत हूं कि किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये। इन के मालिकों ने अब तक देश के ग़रीब लोगों का खून चूसा है। इस स्थिति में हम उन्हें मुआवजा क्यों दें ?

Shri R.V. Bade (Khargone): Swadeshi Cotton mills and Malwa Mills at Indore and another mill of Burhanpur have been taken over by the Government, but they are not being managed properly. The production of Swadeshi Mills is being given to a private party. If the production of all the mills is to be passed on to a parcticular party, then what is the use of taking over the management?

श्री वसंत साठे पीठासीन हुए।

[Shri Vasant Sathe in the Chair]

There is unrest among the labourers of the New Victoria Mill at Kanpur because their dues have not been paid since 1967. Also, a tussle has been going on between the Textile Corporation and the S.T.C. It will be better if a joint management Council is set up with labours' participation in the management of all these sick mills. Government want to extend the period by two years but there is nothing wrong if they resort to nationalisation. However, I support the Bill.

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : मैं जानना चाहता हूं कि इन 103 संकटग्रस्त मिलों को अधिकार में लेने से पहले श्रमिकों को कितनी राशि देय है। यह कार्य सरकार मजदूरों को बचाने और देश के हित में उद्योगों को ठीक प्रकार से चलाने की दृष्टि से कर रही है। अन्य उद्योगों को भी क्यों नहीं अपने हाथ में लिया जाये ?

सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। संकटग्रस्त मिलों का तो अवश्य ही राष्ट्रीयकरण कर लिया जाना चाहिये।

प्रबन्ध एजेन्सी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया परन्तु फिर भी यह किसी न किसी रूप में चल रही है। बाहर के व्यक्तियों तथा सम्बन्धियों को प्रशासनिक एजेन्टों के रूप में रखा जा रहा है। हमें इन बुराइयों को समाप्त करना चाहिय।

उपभोक्ताओं, उत्पादकों और श्रमिकों का ध्यान रखा जाना चाहिये, जो कि औद्योगिक क्षेत्र के मालिक हैं। हमें सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिजाहि) : सरकार जब तक इन संकटग्रस्त मिलों का राष्ट्रीकरण नहीं कर लेती तब तक इनमें मशीनरी नहीं लगायी जा सकती और तब तक कपड़ा उत्पादन निर्यात और आन्तरिक मांग को पूरा करने का काम पूरा नहीं हो सकता हमें सारे देश के लिये कपड़े के समान मूल्यों की नीति बनानी होगी। क्षेत्रीय असन्तुलनों तथा वेतनमानों और मूल्यों म वृद्धि से

देश में मुद्रास्फिति बढ़ी है कपड़े के अधिक मूल्यों के कारण किसानों पर प्रभाव पड़ा है और इस से खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। हमें इन 103 मिलों के सुचारू कार्यकरण के द्वारा बढ़ते हुये मूल्यों को रोकना होगा और इससे स्थिति में सुधार लाना होगा।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol): No provision is there in the Bill to check the growth of the monopoly houses. Big textile mills have been behaving in an irresponsible manner with the workers and have been evading the payment of bonus and provident funds due to the workers. Not only that, they have been hoarding huge stocks also to sell them at a higher premium. Therefore, I support, the decision of the Government to nationalise the sick mills.

Shri M.C. Daga (Pali): How will it be possible to nationalise 103 sick mills within the next two years if the same could not be done during the last 15 years?

The House should be informed that the assets and liabilities of how many mills have so far been assessed; what is the machinery for carrying out this work of evaluation and assessment; which court issued injunctions on account of which such assessment could not be made so far? All those matters should be explained in detail to this House so that we may understand the problem in depth. I will also suggest that the sick mills should be managed by the states themselves. Centre should not involve itself in the matter of running these small mills.

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : इन 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी कार्यवाही एक ठोस कदम है जो इस देश के श्रमिकों के हित में है। इन मिलों में काम करने वाले मजदूर अब संतुष्ट हैं क्योंकि उन्हें वेतन, बोनस तथा अन्य लाभ नियमित रूप से मिल रहें हैं। उनके सामने अब यह भय नहीं है कि भविष्य में उन्हें सेवा से निकाल दिया जायेगा।

राष्ट्रीयकरण करने के लिये सरकार के सामने अनेक समस्याएं हैं। सरकार को कम्पनी की मशीनों तथा अन्य आपत्तियों का निर्धारण करना होता है। कुछ आर्थिक समस्याएं भी हैं। यह विधेयक सदन में ठीक समय पर पेश किया गया है। आशा है कि इन सब मिलों का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): I support the nationalisation of these mills. But there is mismanagement in the mills even after they have been taken over by the Government. The controllers of those mills have not been depositing the amounts of provident funds of the workers. They have been evading the payment of bonus. They have also been retrenching the workers in these days of unemployment. I will urge upon the Government to see that these mills are properly managed and no injustice is done to the workers.

Marketing of the cloth of the Government controlled mills is not satisfactory and they are running in losses. Workers participation is also not there in the management of these mills. Attention should be paid towards this, so that workers may participate at every stage in the management of the mills.

Shri Ziaur Rahman Ansari: I am happy to see that all the members have, without a single exception, supported the basic purport of this Bill. The basic object of the Bill is to nationalise all the 103 sick mills, already taken over by the Government.

Some members have expressed doubts that when the Government fail to nationalise all these mills during the past 15 years, how will it be able to get this task accomplished within the next two years. In this connection, it may be stated that during the period from 1969 to 1972, we took over these mills, under Industrial Development and Regulation Act. It had been our declared policy to nationalise these mills ultimately and a Bill was brought to this effect. In February-March, 1973 all the mills were transferred to Ministry of Industrial Development. We have been taking necessary steps for nationalisation of these mills ever since they were transferred to our Ministry. Process of nationalisation takes time and, in this case also, so many formalities connected with stay orders of the court took due time.

So far as delay in nationalisation is concerned, six mills had obtained stay orders. Hence, before making an assessment of their assets and liabilities, etc., the Government had to seek permission from the courts. Work relating to evaluation of machinery and other assets is a complicated affair and it involves time. In the meantime, the time limit relating to a Nagpur was coming to an end. Hence, the necessity of issuing an ordinance arose. Had this necessity not arisen, Government would have come directly with a nationalization Bill after completing the assessment of liabilities and assets (**Interruptions**). I now want to assure everybody in the House that assessment work in respect of all these sick mills has been completed and the Government intends to introduce a Bill to nationalise all these 103 Textile mills in this very session.

So far as the question of compensation, Managment structure, etc. is concerned, this would be discussed at the proper time, when this Bill for nationalisation is brought before the House.

Shri Madhu Limaye (Banka): I am happy that a Bill to Nationalise these sick Mills would be introduced in this very session of the Lok Sabha. The Bills brought before the House from time to time for nationalisation have been full of errors and the Government was forced to bring forward amending Bills soon after. I would like to warn the Government that care should be taken at the drafting stage so that errors and loopholes are not left into it. I would like to request that this Bill should be sent to Joint Parliamentary Committee wherein all its aspects could be considered and discussed.

The Government had taken over the Management of these Mills for two years, but during this period their management has not been satisfactory. There is a need for making basic changes in the management, if there have to be run efficiently.

The Government is empowered to institute an inquiry under the present Company Law, and into the management of a mill, if it is found that it was

being mismanaged. But, usually, Government steps in for take over of a mill only when the mill has gone bad to worst in respect of management. If timely steps are taken by the Government, the mill can be stopped from becoming 'sick'. Kohinoor Mill of Kapadia and National Rayon Corporation are shortly going to be sick soon. The Government sould look into it.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1974 को प्रख्यापित उद्योग (विकास तथा विनियमन संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन करती है"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2

सभापति महोदय : क्या सी० बी० वी० नायक अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं? श्री बी० वी० नायक यदि मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें तो मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता ।

सभापति महोदय : आप का संशोधन शंकाओं के आधार पर था। राष्ट्रीयकरण का विधेयक इसी सत्ता में आने वाला है और फिर मंत्री महोदय के उत्तर को देखते हुए आप के संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं। मिलों का राष्ट्रीयकरण इसी सत्र में होने वाला है। मेरा विचार है कि निर्धारण, संविधान में बताई गई क्षतिपूर्ति या राशी की अदायगी तक ही सीमित है। सरकार परिसम्पत्तियों और देवताओं का निर्धारण करने को उत्सुक है जसा कि कोयला, कोकिंग कोयला खानों आदि के मामले में किया गया है। ऐसा लगता है इसी कारण से अवधि बढ़ाने की माँग है। राष्ट्रीयकरण कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो प्रबन्ध है।

सभापति महोदय : आप अपने को अपने संशोधन तक ही सीमित रखे और राष्ट्रीयकरण की नीति का उल्लेख न करें। आपके आने से पूर्व मंत्री महोदय ने बताया था कि सभी 103 मिलों का निर्धारण पूरा हो चुका है और राष्ट्रीयकरण विधेयक लाया जाने वाला है।

श्री बी० बी० नायक : जब परिसम्पतियों और देयताओं का निर्धारण हो चुका है और मिलों का राष्ट्रीयकरण होने वाला है तो मेरा संशोधन व्यर्थ हो जाता है। अतः सभापति महोदय के परामर्श पर मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या श्री बी० बी० नायक अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी हाँ।

संशोधन संख्या, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

The amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया :

[Clause 2 was added to the Bill.]

खंड 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि विधेयक को पारित किया जाये "।

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बुर्दवान) : जहाँ तक कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये सरकार को कुछ और समय देने की बात है, हमने उसका समर्थन किया है। परन्तु उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 केवल कपड़ा कार्यक्रमों से सम्बन्धित ही नहीं है। यह कई अन्य उद्योगों पर भी लागू होता है। सरकार पिछले 15 वर्षों की अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए अधिनियम का संशोधन कर रही है। जिन 46 उपक्रमों को सरकारी अधिकार में लिया गया है वे इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं, एक अध्यादेश के अधीन अधिकार में लिये गये हैं। उन्हें यहाँ इसलिये जोड़ दिया गया है जिससे कि यह धारणा बने कि 1972 में हाथ में लिये गये मिलों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये न्यायालय के पास पर्याप्त समय नहीं है। इसलिये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाये। परिसम्पत्तियों और देयताओं के मूल्याँकन के लिए सरकार ने 15 वर्ष का समय लिया। यह बहुत ही अविश्वसनीय बात है। स्पष्ट है कि यह सरकार की बड़ी असफलता है। इस अवधि में इन मिलों के तुलन पत्र सरकार द्वारा नियुक्त लेख परीक्षक द्वारा बनाए जाते थे, फिर क्यों परिसम्पत्तियों और देयताओं के निर्धारण में इतना समय लगा ? सरकार ने क्षतिपूर्ति की मात्रा के बारे में क्या निर्णय किया है। क्या मालिकों को शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति की अदायगी का आश्वासन दिया गया है ? यदि ऐसा है, तो संविधान में संशोधन की क्या आवश्यक्ता थी ? तथ्य यह है कि सरकार स्वयं इस बारे में अनिश्चित है।

श्री प्रसन्न भाई महता (भावनगर) : इस अधिनियम के अधीन सभी पुरानी मिलों को सरकारी नियन्त्रण में लिया गया था और मूल्यह्रास के पश्चात उनकी आस्तियाँ अब नगण्य हैं। अतः इस बारे में क्षतिपूर्ति की अदायगी का प्रश्न नहीं उठना चाहिये। सरकार को इन सभी संकटग्रस्त मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The Bill to nationalise 103 Textile Mills would be brought in this very session. I would like to request that the whole textile Industry should be nationalised. Only through this measure, it would not be possible to check profiteering and provide clothing to all.

It is also necessary that Rules are made fool-proof so that amendments do not become necessary in the near future.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक 1974

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF ALCOCK ASHDOWN COMPANY LTD. (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS) AMENDMENT ORDINANC E, 1974 AND ALCOCK ASHDOWN COMPANY LTD. (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS) AMENDMENT BILL.

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** Had ample care been taken at the time of bringing the original Bill, the necessity of bringing forth the amendment would not have arisen. It has been said that M/s. Turner Morison & Co. has filed a writ petition challenging the Act. The company has taken the plea that the amount specified in the Act is illusory. The Central Government has been advised that by way of abundant caution, the concerned Act should be amended, so as to clarify the position. I feel it could have been averted if proper care had been taken at the initial stage. I would request that strictures should be passed against the Government against this lapse, as these loop-holes were pointed out when the Bill was brought forward. But the Government did not pay any attention towards it at that time. May I know whether Law Ministry, Attorney General and Solicitor General are consulted when the Bills are drafted? The present Bill proves the incompetency of the Government. I beg to move:

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1974 को प्रख्यापित एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): The Government had taken into cosideration all pros and coins of the matter when the original Bill was prepared. There was no loop-hole in the Bill. But since a writ petition has been filed in the Court, the present amendment is being made as a matter of precaution.

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973 का संशोधन करनें वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार कया जाये ।"

श्री सोमना चटर्जी (बर्दवान) : माननीय मंत्री ने कहा कि विधेयक को बहुत सावधानी से तथ्य किया गया था और पार्टी द्वारा न्यायालय में दायर की गई याचिका को देख कर एहतियात के तौर पर यह संशोधन किया जा रहा है। पहले अधिनियम की धारा 4 में 'कम्पनी के उपक्रम' की परीधी में इसकी सभी अस्तियाँ, सभी अधिकार, शक्तियाँ, सम्पत्ति, निवेश आदि आते थे। अतः यह कहना ठीक नहीं कि इसे पहले सम्मिलित नहीं किया गया था। किताबों में

दिखाए गए ऋण निश्चित रूप से आस्तियों और सम्पत्ति में शामिल लिये जायेंगे। परन्तु मूल्यांकन के आधार पर अब 1 करोड़ की राशि कम्पनी के शेयर आस्तियों में बांटी जानी है। अतः स्पष्ट है कि सरकार ने कम्पनी की पुस्तकों में दिखाई गई ऋण की राशि को भी ध्यान में रखा होगा।

अब किताबों में दिखाई गई ऋण राशि के सम्बन्ध में अपने दावे को छोड़ा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इन ऋणों की राशि क्या है ?

कम्पनी के दायित्वों को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने आस्तियों को एक करोड़ रुपये नियत किया है जो वितरित किया जायेगा। दायित्व अब पहले के समान है। आस्तियों को कम किया जा रहा है परन्तु मुआवजे को कम नहीं किया जा रहा है।

ऐसा मालूम होता है कि यह विधेयक हानिरहित है। इसमें कानूनी मुद्दों को पूरा करने के लिये कार्यवाही की व्यवस्था है। परन्तु क्या हम कम्पनी के शेयरधारियों को एक करोड़ रुपये से अधिक राशि नहीं दे रहे हैं ? हम ऐसा ही कर रहे हैं। आशंका है कि इस प्रक्रिया द्वारा भूतपूर्व प्रबन्धकों और शेयरधारियां को चोर दरवाजे से और अप्रत्यक्ष तरीके से अधिक राशि दी जा रही है इसलिए आस्तियां कम रह गई हैं ; दायित्व वहीं है और इस प्रकार आवश्यक है कि मुआवज़ा बढ़ जायेगा।

अतः इस विधेयक को पारित करने से पूर्व मंत्री महोदय इस सभा को बतायें कि कम्पनी के नाम ऋण की कितनी राशि है। संविधान के अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत सरकार को कुछ शक्तियां मिली हुई हैं; सरकार उन शक्तियों का पूरा प्रयोग क्यों नहीं कर रही है।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : सरकार ने वर्ष 1973 में 1.17 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद इस कम्पनी को अपने अधिकार में लिया था और विधेयक को संसद ने पारित किया था। अब इतने विलम्ब के बाद सरकार यह संशोधन करने के लिये 1973 के अधिनियम खंड 4(1) में कुछ शब्द जोड़ रही है। मंत्री महोदय सभा को बतायें कि विधि मंत्रालय ने मूल विधेयक लाने के समय यह सलाह क्यों नहीं दी थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रत्येक कार्य को निपटाने में जल्दी कर रही है। इस संशोधन को लाने में सरकार ने हज़ारों रुपये खर्च किये होंगे। अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने वाले विवरण में कहा गया है कि चूंकि 16 जुलाई, 1974 को रिट याचिका की सुनवाई होने वाली थी और संसद का सत्र नहीं हो रहा था, तो यह स्पष्टीकरण करना आवश्यक था। यह अजीव बात है कि विवरण में उच्च न्यायालय में 16 जुलाई, 1974 को हुई कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

मंत्री महोदय इस कम्पनी के प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन करें और योग्यता प्राप्त प्रबन्धकों को नियुक्त करके कम्पनी को नई शक्ति प्रदान करें। मंत्री महोदय यह भी बतायें कि क्या निकट भविष्य में वह इस कम्पनी के बारे में कोई अन्य (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे। मैं इस (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : At the time when the original Bill was considered, Members had expressed their apprehensions. Government

did not pay any heed to them at that time. Now Government have come with this amendment. It is not proper on the part of Government to leave a loop-hole which is now being exploited by the company to get more money.

Government should not pay any big amount to the company. If at all some payment has to be made, a token amount should be paid. The amount thus saved may be utilised for some other purposes.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस विधेयक को पारित करने के बाद सरकार के समक्ष कठिनाइ आयें। हमें मालूम नहीं है कि क्या उनका टर्नर मोरिसन से समझौता हो रहा है, जिन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यदि न्यायालय यह आदेश देता है कि सरकार स्टेट बैंक या गारंटी देने वाले को या याचिका दायर करने वाले अर्थात टर्नर मोरिन को 5 करोड़ रुपये या 6 करोड़ रुपये अदा करे तो सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण होगा? क्या सरकार इस सभा से 4 या 5 करोड़ रुपये की मांग करेगी। अतः यह सब अभी तक अनिश्चित है।

यदि सरकार जीतती है और मूल्यांकन 1 करोड़ रुपये से कम होता है तो दूसरा पक्ष अवश्य उच्चतम न्यायालय में जायगा। यदि दूसरा पक्ष जीतता है तो सरकार उच्चतम न्यायालय में जायेगी। यह कानूनी कार्यवाही दो या तीन वर्षों तक चलेगी। आज तक सरकार मशीनरी चालू करने की स्थिति में नहीं हुई है। सरकार ने मजदूरों को वचन दिया था कि उनको देय राशि दी जायेगी। हमने सरकार से कहा था कि इस एक करोड़ रुपये की राशि में से कर्मचारियों को 63 लाख रुपये की देय राशि का भुगतान कर दिया जाये। परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

इस उपक्रम के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन एक और विधेयक लाया जाये। इसे कर्मचारियों की सहकारी समिति को सौंपा जा सकता है। उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। एक करोड़ रुपये से इसको अर्जित करने से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायगी। फिर एक राष्ट्रीय आस्ति को नष्ट किया जा रहा है। अतः सरकार इस पूरे मामले पर फिर से विचार करे और श्रमिकों को दिये गये वचन को पूरा करे।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): If Government had properly considered the whole matter when it came before the House last, there would have been no need for this amending Bill. Even the present Bill is not comprehensive. Government has not tried to get complete facts about the value of the company's assets; and this has placed them in a difficult position.

The Company has one of its factories at Bhavanagar and the other at Bombay. Most of the machinery lying there is useless; thousands of workers are without any job. Government had promised employment to them; but nothing has been done so far.

The Company has to pay Rs. 60 lakhs as workers' dues; in addition, it has to pay a large amount to the State Bank and the Bank of Maharashtra. Government should have found out what the total assets of the Company are

and what its liabilities are. The concerned departments or ministries should have examined the matter. Although Government would get this Bill passed their objectives would not be achieved. This Bill should be withdrawn and a more comprehensive Bill be brought forward again.

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : यह बताया गया है कि सरकार को न्यायालय में एक करोड़ रुपये की राशि जमा करानी है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस कम्पनी की आस्तियों का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है या नहीं? सरकार को श्रमिक की भविष्य-निधि आदि की बकाया राशि का भी भुगतान करना है जो लगभग 37 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त सरकार को कम्पनी की और स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा बैंक आफ महाराष्ट्र का 1.70 करोड़ रुपये का ऋण भी वापस करना है। अतः हमें कम्पनी की आस्तियों का मूल्य बताया जाना चाहिए। जब 1973 में मूल विधेयक पर इस सदन में चर्चा की गई थी तो अनेक माननीय सदस्यों ने विधेयक में कमियों और त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि इसे न्यायालय में भी ले जाया जा सकता है किन्तु उस समय मंत्री महोदय ने उन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। आज यह मामला न्यायालय में लम्बित है।

विधयक के प्रारूप से सम्बन्धित विधि मंत्रालय के सभी उच्च अधिकारियों को प्रधान मंत्री द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे विधायी प्रस्तावों को तैयार करने में अधिक सतकर्ता और सावधानी बरतें तथा ध्यान से काम करें।

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : इस समय यह किसी को मालूम नहीं है कि इस रिट याचिका का निर्णय किसके पक्ष में होगा। कम्पनी को उच्चतम न्यायालय में भी अपील करने का अधिकार है।

मुआवजे के बारे में मामला उठाया गया है। इस संशोधन से स्थिति स्पष्ट की गई है कि वही ऋण इसमें शामिल नहीं किया गया है। हमने विधि विभाग से परामर्श किया जिन्होंने हमें इस अध्यादेश को जारी करने की सलाह दी थी।

वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने मूल्यांकन सम्बन्धी प्रश्न की जांच की है और उन्होंने अधिग्रहण की जाने वाली आस्तियों का गहराई से अध्ययन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उसकी सारी सम्पत्ति नीलाम करने के बाद भी शायद इतनी राशि प्राप्त नहीं होगी। अतः अधिकारियों द्वारा किया गया एक करोड़ रुपये का मूल्यांकन उचित ही है। उन्होंने मशीनों, भवनों आदि की स्थिति की भी जाँच की है तभी उन्होंने यह निर्धारण उचित ही किया है।

श्रमिकों के मुआवजे का प्रश्न उठाया गया है। इस उपक्रम को अधिग्रहण करने के बाद ही इस प्रश्न पर कानून के अनुसार विचार किया जायगा। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि श्रमिकों को बेरोजगार न किया जाए। हमने गुजरात कम्पनी और मजगांव डाक्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की है। हमने यह भी कहा है कि इन लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

हमने बही-ऋण के प्रश्न की जांच नहीं की है क्योंकि इस ऋण को शामिल करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमने इसके आँकड़े नहीं लगाये है। यह तो कम्पनी को देखना है कि बही-ऋण कितना है और इसे कैसे वसूल किया जा सकता है ?

सभापति महोदय : पहले मैं श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को लेता हूं।

प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1974 को प्रख्यापित एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमेटड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमेटड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गय रूप में, विचार कया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2

सभापति महोदय : अब हम इस पर खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 के विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

सभापति महोदय : खंड 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्नयह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया :

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया :

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गए ।

Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्री बलबीर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : I regret that I was not present in the House in the morning when Honourable members have given their clarification

It has been alleged in an answer to a question on 27th August 1974 in the Rajya Sabha that my name has been included in the list of members who are alleged to have signed some recommendatory letter for the grant of licences.

I have already made a statement before a C.B.I. Officer that I have not signed any recommendatory letter for grant of licence. I am shocked to learn that the Minister of Commerce has mentioned by name in them Rajya Sabha and I deny this charge. It is baseless.

I request you to take necessary steps to see that no efforts are made to defame us.

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 29 अगस्त, 1974 भाद्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 29, 1974/Bhadra 7, 1896 (Saka)

74—M/P(D)10LSS—490—15-5-75—GIPS